

C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol. XXIII, Eleventh Session, 2017/1939 (Saka)
No. 20, Tuesday, March 28, 2017/Chaitra 07, 1939 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
WELCOME TO PARLIARMENTARY DELEGATION FROM NAMIBIA	9
REFERENCE BY THE SPEAKER	
Nutan Samvatsar 2074 of the Vikram Era	10
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 361 to 365	12-74
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 366 to 380	75-141
Unstarred Question Nos. 4141 to 4370	142-674

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	675-679 699
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 42nd Report	680
JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT 19th Report	680
MATTERS UNDER RULE 377	721-747
(i) Need to undertake electrification of villages under Singhbhum Parliamentary Constituency, Jharkhand	
Shri Laxman Giluwa	722
(ii) Need to include 'Kamlapuri Vaishya' caste of Bihar in the Central List of OBCs	
Shrimati Rama Devi	723
(iii) Need to declare Hajira town in Surat district, Gujarat as 'No Fly Zone' and also to strengthen the security of the town	
Shrimati Darshana Vikram Jardosh	724
(iv) Need to create awareness about eco-enzyme and promote its use in the country	
Shri Maheish Girri	725
(v) Need to increase the area under irrigation in Korba district, Chhattisgarh	
Dr. Banshilal Mahto	726
(vi) Need to take welfare measures for child beggars	
Shri Hukum Singh	727

- (vii) Need to provide adequate compensation to farmers whose land has been acquired for extension of International Airport at Gaya, Bihar
- Shri Hari Manjhi 728
- (viii) Need to construct platforms and overbridges at all the railway stations on Kodarma-Giridih via Kowad railway line in Jharkhand
- Shri Ravindra Kumar Ray 729
- (ix) Regarding problems being faced by farmers of Kheda constituency in Gujarat
- Shri Devusinh Chauhan 730
- (x) Need to take strict action against fraudulent chit fund companies in the country
- Shri Sudheer Gupta 731
- (xi) Regarding modernization of Fire Services in the Country
- Shrimati Meenakashi Lekhi 732
- (xii) Need to enact law for reservation in promotion of SC/ST Government employees
- Dr. Udit Raj 733
- (xiii) Need to establish a Divisional Office of Life Insurance Corporation of India at Dhanbad, Jharkhand
- Shri Pashupati Nath Singh 734

- (xiv) Need to bring railway stations at Chakarbhata, Bilha and Dagauri in Bilaspur district, Chhattisgarh under the jurisdiction of Bilaspur Railway Division
- Shri Lakhan Lal Sahu 735
- (xv) Need to upgrade Tumkur railway station in Karnataka as a high-tech station with all modern facilities
- Shri S.P. Muddahanume Gowda 736
- (xvi) Need to introduce modern methods of cultivation among tribals of Manipur
- Shri Thangso Baite 737
- (xvii) Need to introduce a pension scheme for divorcee and single women in the country
- Shrimati Mausam Noor 738
- (xviii) Need to impress upon Government of Kerala to stop construction of check dams on river Bhavani in the interest of farmers of Tamil Nadu
- Shrimati V. Sathyabama 739
- (xix) Need to provide better remuneration and extend retirement benefits to Asha Workers in the Country
- Shrimati Pratima Mondal 740
- (xx) Need to set up Farm Machinery Training and Testing Institute (FMTTI) in Bargarh constituency, Odisha
- Dr. Prabhas Kumar Singh 741
- (xxi) Need to permit sale of eatables and packaged water at fruit/juice stalls at railway stations in the country
- Shri Shrirang Appa Barne 742

(xxii) Need to improve the Orderbook position of Hindustan Shipyard Ltd		
	Shri Muthamsetti Srinivasa Rao (Avanthi)	743
(xxiii) Regarding the problem faced by employees of Instrumentation Limited, Palakkad in Kerala		
	Shri M.B. Rajesh	744
(xxiv) Need to withdraw the decision to shift the office of Inland Waterways Authority of India, Bhagalpur, Bihar to Sahebganj, Jharkhand		
	Shri Shailesh Kumar	745
(xxv) Need to provide road connectivity to some villages of Karimganj in Assam under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana		
	Shri Radheshyam Biswas	746
(xxvi) Need for early completion of Angamaly-Sabari railway Project in Kerala		
	Adv. Joice George	747
NATIONAL INSTITUTES OF TECHNOLOGY, SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH (SECOND AMENDMENT) BILL, 2016		748-841
Motion to Consider		753
Shri Prakash Javadekar		753-758, 826-840
Kumari Sushmita Dev		759-767
Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank		768-772
Dr. Mriganka Mahato		773-776
Dr. Prabhas Kumar Singh		777-781
Shri Muthamsetti Srinivasa Rao (Avanthi)		782-787

Shri Bheemrao B. Patil	788
Shri P.K. Biju	789-793
Shrimati Butta Renuka	794-796
Shri Manoj Tiwari	797-800
Shri Kaushalendra Kumar	801
Shri N.K. Premachandran	802-807
Shri Nihal Chand	808-811
Shri Sher Singh Ghubaya	812-814
Shri Hukum Singh	815-819
Shri Rahul Shewale	820-822
Shri Sirajuddin Ajmal	823-825
Clauses 2 and 1	840-841
Motion to Pass	841
COLLECTION OF STATISTICS (AMENDMENT) BILL, 2017	842-868
Motion to Consider	842
Shri D.V. Sadananda Gowda	842-844
Shri Deepender Singh Hooda	845-854
Shri Sunil Kumar Singh	855-861
Shrimati Aparupa Poddar	862-863
Shri Tathagata Satpathy	864-867
<u>ANNEXURE – I</u>	
Member-wise Index to Starred Questions	869
Member-wise Index to Unstarred Questions	870-875
<u>ANNEXURE – II</u>	
Ministry-wise Index to Starred Questions	876
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	877-878

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, March 28, 2017/Chaitra 07, 1939 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION FROM NAMIBIA

HON. SPEAKER: Hon. Members, on my own behalf and on behalf of the hon. Members of the House, I have great pleasure in welcoming Hon. Prof. Peter H. Katjavivi, Speaker of the National Assembly of the Parliament of Namibia and members of the Namibian Parliamentary Delegation who are on a visit to India as our honoured guests.

They arrived in India on Monday, 27th March, 2017 and are now seated in the Special Box. Besides Delhi, they will also visit Agra and other places. We wish them a happy and fruitful stay in our country. Through them we convey our greetings and best wishes to the Parliament, the Government and the friendly people of Namibia.

11.03 hours**REFERENCE BY THE SPEAKER**
Nutan Samvatsar 2074 of the Vikram Era

माननीय सदस्यगण, आज विक्रम संवत् 2074 के साथ नूतन संवत्सर के शुभारम्भ पर मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। यह सभा सभी देशवासियों को नूतन संवत्सर, जिसे देश के अलग-अलग भागों में हम गुड़ी पड़वा, उगादी, चैत्र शुक्लादि, चेती चांद, नवरेह और साजिबू चेइराबा के अलग-अलग नामों से मनाते हैं, लेकिन हम यह नया साल, जो आज से शुरू होता है, इस नाम से भी मनाते हैं। मैं इसकी हार्दिक बधाई प्रेषित करती हूँ। हम सभी हार्दिक बधाई प्रेषित करते हैं।

मैं आशा करती हूँ कि यह नूतन वर्ष सभी देशवासियों के लिए नई उम्मीद, ऊर्जा, उमंग, नया उत्साह और राष्ट्र को सामर्थ्यशील बनाने की शक्ति हम सबको देगा।

आज इस पावन अवसर पर लोक सभा एवं राज्य सभा के सभी माननीय सदस्यों के लिए संसद भवन में सेंट्रल हॉल के समीप प्रांगण नम्बर 9 में दोपहर 1 से 2 बजे के बीच भोज का आयोजन किया गया है। जिसमें आप सभी लोग भोज के लिए सादर आमंत्रित हैं। महाराष्ट्र वालों के लिए श्रीखण्ड है और बाकी सबके लिए भी कुछ मिठाइयां हैं। आप सभी आमंत्रित हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम स्पीकर, आपने न्याय नहीं किया, क्योंकि हर नए साल में दूसरे स्टेट्स में आप हॉलीडे देते हैं, लेकिन उगादी के लिए आपने सिर्फ आशीर्वाद दिया, किंतु हॉलीडे नहीं दिया। यह नया साल महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का भाग है। इतने स्टेट के लोग आज और कल नहीं रहेंगे। आप बताइए, हाउस कैसे चलेगा?

माननीय अध्यक्ष : अगर हॉलीडे देती तो हम सभी लोग एक साथ नया साल नहीं मना पाते। एकाध साल सब एक साथ भी मनाएं।

...(व्यवधान)

11.04 hours**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

HON. SPEAKER: Now, let us go to the Question Hour.

Question No. 361, Dr. Satya Pal Singh.

(Q. 361)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदया, हम इसमें एक करेक्शन करना चाहते हैं। प्रश्न के जवाब 'ग' हिन्दी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन लिख दिया गया है। इंग्लिश में नेशनल फूड मिशन लिखा गया है, जबकि यह नेशनल फूड एक्ट होना चाहिए। हम इसमें सुधार करना चाहते हैं। National Food Security Mission should be replaced by National Food Security Act.

HON. SPEAKER: Okay.

डॉ. सत्यपाल सिंह: आदरणीय अध्यक्ष महोदया, आज का दिन बहुत विशेष है, जैसा आपने कहा कि आज का दिन केवल मात्र भारत के लिए नव संवत्सर या नववर्ष नहीं, बल्कि आपकी अनुमति से मैं यह बताना चाहता हूँ कि सारी दुनिया के लिए और हमारी संस्कृति के हिसाब से नववर्ष है, जो पूर्णतया वैज्ञानिक है। हमारी संस्कृति आस्था और वैज्ञानिकता का बहुत बड़ा संगम है। हमारे ऋषि, महर्षि और पंडित लोग...

माननीय अध्यक्ष : यह मैंने बता दिया है।

डॉ. सत्यपाल सिंह: मैडम, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : फिर यह बात सभी शुरू करेंगे।

डॉ. सत्यपाल सिंह: मैं कहना चाहता हूँ कि हम एक संकल्प मंत्र के पाठ के जरिये यह कहते रहे कि जब से सृष्टि बनी है, आज कौन सा दिन है और जिस प्रकार से शास्त्रों में लिखा है - मुखम् वा एतद् ऋतुनां यदवसन्तः। यानी सारी ऋतुओं का जो मुख है, वह वसन्त ऋतु की शुरुआत है और इसलिए वसन्त ऋतु पर सारी दुनिया के लोगों के लिए हम सब भारतीयों की ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले लगभग तीन वर्षों में पहली बार मेरा सवाल पूछने का नम्बर लगा है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चलो नए साल की कुछ उपलब्धि हुई है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नववर्ष की उपलब्धि पर अब अच्छा सा सवाल कीजिए।

DR. SATYA PAL SINGH : Hon. Speaker, first of all, I would appreciate the hon. Minister for a very detailed and elaborate reply.

Secondly, I would also like to express my heartiest congratulations to our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi-ji for taking such an – we can say – unpleasant decision of demonetization for the benefit of our country. Though it was considered as a bolt from the blue by some experts, yet it was appreciated and welcomed by the common people of our country, and which has been proved by the unprecedented victory in Uttar Pradesh and local elections all over the country.

Madam, I would like to inform the hon. Minister that the hoarders have taken or tried to take advantage of the Government's decision of demonetization from making artificial shortage of essential commodities so that they can make unjustified profits. There have been some news-items like this: 'Jacking up prices of such commodities'

In this regard, as a first supplementary, I would like to know from the hon. Minister about the awareness programmes implemented by the Government to expose such artificial shortage of essential commodities or such hoarders during the period of demonetization scheme along with the action taken or being taken against such hoarders so far. Thank you.

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, इनका पहला प्रश्न विमुद्रीकरण के प्रभाव के बारे में था, जबकि विमुद्रीकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टे यदि आप देखें तो जो कीमतें दिनांक 08.11.2016 को थीं, चाहे चावल, गेहूँ, आटा, ग्राम दाल, तूर, उड़द, मूंग, मसूर, शुगर, मिल्क, ग्राउंडनट, मस्टर्ड ऑयल, वनस्पति, सोया आदि ऐसे 22 पदार्थ हैं, इनमें सनफ्लावर से लेकर पामऑयल आदि किसी भी पदार्थ में आप देखेंगे तो उसके दामों में वृद्धि नहीं हुई है।

जहां तक दाल की खेती का सवाल है, वर्ष 2015-16 में यह 612 लाख हैक्टेअर क्षेत्र था, वह 2016-17 में बढ़कर 622 लाख हैक्टेअर हो गया। जहां तक दाल के उत्पादन का सवाल है तो वह पहले 163.5 लाख टन था, जो इस बार बढ़ कर 221.4 लाख टन हो जाएगा। इस तरह, हम यह मानते हैं कि विमुद्रीकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

जहां तक माननीय सदस्य का एक्शन लेने के बारे में सवाल है तो हमने मेन प्रश्न के जवाब में एक्शन के बारे में लिख दिया है। नवम्बर, 2016 से फरवरी, 2017 तक काला बाजारियों के खिलाफ 'एसेंशियल कर्मांडिटी एक्ट' और 'प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एक्ट, 1980' के द्वारा जो कार्रवाई की गयी, उसमें 17,506 छापामारी की गयी, 1,524 लोग गिरफ्तार किए गए, 837 लोगों के खिलाफ अभियोग चलाया गया, 163 लोगों का दोष सिद्ध किया गया, 46 को नज़रबंद किया गया और 4 करोड़ 33 लाख रुपये के सामान ज़ब्त किये गये।

हम यह बताना चाहते हैं कि 'एसेंशियल कर्मांडिटी एक्ट' और 'प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एक्ट' में हम राज्य सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम के सेक्शन-3 के तहत स्टॉक लिमिट लगाने की पावर्स देते हैं और राज्य सरकार इस पर कार्रवाई करती है।

डॉ. सत्यपाल सिंह: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो एक्शन लिए हैं, उसके लिए सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी को मैं बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं।

मेरा एक सवाल यह है कि मंडियों में, ए.पी.एम.सी. मार्केट्स के अंदर जो चलता है, I would like to know whether there is any proposal to make all transactions of *mandis* mandatory through digital mode and constitute a permanent committee to keep a check on such transactions of *mandis* to avoid artificial manipulation of prices of essential commodities by the middlemen. It will not only give momentum to the decision of our Government to promote digital payment but also provide relief to the farmers and the common people from artificial high prices of essential commodities.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर.चौधरी) : परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय विद्वान सदस्य ने काफी महत्वपूर्ण और सम-सामयिक प्रश्न पूछा है। चूंकि माननीय प्रधान मंत्री जी का यह एक ऐतिहासिक निर्णय था और इस निर्णय के पश्चात् देश की जनता ने उसका पूरा स्वागत किया। उसका रिजल्ट, अगर इलेक्शन के मार्फत भी देखा जाए तो सारे देश के सामने आया है।

माननीय सदस्य ने एक स्पेशल क्वेश्चन पूछा है। जहां तक डिजीटाइजेशन की बात है, तो 'डिजीटल इंडिया' के तहत इस दिशा में पहले से ही कार्यक्रम चल रहे थे। विमुद्रीकरण के पश्चात् देश के 100 शहरों के अन्दर डिजिधन मेला और इस प्रकार के कार्यक्रम किए गए।

जहां तक ए.पी.एम.सीज़. या कृषि उपज मंडियों के संबंध में प्रश्न है, वहां पर अब आप देखेंगे, जैसा हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया, इस दौरान 10.5 लाख टन दालें खरीदी गयी हैं और किसानों को सारे पेमेंट्स चेक के माध्यम से किए गए हैं। इस दौरान, हमने करीब 85 लाख टन गेहूं और 120 लाख टन से ज्यादा चावल को प्रोक्योर किया है और उन सब का पेमेंट चेक के ज़रिए हुआ है।

इसी प्रकार से, अब काश्तकार भी चेक के माध्यम से अपना पेमेंट वगैरह करते हैं। इसको प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें अवेयर करने के लिए हमारे मंत्रालय द्वारा 'जागो, ग्राहक जागो' कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसके साथ ही, उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के तहत हमारी जो विभिन्न योजनाएं हैं, हम लोग उसे भी कर रहे हैं। इस कारण से डिजिटल पेमेंट पर ज़ोर दिया जा रहा है कि इस माध्यम से अधिक से अधिक पेमेंट हो। इससे हम लेस-कैश इकोनॉमी की ओर जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि किसी भी देश को, किसी भी इकोनॉमी के अंदर आगे बढ़ने के लिए बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट होनी चाहिए, बैंकों के माध्यम से ट्रांज़ैक्शंस होने चाहिए। इससे काले धन पर रोक लगेगी और टैक्स इवेजन नहीं होगा, ये सारी बातें हैं। किसान लोग वैसे भी इसे कर रहे हैं, इसलिए इससे किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। अच्छा कार्य हुआ है और इसका सभी लोग स्वागत करते हैं।

डिजिटल पेमेंट के संबंध में माननीय सदस्य की जो चिंता है, वह हमारे मंत्रालय द्वारा ऑल्लरेडी कवर कर लिया गया है।

श्री संजय धोत्रे: अध्यक्ष महोदया, आज महाराष्ट्र में 'गुड़ी पड़वा' मनाया जा रहा है, इस अवसर पर मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि पहले जो दोनों प्रश्न हैं, उनसे जो चार सांसद संबंधित हैं, वे महाराष्ट्र के हैं। डॉ. सत्यपाल सिंह साहब भी हमारे महाराष्ट्र के हैं।... (व्यवधान)

हमारी सरकार एवं आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने नोटबंदी का जो क्रांतिकारी निर्णय लिया, उसका जो असर हुआ है, वह अभी दिख रहा है और इसका असर आने वाले कई सालों तक दिखेगा। इसके कारण हमारा देश करीब दस-पंद्रह साल आगे बढ़ा है। नोटबंदी के दौरान जो परेशानियाँ हुई हैं और अगर सबसे ज्यादा परेशानियाँ हुई हैं तो किसान तथा खेत में काम करने वाले मजदूरों को हुई है, क्योंकि नवंबर-दिसम्बर के महीने में हमारा हार्वेस्टिंग सीजन रहता है।

अभी हमारे मंत्री महोदय जी ने जवाब दिया कि सारी वस्तुओं की कीमत कम हुई है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारे किसानों को हुआ है। अगर हम महाराष्ट्र में देखेंगे और आपने दाल-दलहन के जो आंकड़े बताए हैं, जो एस्टीमेटेड फीगर है, एक्चुअल फीगर सबको चौंका देने वाली होगी, क्योंकि हमारे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में करीब-करीब अरहर या तूर का जो उत्पादन है, वह दोगुना हो रहा है। मार्केट में इसके

रेट गिर गए हैं। पिछले साल 10-11 हजार रुपये प्रति क्विंटल रेट था, वह आज 4-4.5 हजार रुपये प्रति क्विंटल है। इसकी जो पूरी खरीदारी है, वह नेफेड के थ्रू हो रही है, क्योंकि व्यापारी इसको लेने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके लिए जो हमारा प्राइस स्टेब्लाइजेशन फंड है, उसमें से साढ़े चार सौ रुपये मिल रहे हैं और जो एम.एस.पी. है, उसमें करीब-करीब 5.5 हजार रुपये का भाव मिल रहा है। यह बहुत कम है।

आपके माध्यम से मेरी मंत्री महोदय से विनती है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन दोनों मंत्रालय कृषि तथा खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय से रिलेटेड है। इसमें साढ़े चार सौ रुपये की जगह और एक हजार रुपये बढ़ाया जाए।

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

श्री संजय धोत्रे: प्राइस स्टेब्लाइजेशन का जो कॉरपस फंड है। क्या आप उसको पाँच सौ करोड़ रुपये से बढ़ाकर पाँच हजार करोड़ रुपये करेंगे?

श्री राम विलास पासवान : जो प्राइस स्टेब्लाइजेशन फंड है, वह पाँच सौ करोड़ रुपये से शुरू हुआ था, लेकिन अभी सात हजार करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है।

जहां तक दाल का सवाल है। अभी 22 आवश्यक वस्तुएं हैं, लेकिन जो एम.एस.पी. है, इसके अनुसार हम सिर्फ चावल तथा गेहूं खरीदते हैं, बाकी चीजें हम नहीं खरीदते हैं। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, जब सरकार ने देखा कि दाल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, तो हमने बफर स्टॉक बनाने का निर्णय लिया। हमने पहले डेढ़ लाख टन किया, फिर हमने पाँच लाख टन किया, अब हमने इसे बढ़ाकर 20 लाख टन कर दिया है। इसी बीच सरकार द्वारा निर्धारित वस्तुओं के जो दाम हैं, यह विडंबना है कि जब वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं तो लोग कहते हैं कि थाली से दाल निकल गयी, जब खरीद कम हो जाती है, तो किसान विरोध करते हैं। हम इसका उपयोग दोनों के लिए कर रहे हैं।

अभी जैसा कि हमारे स्टेट मिनिस्टर जी ने बताया कि हमने 11 से 13 लाख टन डोमेस्टिक खरीद किया है और चार लाख टन इम्पोर्ट किया है। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें एकाएक लोड पड़ गया है। जैसा कि मैंने कहा कि 163 लाख टन से बढ़कर 221 लाख टन हो गया है, तो यह स्वाभाविक है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें थोड़ी कमी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना संभव हो सके, दाल की अधिक से अधिक खरीद की जाए और जो भी खरीद हो रही है, वह एम.एस.पी. के रेट पर हो रही है।

DR. SHASHI THAROOR : Thank you very much Madam Speaker. Madam Speaker, the Government takes satisfaction in the idea that prices have not gone up

because of demonetisation. But, when prices go down, they hurt some very essential people in our society. I would like to speak of the plight of the fishermen in my community and in Thiruvananthapuram, but it is also true across the coastline of India. We are looking at these people who are in a pathetic condition. They catch a few fish. You see these women sitting on the ground, trying to sell a few fish and no one has cash to pay them. We cannot tell them to go digital. We cannot ask for digital India when the rental of a credit card machine will exceed their week's profits. I ask you, Madam Speaker, can we do something to ensure that the most vulnerable sections of our economy are protected in the course of the consequences of demonetisation? Thank you, Madam Speaker.

माननीय अध्यक्ष : पहले तो आप यह बताएं कि क्या आप फिश खाते हैं?

...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदया, हम लोगों ने यह बार-बार कहा है कि चाहे डिजिटलीकरण का मामला हो, चाहे पी.डी.एस. में आधार कार्ड का मामला हो, हमारी सरकार की नीयत भ्रष्टाचार को रोकने की है। लोगों को सही दाम मिले, मजदूरों का शोषण नहीं हो, मजदूरों की जितनी मजदूरी होती है, उनको उतना पैसा मिले। इनके लिए ही यह योजना बनाई गई है, लेकिन जिनके पास डिजिटलीकरण की सुविधा नहीं है या जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनको राशन नहीं मिलेगा या उनका सामान नहीं बिकेगा, मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई नियम नहीं है।

श्री मोहम्मद सलीम: मछली उनके डिपार्टमेंट से बाहर है, ऐसा लगता है।...(व्यवधान) मैं पानी से जमीन पर आता हूँ।...(व्यवधान) मैंने इसलिए उनको कह दिया।...(व्यवधान) उनको जवाब नहीं मिला, ऐसा बोलते हैं।

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने पूछा कि फिश हो, सब्जी हो।

...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम: उन्होंने छोटी मछली, छोटे व्यापारी की बात की है। अब ये बड़ी-बड़ी मछलियों की बात कर रहे हैं।

मेरा सवाल कृषि उपज से संबंधित है। आपने कहा कि प्राइस स्टैब्लाइजेशन फंड के तहत आप जो काम कर रहे हैं, उससे फायदे नजर आ रहे हैं और कीमत में भी यह दिखाया कि तीन महीने के अंदर कितना फर्क आया। आपने आलू, प्याज, टमाटर, ऐसी 3 सब्जियों के नाम बोले हैं, और भी कई सब्जियां हैं,

22 आइटम्स को आप मानिटर करते हैं, लेकिन 3 सब्जियों की बात आपने कही है। आप जो थोक मूल्य और खुदरा मूल्य कह रहे हैं, क्योंकि आप कंज्यूमर डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन कृषि मंत्रालय के साथ आपका क्या ऐसा तालमेल रहता है कि किसानों को क्या कीमत मिल रही है। आप यहां दिखा रहे हैं कि आलू 21 रुपये से 13 रुपये किलो हो गया। आप खुद कह रहे हैं कि दाल, चावल, गेहूं आप किसानों से लेते हैं, प्रोक्योर करते हैं, लेकिन इन सब्जियों के प्रोक्योरमेंट का कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो **how do you think to protect the interests of the agriculturists?** आप कह रहे हैं कि आप उसकी आमदनी बढ़ायेंगे, तो क्या इससे नजर नहीं आ रहा है कि यह घट रहा है। खासकर मैं आलू के बारे में कह रहा हूं, चूंकि मैं बंगाल से आता हूं और आलू की खेती करने वालों पर बहुत बड़ी मार पड़ रही है।

श्री अधीर रंजन चौधरी: सुसाइड कर रहे हैं। एक आलूचासी ने खुदकुशी की। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, सब बंगाल के हैं।

... (व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी: एकदम असत्य बात है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है?

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

... (Interruptions) ... *

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठिए। अधीर रंजन जी, बैठिए।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Members, this is not proper.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : सवाल आलू पर था, मगर आपने दोनों में झगड़ा करवा दिया।

श्री राम विलास पासवान : महोदया, जहां तक आलू का सवाल है, तो 8.11.16 को आलू की कीमत 21 रुपये 25 पैसे थी, जो 23.03.2017 को 13 रुपये 47 पैसे हो गई। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र कुमार, शार्ट क्वेश्चन।

... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष जी, मैं वीरेन्द्र सिंह हूं, वीरेन्द्र कुमार नहीं हूं। ... (व्यवधान)

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : ओह सारी, वीरेन्द्र कुमार जी इधर बैठे हैं। वीरेन्द्र कुमार जी ज्यादा प्रश्न पूछते हैं न।

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल की तरफ उपभोक्ता मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि भारत के किसान से जो उसकी खरीद होती है, वह खरीद ट्रांसपोर्ट करके कहीं जिला हेडक्वार्टर या दूसरी जगह ले जाकर डंप की जाती है। फिर उसे वहां से ले जाकर वितरण प्रणाली के अंतर्गत वही अनाज बांटा जाता है। इससे गरीबों को सस्ती दर पर अनाज मिलने की जो व्यवस्था है, वह महंगी हो जाती है। जब उसे यहां से वहां ले जाते हैं तो 25 से 30 फीसदी नुकसान हो जाता है, इसके भी आंकड़े आते हैं।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इस तरह की योजना बना सकती है कि स्थानीय स्तर पर जो खरीद हो, वितरण के लिए स्थानीय स्तर पर ही रहे, जिससे उसके मूल्य की बढ़ोत्तरी न हो और उसके नुकसान की भी कोई गुंजाइश न हो?

श्री राम विलास पासवान : यह सरकार की मंशा है और हमको सबसे ज्यादा खुशी होगी, यदि राज्य सरकारें अधिक से अधिक खरीदें और अधिक से अधिक उसे पीडीएस में बेचने का डी.पी.एस. काम करें। बहुत सारे डी.सी.पी. स्टेट्स हैं, जैसे बिहार डी.सी.पी. स्टेट है। वहां हम नहीं खरीदते हैं, राज्य सरकार ही वहां खरीदती है। उत्तर प्रदेश और कुछ दूसरे राज्य हैं, जो दोनों करते हैं। हम हरियाणा, पंजाब से लाकर, गेहूं और चावल बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरी जगहों पर देते हैं, यदि वहीं पर उसे खरीदा जाएगा तो इससे ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बच जाएगी। मैं माननीय सदस्य से इस बात से सहमत हूं कि राज्य सरकारों को अधिक से अधिक और कम से कम नहीं तो जितना टारगेट देते हैं, उतना खरीदना चाहिए।

जहां तक अनाज का सवाल है, हम कानून के तहत अनाज गोडाउन तक ले जाते हैं, उसके बाद राज्य सरकार को सौंप देते हैं। राज्य सरकार उसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है।

(Q. 362)

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT : Madam, today is *Gudi Padwa* and I would like to extend my wishes to you, to all my colleague MPs and everyone across the country.

Madam, the Central Industrial Security Force (CISF) is a very good Force, which is doing a wonderful job of protecting all the vital installations of the Government of India. CISF *jawans* are dedicated, disciplined and very efficient. However, I would like to know from the hon. Minister whether it is true that all the airports except that of Jammu and Srinagar are being protected by CISF. I would also like to know from the hon. Minister as to what are the reasons thereof.

SHRI KIREN RIJIJU: Madam, since 2000 when the Government of India decided to hand over security of airports to CISF to till date, CISF has taken over a total of 59 airports across the country.

The hon. Member mentioned about the airports in Srinagar and Leh. These airports are under the protection of the Central Reserve Police Force (CRPF), which is also the Central armed police force. But the majority of the airports, as I mentioned, are under CISF protection. There is a discussion going on with the Ministry of Civil Aviation to ensure a common command structure, where CISF can take over the entire important airports across the country.

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT: Madam, I have very specifically asked as to why these airports are not being given CISF protection. All the airports in the country are equally important. The terrorists will study the structure and target the soft places where they can easily intrude. I think, it is very important to have good security at all the airports.

My second supplementary to the hon. Minister is, whenever we go at the airport, the first person that we encounter is a CISF *jawan* who is checking the airline tickets. He is trained to fight with terrorists and not to check tickets at the airport. Is it not possible to replace all these people with some airline staff and have some non-CISF persons, who are given jobs at the airport because we spend

crore of rupees in training the CISF *jawans*? So, I think this is a very important matter to look into. I would like to know from the hon. Minister whether he will think of replacing the CISF *jawans*, who are posted today for checking the airline tickets with non-CISF people?

The second very important point I would like to raise is that when a CISF *jawan* is killed on duty, the compensation that his family gets is very meager whereas in case of an Army personnel, the compensation is higher. In the future course of time, is there any plan of giving a higher compensation even to the CISF *jawan*'s family, when he is killed on duty?

SHRI KIREN RIJJU: Madam, the hon. Member has raised two to three important points. As I mentioned earlier also, recently we had a serious discussion with the Ministry of Civil Aviation to ensure that all the airports in India are secured.

The hon. Member is right that terrorist threat cannot be confined to a few important metropolitan airports only. We have some of the airports across the country, especially in the smaller rural areas, which could be misused by the terrorists to act on their designs. I would like to inform the House that security audit process is going on. We have formed a Committee, which is visiting at various airports. We are also integrating the State police in this task because the periphery of the airport security should be supplemented by the State police force. However, CISF has been a specialised force to guard airports. Besides, out of 494 important installations, 329 are with CISF now. We would like to ensure that every airport in India is secured.

Secondly, the hon. Member mentioned about the way in which passengers are treated or frisked at the airports. Various experimental steps are being taken and you must have noticed now that there is a marked improvement in the way CISF is conducting security, frisking and checking in that process.

If there are good suggestions, we would welcome them from all the hon. Members of the House.

HON. SPEAKER: Shri Dhananjay Mahadik – not present.

SHRI ASHOK SHANKARRAO CHAVAN: Madam Speaker, you are aware that the critical national infrastructure project was undertaken by the Union Home Ministry post-2008, particularly after the Mumbai terror attacks which took place. The lack of critical national infrastructure plan hints at the Government's lack of preparedness to address the potential security challenges facing India despite the concerns being raised in this very House on several occasions.

Madam, we have all experienced that water supply to Delhi was stopped by protesters who damaged the Munak regulator which is on the Munak Canal and is responsible for providing two-thirds of water supply to Delhi. Again, in March, 2017, there was a threat by the protesters that they would attack the Delhi Metro services.

In the background of all these things happening, I would like to know from the hon. Minister that in view of the repeated attacks by the protesters on the national infrastructure projects, which are of vital importance, what the Government has done to expedite the CNI protection plan so that such people, whether they are protesters or terrorists, cannot use such installations as a leverage against the Government to make their demands. What exactly is the Government going to do about this?

SHRI KIREN RIJJU: Madam, in continuation of what I have stated earlier, recently, the Ministry of Home Affairs has re-categorised those vital installations which are very critical to India's economy as well as security. There are five categories which have been defined recently. If the hon. Member desires, I can supply it to him because it is quite a lengthy one page, but to inform the hon. House, I would say that it has been re-categorised.

If you see the vital installations of the country, how do we define 'vital installations'? 'Vital Installations' are those establishments, installations or units which are very critical to the citizens of this country. It does not cover only the security, but even the food products, oil, power supply, all important materials

which cannot be easily replaced if the supply chain is disrupted. So, there is a categorization of the entire process. We are very much aware of the situation.

The hon. Member, Chavan *saheb* mentioned about water supply, canal and all that. We are abreast of the situation. There will be adequate steps taken even if challenges are there in the future also.

श्री जगदम्बिका पाल: अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल पर पूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया। माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि सी.आई.एस.एफ. देश के एयरपोर्ट्स की सुरक्षा का दायित्व निभा रहा है। सी.आई.एस.एफ और सरकार के लिए यह संतोष का विषय है कि उसने इसे टेकओवर किया है, तब से एक भी घटना न हाइजैकिंग की हुई और न कोई सुरक्षा में चूक हुई है।

इसके साथ-साथ सी.आई.एस.एफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और नेशनल मोन्यूमेंट्स की भी सुरक्षा करती है। मैं राष्ट्रीय स्मारक के बारे में सवाल पूछना चाहता हूँ। भारत सरकार के कल्चर डिपार्टमेंट का बुद्धिस्ट सर्किट में बर्थ प्लेस ऑफ लार्ड बुद्धा के जन्म स्थान पर राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना हुई है। उसमें बुद्ध के कास्केट रखने का प्रस्ताव है, उसका निर्णय हो चुका है, लेकिन सी.आई.एस.एफ. की सुरक्षा न होने के कारण नेशनल म्यूजियम में बुद्ध के कास्केट को नहीं रखा जा सका है। बुद्धिस्ट सर्किट में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग आते हैं। माननीय मंत्री जी इस बात को आश्वस्त करेंगे कि वहां सी.आई.एस.एफ की सुरक्षा दी जाए। वह भारत सरकार के कल्चर डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय संग्रहालय है, जिनमें बुद्ध के कास्केट को रखा जा सके।

श्री किरन रिजीजू : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछने के साथ-साथ बहुत अच्छा सुझाव दिया है। मैंने पहले भी कहा है कि सिर्फ एयरपोर्ट्स ही नहीं, देश के पावर प्लांट्स, न्युक्लियर प्लांट्स या कोई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, ताजमहल जैसी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स या जो भी इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं, उन सबको सिक्योरिटी सीआईएसएफ के माध्यम से दी जाती है। हमारे पास लेडाउन रूल्स हैं कि प्राइवेट आर्गनाइजेशन या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का कोई इम्पोर्टेंट मान्युमेंट, जिसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है, उसकी अगर लिखित रूप में रिक्वैस्ट आती है, तो हम आईबी, सिक्योरिटी एजेंसी के माध्यम से थ्रैट परसेप्शन का पूरा सिक्योरिटी ऑडिट करते हैं, फिर होम मिनिस्ट्री उसे सिक्योरिटी देती है।

HON. SPEAKER: Shri Baijayant Panda, please ask a short question only.

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA: Madam, I will put a very short question. The Central Industrial Security Force (CISF) started out by guarding public sector

industrial installations, and as the hon. Minister has pointed out that it still does hundreds of other such installations.

The issue is that it is covering very different kinds of installations like industrial, airport, etc., which require different skills. In the rest of the world transport security has become a specialized subject such as in the USA where you have got Transport Security Authority and they are specialized for that. If we do not do that, then it is a jack-of-all-trades approach and despite the CISF having many good officers / *jawans*, it will never be fully optimal and as the hon. Member has pointed out, it can be sub-optimal.

You are talking to the Civil Aviation Ministry. Why do you not talk to the Railway Ministry or the Surface Transport Ministry? I am saying this because transport as a whole requires a specialized security apparatus and properly trained personnel with proper infrastructure. Will the hon. Minister agree that he should also initiate discussions with these other Ministries and discuss about having an overall National Transport Security Authority?

SHRI KIREN RIJIJU : Madam, the hon. Member has raised various issues. Let me be very specific to one of the queries, for example, Railways. We have a special Railway Protection Force whose Director General is an IPS Officer sent through the Ministry of Home Affairs to ensure that the security system in railways is taken care of because railways is the lifeline of the country.

The hon. Member also mentioned about specialized training for acquiring special skills to handle various situations. These are being taken care of and CISF has evolved as a very specialized Force not only for installations, but also for VIP security. CISF with its strength raised from 1,40,000 authorized now to 1,80,000 is a very big Force. It has various categories already adopted in its own way and it has its method of training its people for various purposes. So, the concern is very well taken care of.

Hon. Member, Shri Baijayant Panda, has also put certain suggestions. We have taken note of them. Yesterday only, the Home Minister chaired the

Coordination Meeting with the Railway Minister where I was also present. We have already discussed about various issues concerning railway security also.

(Q. 363)

श्री ओम बिरला: माननीय अध्यक्ष महोदया, इस सरकार में हमारे अर्द्ध सैनिक बलों का आत्मविश्वास बहुत बढ़ा है। देश की 11 हजार किलोमीटर से ज्यादा सीमा की सुरक्षा ये अर्द्धसैनिक बल ही करते हैं। हमारे सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवान कश्मीर के आतंकवादियों से संघर्ष भी करते हैं।

अध्यक्ष महोदया, मेरा सरकार से निवेदन है कि अर्द्धसैनिक बल का जवान जो आतंकवादियों से संघर्ष करता है, क्या सरकार उसे शहीद का दर्जा देने के बारे में विचार रखती है? इसके साथ-साथ क्या सरकार उसके परिवार के लिए कोई विशेष सहायता देने का विचार रखती है?

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : अध्यक्ष महोदया, सम्माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि जो भी जवान ऐसे संघर्ष में मुकाबला करते समय मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उन्हें शहीद ही माना जाता है।

उन्हें अपनी रक्षा और मुकाबला करने के लिए आवश्यक सारे नए उपयुक्त आधुनिक साधन एवं वेपन्स दिए जाते हैं। हम सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था करते हैं।

श्री ओम बिरला: अध्यक्ष महोदया, इस आधुनिक दौर में जहां हमारे सैनिक आतंकवादियों से लड़ते हैं, वहीं आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से नक्सलवाद एवं माओवाद से भी हमारा संघर्ष होता रहता है। यह संघर्ष हमारे अर्धसैनिक बल एवं राज्यों की पुलिस करती हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि देश-विदेश में जो नए अपग्रेडेड उपकरण हैं, जिनसे हम दुश्मनों का मुकाबला कर सकें, देश-विदेश में जहां भी उन साधनों एवं उपकरणों पर रिसर्च हुई हो, क्या सरकार उनको वहां से लाकर हमारे सैन्यबलों को उपलब्ध कराएगी? माओवादियों एवं नक्सलवादियों से संघर्ष करने के लिए, उन इक्विपमेंट्स एवं साधनों को वहां से लाकर, बेहतर तरीके के हथियार देने की क्या सरकार की कोई योजना है?

श्री हंसराज गंगाराम अहीर: महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं उसके बारे में डिटेल्स बताना चाहूंगा। सभी अर्धसैनिक बलों को सभी नए-नए उपयुक्त इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं। चाहे एलडब्ल्यूई क्षेत्र में काम कर रहे सैनिक हों या कश्मीर में हों, हमने कई आधुनिक उपकरणों के लिए प्रावधान किए हैं। हमारे आधुनिक उपकरणों जैसे एंटी रायट इक्विपमेंट्स में फुल बॉडी प्रोटेक्टर, बुलेट रेसिस्टेंट जैकेट, बुलेट रेसिस्टेंट हेलमेट एवं अन्य जो उपकरण लगते हैं, वे सभी चीजें देने की हम व्यवस्था करते हैं। पिछले वर्ष जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों ने आंदोलन बहुत बढ़ा दिया था, उस समय हमने वहां सीआरपीएफ की मदद के लिए आईटीबीपी और एसएसबी को भेजा था। इन सभी के लिए हमने 20 करोड़ रुपये, दस करोड़ रुपये, इस तरह से तीनों को अलग-अलग धनराशि उपलब्ध कराई थी, जिससे उन्होंने एंटी रायट

इक्विपमेंट्स में सारी चीजें खरीदी थीं। उसमें वहां पर यूज करने के लिए लेथल वेपन की भी व्यवस्था की गयी थी और प्रोटेक्टिव गियर एवं अन्य चीजों को यूज किया गया था। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, हमने नई-नई तकनीकें एवं उपकरण दिए हैं जैसे अनमैन्ड एरियल वेहिकल्स दिए गए हैं। उसमें हैण्ड हेल्ड थर्मल इमेजरी भी ली गयी है, जो अंधेरे में देखने के काम आती है। लेज़र रेंज फाइंडर भी दिए गए हैं और पीएनवी भी दिए गए हैं, जो नाइट विजन डिवाइस है। साथ ही, अभी ड्रोन का भी उपयोग किया जाता है और हमने फ्यूचर में मल्टी सिस्टम सेंसर को परचेज करने की भी अनुमति दे दी है। आईईडी डिटेक्ट करने के लिए एक एनएलजेडी, जो एक नई तकनीक है, के प्राक्योरमेंट के लिए भी हमने अनुमति दी है।

श्री सुल्तान अहमद: मैडम, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

मैडम, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ आदि के जवानों की हत्या होती है, वे आतंकवादियों के हाथों मारे जाते हैं। हमारे देश में जो रेड जोन है, वे वहां भी मरते हैं। सरकार ने प्रोटेक्टिव मेजर्स का एलान किया है, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं आ रही है। सोशल एस्पेक्ट्स को देखते हुए, क्या सरकार यह सोच रही है कि उन लोगों से बात की जाए, जो रेड जोन में हमारे साथ मुकाबला कर रहे हैं? आज के माहौल में हम आतंकवादियों से भी बात कर रहे हैं, नॉर्थ-ईस्ट में हमने वहां के आतंकवादियों से बात की है, इसी तरह से रेड जोन एरिया के बारे में क्या सरकार के पास कोई सुझाव विचाराधीन है कि उनसे बात करके उनको मेनस्ट्रीम में लाया जाए? राजनाथ सिंह जी अगर इसमें हस्तक्षेप करें तो अच्छा होगा। क्या ऐसा कोई सुझाव सरकार के पास है?

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न मूल प्रश्न से सन्दर्भित नहीं है। If hon. Minister wants to respond, I have no objection. यह प्रश्न अलग है।

...(व्यवधान)

(Q. 364)

SHRI HEMANT TUKARAM GODSE: Madam Speaker, as per birth statistics, the number of babies born with birth defects is 4,700 per day. There are many model projects under umbrella Scheme, that is, 'Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme (DDRS)' for providing welfare and empowerment of the disabled. However, most of the model projects take care of persons after the detection of disease when it is too late because the disease is at a certain stage and cannot be cured soon. If DDRS focuses on early intervention projects by taking up new born screening programme, then there can be early diagnosis of the common genetic disease that can lead to disabilities.

I want to ask the hon. Minister, through you, Madam Speaker, whether the Government is planning to focus and strengthen the early intervention project so that tests could be conducted immediately before or after the birth of the child and the disease could be cured in its early stages. This will also help to reduce the percentage of disabled, the Government will be able to save expenses on their long-term welfare and also the family will be happy and healthy.

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन मैंने मंत्रालय की ओर से इस दिशा में बहुत कुछ करने का प्रयास किया जा रहा है। दिव्यांगता न हो, इसके उपाय स्वास्थ्य मंत्रालय से शुरू होते हैं। गर्भ में बच्चा होता है, तब से लेकर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी चिकित्सीय जांच-पड़ताल की जाती है। हमारा विभाग भी इस प्रकार की जांच करता है, जैसे बच्चा पैदा हुआ तो वह चार-छः महीनों के बाद सुन सकता है या नहीं सुन सकता है, वह बोल सकता है या नहीं बोल सकता है, उसके शरीर में और किसी प्रकार की दिव्यांगता के कोई लक्षण हैं या नहीं हैं, इस प्रकार का जांच कार्य हम प्रारंभ कर चुके हैं और जांच कर भी रहे हैं और पता लगने के बाद हम यह प्रयास करते हैं कि उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाये, उनको प्रशिक्षण मिल जाते। हम उन्हें उपकरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करते हैं और पुनर्वास करने की दृष्टि से भी कार्य-योजनाएँ संचालित की जा रही हैं।

SHRI HEMANT TUKARAM GODSE: Madam Speaker, under DDRS, the Central Government provides financial assistance to NGOs working for the

welfare of disabled persons. But due to a very long process, NGOs are not able to get funds due to some irregularities. In my Nashik Parliamentary Constituency, a well-known and dedicated Asha School working under the Defence control has not received funds for the last three years. Also, in some cases, it is observed that there is a difference in the number of beneficiaries and funds allocated for them. For example, as per the information provided in Parliament in respect of Madhya Pradesh, for 2012-13, the number of beneficiaries was 22,709 and the fund allocated was Rs. 1.2 crore. Next year, the number of beneficiaries came down from 22,709 to 767 and the fund allocated was Rs. 1.35 crore. Why is there such a difference? In other Government schemes, Aadhaar Card is being linked with the bank accounts to give the benefits directly to the beneficiaries. The Government has provided a separate Unique Disability ID for the disabled persons.

I want to ask the hon. Minister, through you, Madam Speaker, whether the Government is planning to link Unique Disability ID for the disabled persons to avoid irregularities and to make the process transparent and smoother.

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, दिव्यांगों को उपकरण बांटने के बारे में बहुत पहले से प्रावधान है। उसके संबंध में बहुत सारी शिकायतें आती थीं कि उन्हें वह मिलता है या नहीं मिलता है, किसको मिलता है, कैसे मिलता है, कहां देते हैं, उसमें पारदर्शिता है या नहीं, ये सभी समस्याएँ थीं। उनको हल करने के लिए लीकेज रोकने के लिए, बेईमानी, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नरेन्द्र मोदी जी जब प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने हमें निर्देशित किया, उसके आधार पर हमारे मंत्रालय ने डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर स्कीम लागू की है। उसके साथ ही साथ जो आवेदन आते हैं, वह ऑनलाइन आवेदन आर्येंगे, इस प्रकार की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अब होता यह है कि कलैक्टर को संबंधित एनजीओ अपना प्रस्ताव ऑनलाइन प्रस्तुत करता है। फिर, वह उचित होता है तो कलैक्टर उसे राज्य सरकार के पास भेजता है और राज्य सरकार केन्द्र के पास भेजती है। अब इस प्रक्रिया के लागू होने के बाद उसमें काफी विलंब होता है।

मान लीजिए कि वहां से एक साल में बीस प्रस्ताव आ गये और दूसरे साल दस प्रस्ताव ही आए तो आबंटन में कमी और बढ़ोत्तरी होती है। इसके लिए हमारा मंत्रालय दोषी नहीं है। उनके क्षेत्र में देवलाली आशा स्कूल, जो स्कूल आफ आर्टिलरी के माध्यम से संचालित है। इन्हें दो वर्ष कोई पैसा नहीं दिया गया। वर्ष 2014-15 में इनके 27 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए और वर्ष 2015-16 में 21 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

बीच के दो साल उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव ही नहीं आए। वर्ष 2015-16 का प्रस्ताव अभी जनवरी-फरवरी में आया है। हमारी इस विषय में कुछ क्वैरीज थीं। हमने उन्हें पत्र लिखा है और मैं माननीय सांसद से निवेदन करूंगा कि वे उसकी पूर्ति करवा दें, हम जरूर अनुदान देंगे।

श्रीमती रमा देवी: महोदया, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि देश में आज की तारीख में निःशक्तजनों की कितनी संख्या है और क्या सभी निःशक्तजनों को पुनर्वास की सुविधा मिल रही है? अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका क्या कारण है?

मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ।

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाएं, केवल एक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है।

श्रीमती रमा देवी: महोदया, जो अनुमानित राशि आबंटित की जाती है, हम हर साल के आंकड़े देख रहे हैं कि जितनी राशि आबंटित की जाती है, उससे कम विमुक्त होती है, इसका क्या कारण है?

श्री थावर चंद गहलोत : महोदया, पहले माननीय सांसद जी ने एक बात कही थी कि क्या यूनिवर्सल आईडेंटिटी कार्ड बना रहे हैं या नहीं। मैं इस प्रश्न का उत्तर देना भूल गया था। यह बात सही है कि हमारे मंत्रालय ने इसका निर्णय लिया है और देशव्यापी यूनिवर्सल आईडेंटिटी कार्ड हम बना रहे हैं। अभी जो आईडेंटिटी कार्ड बनाने का प्रावधान है, वह जिला स्तर पर और एक जिले का परिचय पत्र दूसरे जिले में मान्य नहीं होता है, एक प्रदेश का परिचय पत्र दूसरे प्रदेश में मान्य नहीं होता है। अब जो कार्ड बनाया जाएगा, वह सारे राज्यों में मान्य होगा। भारत सरकार और राज्य सरकार की जो-जो योजनाएं हैं, उन सभी का लाभ लाभार्थी को मिलेगा।

माननीय सदस्या ने पूछा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुमान से 2 करोड़ 68 लाख दिव्यांगों की संख्या है। हमने देशव्यापी सर्वे कराने का निर्णय किया है, इसके आधार पर सही संख्या का निर्धारण आएगा और हमें सही आंकड़े पता लेंगे। एक प्रश्न दोहराया गया है कि मांग के अनुसार कम या ज्यादा खर्च क्यों होता है, इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए हमने पांच करोड़ रुपए की राशि दी और उस पैसे का उपयोग करके यदि हमें यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट दिया जाता है, तभी हम दूसरी किश्त देते हैं। इस प्रकार की पद्धति के कारण कम या ज्यादा खर्च होना स्वाभाविक है।

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) : Madam, according to the Census 2011, the number of people with disabilities stands at 2.68 crore which is an increase of 22.4 per cent from the Census 2001. A large number of the disabled, around 54 lakh, people suffer from physical disability. Despite the

increase, facilities for the disabled in public as well as private institutions are surely lacking.

A World Bank Report notes that there is growing evidence that people with disabilities comprise four to eight percent of the Indian population, that is, around 40 to 90 million individuals. In the public sector, only 10.2 per cent of all posts in Ministries/Departments had been identified as suitable for disabled people and only 0.37 per cent were filled up. Therefore, availability of jobs is very low and the rate of employment even lower.

May I know from the hon. Minister whether the Government plans to make Government institutions, colleges and schools disabled-friendly? If yes, details thereof and if not, reasons thereof? How does the Government plan to increase the employability of disabled people and the number of jobs to be made available to them in the near future?

श्री थावर चंद गहलोत : महोदया, हम स्कूल में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को ही इस प्रकार की सुविधाएं देने का काम करते हैं। मैं संबंधित आंकड़े दे सकता हूं, परन्तु मूल प्रश्न का उत्तर देते हुए कहना चाहता हूं कि हमारा दिव्यांग वित्त निगम है, जो लगभग 17 ट्रेड में उन्हें कुशल प्रशिक्षण देता है। जिसकी रुचि जिस ट्रेड में है, उसके अनुसार ट्रेनिंग दी जाती है। हमने वर्ष 2014-15 से इस काम को सक्रियता से करना शुरू किया है। अभी तक हमने लगभग 46 हजार दिव्यांगजनों को भिन्न-भिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण दिया है। उनके पुनर्वास के लिए और उद्यमिता के क्षेत्र में उन्हें प्रवेश दिलाने की दृष्टि से पूंजी निवेश की व्यवस्था करने के लिए दिव्यांग वित्त विकास निगम चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है और यदि महिला दिव्यांग है, तो तीन प्रतिशत की दर पर ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा है।

इसके अलावा भारत सरकार की अन्य योजनाएं जैसे जन-धन योजना, मुद्रा योजना, अनुसूचित जाति वेंचर कैपिटल फंड आदि योजनाओं का लाभ भी उन्हें मिल सके, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर भी हम प्रयास कर रहे हैं।

(Q. 365)

SHRI TATHAGATA SATPATHY: Madam, Odisha has a long coastline of about 476 plus kilometres. There are reports which regularly come out in the local media, of contraband being brought in by the sea route. Illegal fishing is continuing there as also aliens are there in one district of Kendrapara. The Government estimate of aliens is around 3,987 who have settled there along the coast; in Jagatsinghpur, the estimate is around 1,649 people who have settled there. Most of them are from Bangladesh. But, now reports say that people from other countries are also moving in and settling along the Odisha coast. I would like to know whether the Government has any concrete plans to keep a watch, surveillance or tighten the Coast Guard along the Odisha coastline. What positive steps have they thought of taking especially focused on Odisha?

SHRI KIREN RIJJU: Madam Speaker, the hon. Member has rightly pointed out that Odisha has been facing certain encroachments from the illegal migrants, maybe through the coastal region or through the land route. We all know that the illegal migrants from Bangladesh are spread across the country. In 2014, the Government of India has issued a direction to all the State Governments to constitute a Special Task Force in every district especially those that are being seen as a potential area where illegal Bangladeshis are coming and settling. The hon. Member mentioned about Kendrapara where the largest number of illegal Bangladeshis are found. That is a coastal region. I would rather seek the support of the hon. Member and the State Government in this regard. Since the authorization for detection, identification and interception is with the State Government, we have to work in close coordination. The Central agencies are there to ensure that the porous borders are taken care of. The coastal security measures especially the comprehensive and integrated coastal security measures adopted by the Government of India need to be supported by the State Government. So, it is a combined effort. I would agree that Odisha is facing a problem. I feel that it is not a situation that is very alarming.

SHRI TATHAGATA SATPATHY: Madam, my second supplementary is slightly removed from the main question. This is something that is happening the other way round. In Balasore District there is an area called Jaleswar where we have a River called Subarnarekha. Every day, tonnes of sand is being smuggled out by smugglers not so much from Arunachal but mostly from other border State of West Bengal and dumped across the border in Bangladesh. We would be very happy if it goes to the North East. But, it is mostly going into Bangladesh.

And this sand contains very valuable minerals. So, the State Government is losing a lot of revenue. Is the Union Government aware of this and would they like to take any action or because it is Odisha they would like to ignore it? That is my specific question.

HON. SPEAKER: You do not say something like 'because it is Odisha'.

SHRI KIREN RIJJU: The hon. Member always expresses a special concern about the North-East whenever he delivers a speech or puts a question and I thank him for that. But the concern which he has raised is something not in our purview or not in the knowledge of the Home Ministry right now - I am talking about the specific incidents of sand, gravel and the other materials which the hon. Member mentioned – but we will try to find out information about his concern and try to address it in consultation with the State Government of Odisha.

12.00 hours**PAPERS LAID ON THE TABLE**

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : माननीय अध्यक्ष महोदया, अधिसूचना सं.का.आ.371(अ) जो 8 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अधीन जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्न/खाद्य सब्सिडी के रोकड़ अंतरण की प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए आधार सं./आधार अधिप्रमाणन की अपेक्षा को समाहित किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका शुद्धिपत्र जो 6 मार्च, 2017 को अधिसूचना सं.का.आ. 752(अ) में प्रकाशित हुआ था (केवल हिन्दी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 6758/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI RAMDAS ATHAWALE): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Report (Hindi and English versions) under Section 15A(4) of the Protection of Civil Rights (PCR) Act, 1955, for the year 2015.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6759/16/17]

- (3) A copy of the Report (Hindi and English versions) under Section 21(4) of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities Act, 1989, for the year 2015.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 6760/16/17]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रा सभा पटल पर रखता हूँ :

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा(2) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (एक) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 1994-95, 1997-98 से 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 1994-95, 1997-98 से 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त(1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले नौ विवरण(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6761/16/17]

- (3) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उप-धारा(3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (1) कीटनाशी (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 जो 6 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.नि.का. 106(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (2) कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2017 जो 1 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.नि.का. 79(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 6762/16/17]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गूर्जर): माननीय अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा(1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-
 - (एक) आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कानुपर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिपपणियां।

(2) उपर्युक्त(1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6763/16/17]

(3) (एक) द इंडियन स्पाईनल इंजुरीज सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) द इंडियन स्पाईनल इंजुरीज सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6764/16/17]

(5) (एक) भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर के वर्ष 2015-2016 की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6765/16/17]

(7) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटीज, सिकंदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटीज, सिकंदराबाद के वर्ष 2015-2016 की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6766/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,
FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI C.R. CHAUDHARY): I beg to lay
on the Table:-

- (1) A copy of the Food Corporations (Amendment) Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.202(E) in Gazette of India dated 6th March, 2017 under subsection (5) of Section 45 of the Food Corporations Act, 1964.

[Placed in Library, See No. LT 6767/16/17]

- (2) A copy of the Notification No. G.S.R.142(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 17th February, 2017, regarding Factory-wise FRP of sugarcane for 2015-16 under sub-section (6) of Section 3 of the Essential Commodity Act, 1955.

[Placed in Library, See No. LT 6768/16/17]

12.02 hours**BUSINESS ADVISORY COMMITTEE**
42nd Report

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): I beg to present the Forty-Second Report of the Business Advisory Committee.

Madam, this is my first time ever even though my name is always mentioned.

12.03 hours**JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT**
19th Report

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : महोदया, मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का 19वाँ प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : कार्य स्थगन संबंधी प्रस्ताव में कोई महत्त्वपूर्ण विषय नहीं है, इसलिए उसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

Adsul-ji, I have received your notice on Question of Privilege. The matter is under my consideration.

...(व्यवधान)

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : अध्यक्ष महोदया, मैं इसी सदन के एक माननीय सांसद के प्रिविलेज का सवाल उठाना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हें कल अरेस्ट कर लिया गया है। मैं जिस सरकार के बारे में कहने जा रही हूँ, हम सभी उस सरकार के साथ हैं। मैं सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि जिस तरह से पुलिसिया तंत्र ने यह काम किया है और जिस तरह से एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा किया गया है, यह बिलकुल सही नहीं है। लोकतंत्र में विधान सभा का घेराव करना, गवर्नर हाउस का घेराव करना, क्या यह गलत है?...(व्यवधान) यदि शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, अगर बिहार सरकार कुछ चीजों पर गलतियाँ कर रही है, तो क्या प्रोटेस्ट करना गलत है? आंदोलन के दौरान लोगों को डिटैन किया जाता है और शाम को छोड़ा जाता है।...(व्यवधान) सांसद को आठ बजे तक घर के अंदर नज़रबंद करके रखा गया। उन्होंने आपको भी फोन किया। आठ बजकर दस मिनट पर उन्हें कहा जाता है कि 24 जनवरी को जब गवर्नर हाउस का घेराव किया था, उसका वारंट इश्यू कर रहे हैं और रात को सीजीएम कोर्ट लेकर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार छह बजे के बाद अरेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। क्या इस लोकतंत्र में कोई भी आंदोलन न करे और जिस साजिश के तहत उन्हें बोला गया कि डीएसपी कह रहा है कि इन्हें आज बहुत जबरदस्त पीटा जाएगा। क्या आंदोलनकारियों को मारने की, उनकी हत्या करने की साजिश की जाएगी। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि क्या इस तरह से पुलिस द्वारा डराया जाएगा कि आगे से कोई भी आंदोलन न करे?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाएं, आपकी बात समाप्त हो गई है।

...(व्यवधान)

श्रीमती रंजीत रंजन: महोदया, मैं आपका संरक्षण चाहती हूँ।

...(व्यवधान)

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिंवंडी) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में अति महत्व का मुद्दा उठाने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मेरे लोकसभा क्षेत्र में नासिक की तरफ जाने वाली रेल लाइन पर कसारा है और पुणे की तरफ जाने वाली रेल लाइन पर करजत है। करजत से कसारा जाने के लिए 60 किलोमीटर कल्याण आकर जाना पड़ता है। वहाँ से दूसरी ट्रेन बदलकर जाना पड़ता है। इससे यात्रियों को बहुत कठिनाई होती है। लंबी दूरी की ट्रेनें जो अहमदाबाद से पुणे जाती हैं और पुणे से अहमदाबाद जाती है, उन्हें भी कल्याण होकर ही गुजरना पड़ता है। मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्रालय और सरकार से यह विनती

है कि यदि करजत और कसारा को रेल लाइन से जोड़ दिया जाए, तो पुणे और अहमदाबाद की तरफ से आने वाली सभी लंबी दूरी की ट्रेनों को आने-जाने में आसानी होगी। नासिक भी बहुत बड़े पैमाने पर विकास की ओर बढ़ रहा है। पुणे भी एक विकासशील शहर है। इन दोनों शहरों को जोड़ने में इस रेल लाइन का बड़ा उपयोग हो सकता है। इससे मेरे लोकसभा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी बहुत सुविधा होगी। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री संजय धोत्रे, श्री अनिल शिरोले एवं कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री कपिल मोरेश्वर पाटील द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुशील कुमार सिंह।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि टेलीफोन कॉल्स की कीमतों को तय करने के लिए टी.आर.ए.आई. जैसी रेग्युलेट्री अथॉरिटी बनी हुई है। बिजली का दर तय करने के लिए भी अथॉरिटीज बनी हुई हैं। अनाज की कीमत तय करने के लिए कृषि मूल्य आयोग बना हुआ है, लेकिन भवन सामग्री जैसे लोहा, सरिया, एंगल, सीमेन्ट, बालू और चैनल आदि की कीमतों को तय करने के लिए देश के अंदर कोई रेग्युलेट्री अथॉरिटी नहीं है। लोहा या सीमेन्ट बनाने वाली निर्माण कंपनियाँ मनमाने तरीके से इनका भाव तय करती हैं और बढ़ाती रहती हैं। इससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है।

महोदया, हमारे आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी का भी यह सपना है कि देश में गरीबों को सस्ता मकान मिले। यह हमारी सरकार की परिकल्पना और संकल्प है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह माँग करना चाहूँगा कि सीमेन्ट, छड़ और बालू जैसी भवन सामग्रियों की कीमतें तय की जाएँ, ताकि गरीब उपभोक्ताओं का शोषण न हो सके। सरकार यह तय करे कि एक निर्धारित मूल्य पर उनको यह चीजें प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्रीमती रेखा वर्मा, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्रीमती रमा देवी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री शरद त्रिपाठी, डॉ. वीरेन्द्र कुमार, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी एवं श्री सुधीर गुप्ता को श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री पी.वी.मिदून रेड्डी।

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Hon. Speaker Madam, a firm named AgriGold in Andhra Pradesh has collected more than Rs. 7,000 crore of deposits from people and more than 19.5 lakh people have put in their money into this firm. Almost 32 lakh people spanning eight States have put their money into

these deposits. People have put their lifetime savings into this firm. This firm had committed a big scam and more than Rs. 7,000 crore has been misappropriated. The State Government in February 2015 declared this as a scam and even the High Court took serious notice of this. But, so far nothing has been done. None of the firm's properties have been sold. There has been no compensation for the people. We would like to know why there has been such a long delay in compensation. The YSR Congress Party demands a CBI inquiry into this scam. Earlier also, a Member from our party has demanded a CBI inquiry into this. There have been allegations that some politicians have bought land before this land has been confiscated and sale of land is being delayed with ulterior motives. More than a hundred people from among the depositors have committed suicide. Even the State Government has declared a compensation of Rs. 5 lakh. The BJP Government has been advocating a 'Corrupt-free India'. Please show it in action. Please institute a CBI inquiry into this and do justice for the people.

HON. SPEAKER: Shri D.K. Suresh is permitted to associate with the issue raised by Shri P.V. Midhun Reddy.

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं छत्तीसगढ़ से बिलासपुर लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा सन् 1983 में एक स्टेट यूनिवर्सिटी को गुरु घासी दास जी के नाम से संचालित किया गया था। जिसको सन् 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। तब से लगातार केंद्रीय विश्वविद्यालय के मानदण्ड को अपनाते हुए यह विश्वविद्यालय संचालित हो रहा है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से हमारी सरकार सबको शिक्षा और अच्छी शिक्षा, इस विचार को लेकर शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में एन.आई.टी., आई.आई.आई.टी. और मेडिकल क्षेत्र में भी जो बढ़ोत्तरी की है। इनके लिए मैं केंद्र सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। मेरा निवेदन यह है कि हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर में कुल 435 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के पद संस्वीकृत किए गए हैं। जिसमें 217 पद रिक्त हैं, इनमें से ओ.बी.सी. का एक भी पद प्रोफेसर का नहीं है। एस.सी. का मात्र एक पद है। बाकी पद रिक्त हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन मंत्री से निवेदन करूंगा कि इन रिक्त पदों की भर्ती की जाए साथ ही बहुत से शैक्षणिक स्टाफ की भी कमी है। जिसके कारण शिक्षा का स्तर प्रभावित

हो रहा है। बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इसके लिए धन्यवाद।

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Lakhan Lal Sahu.

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): Hon. Speaker Madam, thank you for giving me an opportunity to raise an issue.

The fishermen community in coastal districts of Odisha, especially in my Parliamentary constituency of Jagatsinghpur is a backward Scheduled Caste community. Most of the people of this community earn their livelihood through fishing in rivers and deep sea. But due to inadequate infrastructure for fisheries in these coastal areas of Odisha including Paradip, employment opportunity has been squeezed. Hence, I request the Government that adequate provisions should be made under coastal community development programme of Sagarmala project so that development in the field of fisheries including dry fish activities, development of coastal tourism, and skill development involving this fishermen community could take place thereby improving the economic condition of this community in Odisha, especially in the Paradip port region of Jagatsinghpur Parliamentary constituency.

HON. SPEAKER: Dr. Rabindra Kumar Jena is permitted to associate with the issue raised by Dr. Kulamani Samal. Shri Bishnu Pada Ray – not present.

Dr. Banshilal Mahato.

डॉ. बंशीलाल महतो (कोरबा) : मैडम, आपने मुझे शून्यकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।

छत्तीसगढ़ में आज से करीब 30 वर्ष पहले सी.सी.आई. के दो प्लांट, एक मांढर में और दूसरा अकलतरा में स्थापित किए गए थे। अकलतरा और मांढर का सी.सी.आई. प्लांट बन्द कर दिया गया। उस समय पूर्ववर्ती सरकार की क्या योजना थी? उसी के पास अकलतरा के 4 किलोमीटर दूर अरसमेटा में लाफार्ज का प्लांट चालू है। वहां बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। कर्मचारियों के लिए सारी सुविधा है, वे बहुत ही अच्छे ढंग से काम भी कर रहे हैं। इसी प्रकार से मांढर के पास बैकुण्ठ में बिड़ला का संचुरी प्लांट

है। वह भी ठीक से काम कर रहा है। इसी प्रकार से बहुत सारे भारी उद्योग बन्द किए गए हैं। उन्हें पुनः चालू किया जाना चाहिए।

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri C.P. Joshi, Shri Sudhir Gupta and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Dr. Banshilal Mahato.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्रोफसर सौगत राय, सौगत राय जी यह तो स्टेट का मामला है। But you may raise it.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I request that I may be permitted to raise a matter of urgent public importance during 'Zero Hour' in the House today. If permitted, I will raise the issue briefly as under.

HON. SPEAKER: It is a State matter but I am allowing you.

PROF. SAUGATA ROY: Two days after the communal clash in Patan district of Gujarat, the police have arrested 13 persons. The clash on Saturday afternoon between Thakors of Sunsar and neighbourhood villages and Muslims of Vagjipara caused the death of Ibrahimkhan Laikhan Belim and left 20 injured. All of them are residents of Vagjipara. However, those arrested are not among the 31 accused named in the FIR lodged by Rehmanbhai Alibhai Maled of Vadavli, of which Vagjipara is a part. The complaint was lodged in Chanasama police station on Saturday. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You yourself have said that the police has taken action.

PROF. SAUGATA ROY: Let me complete it, Madam.

After combing operations, those named in the FIR could not be arrested as some are undergoing treatment. Though the reason for the clash has not been ascertained, according to the FIR filed at Chanasama police station lodged by Malek, there was a verbal dispute near Vadavali High School between some Thakores and Muslims.

This incident is worrisome as it happened in the home State of the Prime Minister, only 100 kms. from Ahmedabad.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Speaker, Madam, last week, that is on 19th March a severe and a terrible cyclonic storm had hit several parts of my parliamentary constituency in Balasore, Odisha, more particularly in Baliapal, Basta, Bhograi, Jaleswar and Betnoti blocks. Preliminary estimates suggest that about 23 per cent of the crop has been completely damaged and 800 villages, wherein hundreds and thousands of people live, have been badly affected. Houses have been completely damaged. Such cyclonic hailstorms have become a very-very regular affair in Odisha.

I have got three specific demands to make to the Union Government of India.

- To provide an *ex gratia* payment of Rs.2 lakh per farmer whose crop has been very badly damaged.
- To provide houses, under Rural Housing Scheme, to those BPL families whose houses have been damaged.
- The most important demand, we must ask the Science and Technology Department to come up with a model prevalent in many countries across the globe so that such hailstorms which are unexpected in nature can be predicted well in advance.

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Rabindra Kumar Jena.

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): अध्यक्ष महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र सलेमपुर में पूरे बिहार बार्डर से लगे हुए तीन जिले गोपालगंज, सीवान और छपरा पड़ते हैं। गंडक, सरयू और घाघरा नदी के किनारे मेरा पूरा लोक सभा क्षेत्र लगता है। जब बाढ़ का समय आता है तो इन तीनों नदियों की बाढ़ की वजह से हमारे क्षेत्र में जबरदस्त कटान होती है और गांव के गांव उसमें विलीन हो जाते हैं। देवरिया और बलिया जिलों में बाढ़ की वजह से जनधन तथा फसलों की व्यापक क्षति होती है। आगे वर्षा ऋतु आने वाली है और वहां के लोग अभी से भय का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नदियों के कटान से कई गांवों का अस्तित्व समाप्त हो गया है

तथा अन्य गांवों का अस्तित्व खतरे में है। कई गांवों के लोग आज भी अपने घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जीवनयापन कर रहे हैं।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि इन जिलों में केन्द्रीय टीम भेजकर बाढ़ एवं नदी कटाव की समस्या का निरीक्षण कराये तथा इसके स्थायी समाधान की व्यवस्था करे।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शरद त्रिपाठी तथा कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अभिषेक सिंह (राजनंदगांव) : अध्यक्ष महोदया, मैं छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव लोक सभा क्षेत्र से आता हूँ। राजनंदगांव से जो नेशनल हाइवे होकर निकलता है, वह मध्य भारत के दो बड़े महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है - एक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और दूसरा नागपुर। ये दोनों शहर हमेशा से आर्थिक, ट्रेड, व्यापार और ट्रेवल के बहुत बड़े केन्द्र रहे हैं और यही नेशनल हाइवे आगे जाकर मुम्बई और कोलकाता को भी जोड़ता है। यह जो रूट है, यह देश का बिजीएस्ट रेलवे रूट भी है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अपील करता हूँ कि रायपुर से राजनंदगांव और राजनंदगांव से नागपुर का जो पूरा हाइवे है, उसे सिक्स लेन एक्सप्रेस हाइवे के रूप में विकसित करें और इसके दोनों तरफ हम बिजनेस और विशेष रूप से लॉजिस्टिक कॉरीडोर डेवलप करे, क्योंकि जी.एस.टी. के आने के बाद पूरे देश में विशेष रूप से लॉजिस्टिक सैक्टर में बदलाव आने की संभावना है तथा इससे राजनंदगांव जिला और इस पूरे क्षेत्र के लोगों को आर्थिक विकास में एक नई दिशा मिलेगी। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री संजय धोत्रे, श्री शरद त्रिपाठी तथा श्री सुधीर गुप्ता को श्री अभिषेक सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले) : अध्यक्ष महोदया, आकाशवाणी के कार्यक्रम 95 प्रतिशत से ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं और इन कार्यक्रमों और आकाशवाणी के समाचारों पर देश के हर आदमी को अभिमान है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी की 'मन की बात' इसी वजह से करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। कृषि और ग्रामीण विकास में आकाशवाणी का बड़ा योगदान रहा है। लेकिन पिछली सरकार ने इसके महत्व तथा उपयोग को अनदेखा करके यहां प्रोग्राम, इंजीनियरिंग और लेखा विभाग में काफी हद तक पद रिक्त रखे थे। सरकार ने इन पदों पर भर्ती शुरू की है, इस वजह से इसमें गुणवत्ता के स्तर पर काफी बदलाव आया है। दूसरी ओर दूरदर्शन आज काफी निजी चैनलों की वजह से स्पर्धात्मक परिस्थितियों से गुजर रहा है। उसका प्रसारण सभी चैनलों को सुविधा देने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स पर अनिवार्य किया गया है।

महोदया, इस बारे में मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि आज लघु शक्ति, टी.वी. ट्रांसमीटर्स हर तहसील में लगे हैं, जहां पांच-छः कर्मचारी कार्यरत हैं। लेकिन, एल.पी.टी.वी. के सिग्नल्स कितने टी.वी. तक पहुंचकर उससे इस टी.वी. को देखने के प्रयास में सफल होते हैं, यह सोचने योग्य बात है। यह वास्तविकता बहुत कड़वी है।

अध्यक्ष महोदया, आज सैटेलाइट टेक्नॉलोजी की मदद से अगर ये सभी लघु शक्ति केन्द्र रिमोट से ऑपरेटेड किए जाएंगे तो ये सभी टेक्नीकल कर्मचारी 'दूरदर्शन' एवं 'आकाशवाणी' के कार्यक्रम निर्माण के उपयोग में लाए जा सकते हैं और इस एल.पी.टी.वी. जैसे सफेद हाथी पर देश का होने वाला जो खर्च है, वह कम हो जाएगा और इससे हम करोड़ों रुपये की बचत कर सकते हैं। इस टेक्नॉलोजी से मौजूदा स्थिति में आम जनता की प्रचलित सुविधाओं में कोई बाधा नहीं आएगी। इसलिए इस सदन के माध्यम से मेरी सरकार से विनती है कि इसके बारे में वह गंभीरता से विचार करे।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सुधीर गुप्ता, श्री भैरों प्रसाद मित्र और श्री चन्द्र प्रकाश जोशी को श्री राजू शेट्टी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदया, मैं सदन के ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि जब अटल जी की सरकार थी तो अटल जी की सरकार ने मुम्बई के एयरपोर्ट को 'छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट' का नाम दिया था। उन दिनों अनन्तकुमार जी उस विभाग के मंत्री हुआ करते थे। मैं मुम्बई और महाराष्ट्र की ओर से अनन्तकुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

लेकिन, आगे महाराष्ट्र के विधान मंडल ने दिसम्बर, 2016 को 'छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट' को 'छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट', ऐसा नामकरण करने का एक प्रस्ताव भेजा है। इसके एक साल हो गए।

अध्यक्ष जी, बहुत दुःख होता है जब हम प्लेन से सफर करके मुम्बई एयरपोर्ट में उतरते हैं, अगर हम 'छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट' नाम देखते हैं तो हमें शिवाजी महाराज का नाम छोटा लगता है। यह सारे देश के लोगों को लगता है।

इसलिए इसका नाम 'छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट' होना चाहिए। सारे पार्टी के लोगों ने एकमत से ऐसा करने का प्रस्ताव भेजा है। लेकिन, इसके एक साल हो गए। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस छोटी-सी मांग को जल्द-से-जल्द इंप्लीमेंट करें, ताकि मुम्बई-महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि सारे देश के लोगों का सम्मान और बढ़े।

अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आज पहली बार मैं 'गुडी पड़वा' की शोभा यात्रा से वंचित हूँ, आप भी वंचित हैं। मैं मानता हूँ कि मैं सुबह बहुत दुःखी था, लेकिन अब मैं प्रसन्न हुआ कि 'ज़ीरो आवर' में मेरा यह विषय आया है।

अध्यक्ष जी, मैं आपको विशेष धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूंगा कि आपने आज केसरिया ब्लॉउज पहन कर अपने सभाग्रह का संकेत भी पूरे देश और दुनिया को दिया है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : आपने अच्छी याद दिलाई।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री राहुल रमेश शेवाले, श्री देवजी एम. पटेल, श्री संजय धोत्रे, श्री सुधीर गुप्ता, श्री भैरों प्रसाद मित्र और श्री चन्द्र प्रकाश जोशी को श्री गोपाल शेट्टी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (आँवला) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व का एक विषय उठाना चाहता हूँ। मेरा लोक सभा संसदीय क्षेत्र आँवला, बरेली जनपद के अन्तर्गत आता है। मेरे क्षेत्र में रामगंगा नदी के किनारे नगर निगम प्रशासन के द्वारा एक ट्रेडिंग ग्राउण्ड में कूड़ा निस्तारित करके लगाया जा रहा है, जबकि वहाँ आई.टी.बी.पी. का मुख्यालय भी है और वह आने-जाने का रास्ता भी है। वहाँ माघ एवं कार्तिक मास में एक बड़ा मेला लगता है। एक तरफ तो हम गंगा स्वच्छता की बात करते हैं, गंगा की सफाई के बारे में बात करते हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन के द्वारा गंगा को गंदा करने का काम किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष : आप नगर निगम की बात यहाँ कहां से लाएंगे?

श्री धर्मेन्द्र कुमार: महोदया, लेकिन जिस तरह से गंगा को गंदा करने का काम किया जा रहा है। उसके संबंध में मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उसे रोकने का काम किया जाए।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मित्र को श्री धर्मेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राहुल कस्वां (चुरु) : अध्यक्ष महोदया, राजस्थान के बीकानेर डिवीजन में चुरु, हनुमानगढ़, दवानगर और बीकानेर के अंदर इस बार जो खेती हुई, वह अच्छी हुई है। वैसे भी राजस्थान के इस क्षेत्र के अंदर मात्र बीस प्रतिशत ज़मीन के ऊपर पानी लगता है। ट्यूबवेल्स या नहरों के द्वारा जो पानी आता है, उससे इस बार सरसों की बहुत बढ़िया खेती हुई है, अच्छी फसल हुई है। पर, उस फसल के हिसाब से सरकार ने

जो 3,700 रुपये के लगभग एम.एस.पी. निर्धारित किया है, उसके ऊपर अभी तक खरीद चालू नहीं हुई है। मार्केट में आज सरसों तीन हजार रुपये में बिक रही है। किसान बड़ा परेशान है। इस छोटे-से क्षेत्र में जो किसान सरसों की खेती कर रहे हैं, उनके लिए मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वहां उसकी खरीद जलद-से-जल्द चालू की जाए, ताकि किसानों को वहां राहत मिले।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री हरीश मीणा, श्री सुधीर गुप्ता, श्री भैरों प्रसाद मित्र और श्री चन्द्र प्रकाश जोशी को श्री राहुल कस्वां द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Thank you, Madam. I rise to raise an urgent matter of public importance.

Madam, yesterday tragedy strikes at National Highways in North Eastern Region. Due to that, 22 people died and 38 were injured. This occurred on National Highway No.2. Two accidents happened on National Highway No. 2 connecting Dimapur to Imphal.

Another accident happened in National Highway No.37 connecting Jiribam to Imphal. In these accidents, 21 persons died including one driver. We were expecting that a condolence reference would be made in the House today but unfortunately, it did not happen. We do not know the causes of these accidents. However, the apparent reason could be, undoubtedly, the bad and pathetic road condition of the national highways. Two incidents happened on the National Highway-2 and one on NH-37.

Here I would like to draw the attention of the Union Government to the fact that there were proposals to make these National Highways all weather roads by making NH-2, a 4-lane highway and NH-37, a 2-lane highway. Hence I strongly urge upon the Union Government and the Ministry of Road Transport and Highways, in particular, to take immediate steps to make these two National Highways – the life lines of the State of Manipur – all weather roads by constructing and converting NH-2 into 4-lane and NH-37 into 2-lane.

HON. SPEAKER: Shri Thangso Baite is permitted to associate with the issue raised by Dr. Thokchom Meinya.

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA): Madam, I thank you for having given me this opportunity.

With great anguish, I wish to bring to the urgent attention of this august House a very alarming situation prevailing in the State of Kerala. Of the past few months, Kerala is witnessing a series of incidents of atrocities against women and girl children. No day passes without one or more such cases being reported in the State. Nowhere in the country such a large number of atrocities have taken place during such a short span of time. Even little girls of three and four years of age are not spared. People, at large, are alarmed and agitated. The administration has thoroughly failed to prevent recurrence of such incidents.

Since the Government of Kerala has miserably failed to curb these atrocities, it is imperative that the Union Government seek a report from the State so that the State Government is alerted and women are assured greater safety and protection.

Madam, you being the champion of woman and child rights, I seek your urgent indulgence in the matter... (*Interruptions*). It is a very important matter. Women are being attacked and girls are being abused in the State of Kerala.

HON. SPEAKER: Shri Rajeev Satav, Shri Sharad Tripathi, Prof. Richard Hay, Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri N.K. Premachandran are permitted to associate with the issue raised by Shri Mullappally Ramachandran.

श्री गणेश सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार ने देशी हवाई उड़ान सेवा के नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। जिसके लिए देश के अंदर कई हवाई अड्डे परिचालन हेतु चयन किए गए हैं। उनमें एक हवाई अड्डा मध्य प्रदेश के सतना को भी शामिल किया गया है। सतना, मध्य प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र को रामायण एवं बौद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट में भी शामिल किया है। इस क्षेत्र में विश्वस्तरीय हवाई टाइगर सफारी है और चित्रकूट एवं मैहर जैसे धार्मिक स्थान भी हैं। यहां एक इंचौल आर्ट गैलरी है, जहां दुनिया के 14 देशों के कारीगर अपने

कला का अद्भूत प्रदर्शन करने के लिए प्रत्येक साल आते हैं। यहां से बड़ी संख्या में लोग हवाई यात्रा करते हैं, उन्हें हवाई सेवा के लिए भोपाल, जबलपुर, खजुराहो आदि शहरों में आने-जाने में काफी कठिनाई होती है। सतना को लंबे समय से भोपाल, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं वाराणसी के लिए हवाई सेवा से जोड़ने की मांग होती रही है। क्या भारत सरकार ने इस पर विचार किया है? यदि हाँ, तो सरकार कब से यहां पर हवाई सेवा शुरू करने जा रही है?

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक -सवाई माधोपुर): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

राजस्थान में कुपोषण ग्रस्त बच्चों की देखभाल के लिए अभी तक 100 रुपये की राशि मानदेय के रूप में प्रतिदिन दी जाती है, जब कि यह राशि सितम्बर 2016 तक 165 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दी जा रही थी। प्रदेश सरकार द्वारा इस विषय में वर्ष 2016-17 की अनुमोदित पीआईपी में प्रतिदिन 165 रुपये देने के लिए आग्रह किया गया था, जो कि अभी तक केवल 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दी जा रही है।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि बच्चों की देखभाल करने वाले का श्रम क्षतिपूर्ति 100 रुपये प्रति दिवस के बजाय 165 रुपये के हिसाब से अनुमोदित करें, क्योंकि यह बीमारी ज्यादातर आर्थिक एवं शारीरिक तौर पर कमजोर बच्चों में ज्यादा पाई जाती है। बच्चों को कुपोषण केंद्र पर नियमित ठहराव सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाए।

इसी प्रकार बिस्तर वाले कुपोषण उपचार केन्द्रों के संचालन हेतु परिचालन लागत 80 हजार रुपये प्रति कुपोषण उपचार केन्द्र का अनुमोदन नहीं किया गया है, जबकि ज्यादातर 6 बिस्तर वाले कुपोषण उपचार केन्द्र क्रियाशील है। अतः सुचारु रूप से उनके संचालन हेतु उपरोक्त राशि आवश्यक है। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, मात्र जिला स्तर पर कुपोषण उपचार केन्द्र का होना काफी नहीं है, अपितु जिले के अन्य क्षेत्र में भी आवश्यकताओं को देखते हुए कुपोषण उपचार केन्द्र ब्लॉक, समिति तथा पंचायत स्तर तक खोले जाएं, ताकि गरीब बच्चों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरुच): महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

मेरे संसदीय क्षेत्र भरुच के अंतर्गत नर्मदा और भरुच जिले में सरदार सरोवर योजना, कर्जण सिंचाई योजना और तापी सिंचाई योजना के विस्थापित और प्रभावित लोग पुनर्बसावट कर रहे हैं। इन लोगों को पुनर्बसावट की सुविधा मिल रही है। इन लोगों ने सिंचाई हेतु पूरी प्रापटी सरकार को समर्पित कर दी। उनके बलिदान की वजह से कई लोगों को सिंचाई की सुविधा मिल रही है, लेकिन उनको स्वयं सिंचाई की सुविधा नहीं मिल रही है। विस्थापित परिवार और प्रभावित परिवार, जो इन योजनाओं के आसपास रहते हैं, उनको भी सिंचाई का पानी मिले और जहां-जहां पुनर्बसावट कराई गई है, खासकर डेडियापाड़ा ताल्लुका में, वहां नर्मदा योजना, कर्जण सिंचाई और तापी सिंचाई योजना के प्रभावित लोगों को सिंचाई की सुविधा हेतु गंगापुर डैम बनाने की इन लोगों की मांग है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार अनुरोध है कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत उनके लिए गंगापुर डैम बनाया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री रामसिंह राठवा को श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

12.31 hours**PAPER LAID ON THE TABLE Contd.**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Madam Speaker, on behalf of my senior colleague Shri Arun Jaitley, I beg to lay on the Table a copy of Notification No. 10/2017—Customs (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 28th March, 2017, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 12/2012—Customs dated 17th March, 2012 so as to impose basic customs duty of 10 per cent on wheat and Tur, with immediate effect under Section 159 of the Customs Act, 1962.

[Placed in Library, See No. LT 6769/16/17]

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़) : मैडम, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं हर दिन नोटिस डाल रहा था, लेकिन अपार्युनिटी नहीं मिली थी। आज आपकी कृपा से अपार्युनिटी मिली है। I am thankful to you. I have got this opportunity on this Yugadi Day.

We are all aware that the Railway Board in its circular number 11/2010 RC V(i) dated 16.07.2010 addressed to all Zonal Railway GMs had laid down certain guidelines in respect of providing jobs to the family members of land losers in Railway projects under the pay scale Rs. 5200, mostly, I think in the Group D posts. There are detailed norms mentioned with regard to the eligibility of the candidates for such appointments, and instructions were issued to GMs of all Zones to call applications from eligible candidates. But it is regrettable that many Railway Zones have not implemented saying that there is ambiguity as far as this circular is concerned... (*Interruptions*) This ambiguity is there since 2010 and the Government has not implemented. Why have your Government in the State not implemented? First you should reply to that.

According to sources, including South-Western Zone Hubli, they have received hundreds of applications from the families and so far nothing has been done for the recruitment despite the circular. On enquiry from the Railway authorities, what has been given to understand is that the circular is vague in certain respects and hence they are unable to implement it in the present form and a clarification is needed.

In this process, the matter has been kept pending for the last seven years on the ground that the circular is ambiguous. My demand is that the ambiguity should be cleared irrespective of whether that circular is in force or not and whatever ambiguities are there they should be cleared and the land losers, as per this circular, should be given the opportunity to get their appointments. That is my demand.

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Shri Rabindra Kumar Jena are permitted to associate with the issue raised by Shri Prahlad Joshi.

मेरा सबसे निवेदन है कि सभी एक-एक मिनट में अपनी बात कहें, तो सबको समय मिल सकता है।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे क्षेत्र की रेलवे से संबंधित एक बहुत बड़ी समस्या है। रेलवे विभाग मेरे लोक सभा क्षेत्र में जयपुर से सीकर, सीकर से चुरू मीटर गेज लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में चेंज कर रहा है। मैं मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इसके लिए बजट दिया है, परन्तु इसमें सीकर-लक्षमणगढ़ और लक्षमणगढ़-फतहपुर के बीच कहीं भी फाटक नहीं छोड़ा है और ओवर ब्रिज नहीं दिया है। अंडरपास ही बन रहे हैं जिसका परिणाम यह निकला कि अंडरपास के अंदर जो ट्रक पंजाब और हरियाणा से चारा लेकर आते हैं, वे अंदर से निकल नहीं पाते। मेरे लोक सभा क्षेत्र में 128 गौशालाएं हैं। सारा चारा पंजाब और हरियाणा से आता है। ट्रक उसके अंदर से निकल नहीं पाते और गायों तथा गांव के लोगों के लिए चारे की समस्या खड़ी हो गई है। मेरा निवेदन है कि उसके बीच एक-एक ओवरब्रिज या फाटक छोड़ा जाए।

12.35 hours

(Shri Pralhad Joshi *in the Chair*)

मेरा दूसरा निवेदन है कि हमारे तीन स्टेशन - राणोली, बावड़ी और कायमसर - जो 'बी' श्रेणी के थे, उन्हें 'सी' श्रेणी में कन्वर्ट कर दिया गया है। एक हरसावा रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया है।...अतः मेरा निवेदन है कि तीनों स्टेशनों को "बी" श्रेणी का किया जाए तथा हरसावा स्टेशन के बारे में मेरा निवेदन है कि उसे कायम रखा जाए।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Sumedhanand Sarswati.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, since the last decade of 19th century, there was a dockyard around which the *maal* godown of Cuttack has been established and this Cuttack dockyard was developed into a *maal* godown. Subsequently, after the Bengal-Nagpur Railway came into existence and passed through Cuttack, this area was converted into Cuttack *maal* godown and came under the occupation of the Railways. Since then, the traders of Cuttack actually flourished in that area.

Today, the railway authorities of the East Coast Railways have issued notices to around 1500 traders who come under Cuttack Chamber of Commerce

that they should vacate that land because it is Railway land. Earlier, they were provided this piece of land on lease and somewhere on rent also. Even today, they want to occupy that area on lease. But the problem today is, the Railway is insisting that they should vacate that piece of land though that land is actually not in any way affecting the railway movement.

Therefore, my request to the Government is to renew their licences or issue fresh licences to such traders to enable them to carry on their business on such lease-hold land. It will not only protect livelihood of thousands of people but also generate handsome revenue for the Railways from that piece of land which is of little use for the Railways.

HON. CHAIRPERSON: Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Bhartruhari Mahtab.

Before I call the next speaker, I would remind the hon. Members that the hon. Speaker has already directed that within one minute, each Member should conclude their points as there are many Members to speak. I am ready to give opportunity to every Member but within one minute, the Member should conclude.

Shri Gaurav Gogoi.

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Sir, I am very grateful to you and hon. Speaker Madam for this opportunity given to me.

I wanted to ask a supplementary during the Question Hour on the question of immigration from Bangladesh. I thank you for giving me this opportunity.

Immigrants who have entered India illegally from Bangladesh must be identified and deported immediately irrespective of their religion. To enable this process, the Government of India in Assam is supervising the upgradation of the National Registrar of Citizens. This process is taking inputs from the Registrar-General of India, from the Census Commissioner and is under the entire scrutiny of the Supreme Court.

The MHA should take note of a recent High Court order which has jeopardized the entire NRC update process by invalidating the panchayat certificate of 48 lakh married women. This is gross injustice against women. The usage of panchayat certificates has been approved by the MHA itself, by the RGI and the Census Commissioner. This order must be taken note of... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Rabindra Kumar Jena is permitted to associate with the issue raised by Shri Gaurav Gogoi.

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में विषय उठाने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचने के लिए दिल्ली के अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं न होना चिन्ताजनक है। सरकारी अस्पतालों में रेडियोथेरेपी तक की पर्याप्त सुविधा नहीं है। कैंसर के मरीज अधिक हैं जबकि रेडियोथेरेपी की मशीनें व डाक्टर कम हैं। 75 फीसदी मरीजों को रेडियोथेरेपी की सुविधा नहीं मिल पाती। जांच के बाद भी इलाज के लिए मरीजों को कई-कई माह तक इंतजार करना पड़ रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जरनल में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में मरीजों के दवाब के चलते कई अस्पतालों के रेडियोथेरेपी सेंटर्स में रोजाना 14 घंटे तक मशीनें चलती हैं। उनसे एक दिन में 50 से 90 मरीजों का इलाज होता है। इससे लापरवाही होने की आशंका अधिक बनी रहती है। समय पर कैंसर का पता चल जाने के बावजूद कितने मरीज इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि आप कोई ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए कहें जिससे रेडियोथेरेपी के अभाव में कोई भी मरीज दम न तोड़ने पाए।

माननीय सभापति: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. किरिट पी. सोलंकी और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री शरद त्रिपाठी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me an opportunity to raise one of the important issues which has been creating so much trouble in the implementation of MNREGA.

Now, it has come out in the reports that the Government is cutting down the number of working days in various parts of the country. I have my own experience in Alappuzha district. In Alappuzha district, the demand was Rs. 73.94 lakh equivalent work days. However, for 2017-18, only 39.5 lakh work days have been sanctioned. It is just because of the unnecessary conditions imposed by the

Government to release the amount under the MNREGA. This slashing of work days is happening despite the efficient implementation of the Scheme in the district. In Alappuzha, in this financial year, Rs. 79 lakh equivalent work days have been completed, against the expected number of Rs. 55.87 lakh work days.

Now, the situation is very bad. Mr. Chairman, you also know about that. In the current financial year the estimated Budget for the Scheme was Rs. 193 crore. But till now the current expenditure under the Scheme till now is Rs. 270 crore. Major share of this Budget Estimate was released for supplying wages for the E-4 employees. Many agricultural and rural development programmes were completed under this Scheme.

The decision to cut down the number of work days especially in the district is a serious concern. This will deny employment opportunities to many people who have already enrolled for job cards under the Scheme. There are around 2.5 lakh people who have enrolled for job cards, out of which around 90,000 people are actively associated with the employment scheme. There are a lot of pending dues under the MNREGA.

HON. CHAIRPERSON: Shri Venugopal, you have made your point. Thank you.

Shri Rabindra Kumar Jena is allowed to associate with the matter raised by Shri K.C. Venugopal.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Jitendra Chaudhury, you also wanted to raise the same issue raised by Shri K.C. Venugopal. So, you can associate with him.

श्री राजीव सातव और श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन को श्री के.सी. वेणुगोपाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): Of course, my issue is also the same. The Government is claiming that this year Rs. 40,000 crore has been allotted for the MNREGA. Last year, my State, under the Budget for the Ministry of Labour, was given Budget only for 78 work days. But till today, we have achieved 90 work days. In the last seven years, we have been doing this

continuously. But this year, in the Budget for the Ministry of Labour, as per the information published by the Ministry, provision has been made for only 38 man days for the State of Tripura.

I demand that it should be for 200 days. ... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान और श्री शंकर प्रसाद दत्ता को श्री जितेन्द्र चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत शिवहर जिला के शिवहर नगर पंचायत में सबके लिए आवास शहरी योजना के तहत 500 गरीबों का घर बनाने का लक्ष्य है। परंतु बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार की इस लोक कल्याणकारी योजना में नगर पंचायत के पदाधिकारियों एवं बैंक कर्मचारियों द्वारा बिचौलियों के माध्यम से अनियमितता बरती जा रही हैं। मुझे जानकारी मिली है कि नगर पंचायत के अधिकारी प्रत्येक घर से 25-50 हजार रुपये की उगाही बिचौलियों के माध्यम से कर रहे हैं। उक्त योजना में अनियमितता का आलम यह है कि जो गरीब व्यक्ति या परिवार इसके असली हकदार हैं उनको इससे वंचित रखा जा रहा है और गैर जरूरतमंद लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। लाभुकों की सूची बनाते समय भेदभावपूर्ण रवैया अपनाकर किसी वार्ड में 50 से अधिक लाभुकों का नाम सूची में दर्ज किया गया है तो किसी वार्ड में जो कि वास्तव में मलीन एवं पिछड़ा वार्ड है वहां के गरीब लोगों की उपेक्षा की गई है। कहीं-कहीं जिन लोगों को पूर्व में मकान मिल चुका है उन्हें दुबारा लाभान्वित किया जा रहा है। इस तरह से केन्द्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के उद्देश्य की प्राप्त नहीं हो पा रही है और बिचौलियों के कारण इसमें भ्रष्टाचार फैल रहा है।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि एक केन्द्रीय टीम से इस मामले की जांच कराते हुए दोषी अधिकारियों एवं बिचौलियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

माननीय सभापति : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती रमा देवी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूँ कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देश की आधी से ज्यादा आबादी आज भी कृषि व्यवसाय में है। इसके विपरीत देश के करोड़ों युवक जोकि अलग अलग विषयों में टेक्निकली क्वालिफाइड हैं परन्तु आज की स्थिति के अनुसार बेरोजगार हैं। कई बार नौकरियों के लिए आवेदन करने के बाद भी उनको रोजगार नहीं मिल पाता उसकी वजह यह है कि एक भर्ती के लिए हजारों आवेदन आते

हैं और इस तरह नौजवानों का मनोबल टूटता जाता है। दूसरी तरफ किसानों के पास नई नई तकनीक का ज्ञान न होने से किसानों को इस व्यवसाय में लगातार हानि होती रहती है। लगातार हानि होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गयी है। धीरे-धीरे यह स्थिति और भी खराब होती जायेगी। कृषि को अलाभकारी व्यवसाय मानकर लोग कृषि कार्य छोड़ने का मन बना रहे हैं। बेरोजगारी तथा कृषि उद्योग का गिरता ग्राफ इन दोनों विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: नारणभाई काछड़िया जी, आप अपनी डिमांड रखिये।

श्री नारणभाई काछड़िया: सभापति महोदय, मैं आधे मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए यदि एग्रीकल्चर एजुकेशन को देश में बढ़ावा दिया जाये, तो यह समस्या कुछ हद तक कम हो सकती है। एग्रीकल्चर एजुकेशन कुछ विद्यालयों में सिर्फ हायर सैकेंड्री तक ही पढ़ाई जाती है। ... (व्यवधान) कुछ लोग सिर्फ स्नातक डिग्री पूर्ण करने के लिए इस विषय को चुनते हैं, परिणामस्वरूप न तो उनको और न ही देश के कृषि उद्योग को इसका लाभ मिल पाता है। अभी इसका पूर्ण लाभ देश के नौजवानों को नहीं मिल पा रहा है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : नारणभाई काछड़िया जी, आप अपनी डिमांड रखिये, नहीं तो मैं दूसरे मैम्बर को बोलने के लिए बुला रहा हूँ।

श्री नारणभाई काछड़िया: मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस विषय को गंभीरता से लेकर इस ओर प्रयास किये जाने चाहिए। धन्यवाद।

माननीय सभापति : डॉ. किरिट पी. सोलंकी, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : सभापति महोदय, आपने मुझे गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज विक्रम सम्वत् 2074 का पहला दिन है। मैं आपको और आपके माध्यम से सब सांसदों को हिन्दू नववर्ष की बधाई देता हूँ।

नववर्ष को देश के प्रांतों में अलग-अलग तिथियों के अनुसार मनाया जाता है और यह अलग-अलग नामों से जाना जाता है। ये सभी महत्वपूर्ण तिथियां मार्च और अप्रैल के महीने में आती हैं, फिर भी पूरा देश चैत्र माह के नववर्ष को ही मानता है। इसे नवसंवत्सर के रूप में जाना जाता है। इस दिन से सतयुग की शुरुआत मानी जाती है और इसी दिन रात्रि की अपेक्षा दिन बढ़ा होने लगता है। हिन्दू पंचांग का आरंभ भी गुड़ी पड़वा से ही होता है। कहा जाता है कि महान् गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वारा इसी दिन से सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, मास और वर्ष की गणना कर पंचांग की रचना की गयी थी। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : शेवाले जी, आप अपनी डिमांड रखिये।

श्री राहुल शेवाले: सभापति महोदय, आज गुड़ी पड़वा है, इसलिए आप हमें बोलने दीजिए। मैं गुड़ी पड़वा के बारे में ही बोल रहा हूँ। ... (व्यवधान) महाराष्ट्र में यह पर्व गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। सामान्य तौर पर इस दिन हिन्दू परिवारों में गुड़ी का पूजन कर इसे घर के द्वार पर लगाया जाता है और घर के दरवाजों पर आम के पत्तों से बना बंदनवार सजाया जाता है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी डिमांड रखिए।

श्री राहुल शेवाले: ऐसा माना जाता है कि यह बंदनवार घर में सुख, समृद्धि और खुशियां दे जाता है। आंध्र प्रदेश में इस दिन ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी डिमांड रखिए।

श्री राहुल शेवाले: सभापति महोदय, मैं अपनी डिमांड ही रख रहा हूँ। कश्मीरी हिन्दुओं के लिए नववर्ष एक महत्वपूर्ण उत्सव की तरह है। यह संस्कृति से जोड़ता है। विक्रम संवत् गुलामी के बाद अंग्रेजों ने हम पर ऐसा रंग चढ़ाया कि हम अपने नववर्ष को भूल उनके रंग में रंग जाएं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : शेवाले जी, आप पूरा पढ़ रहे हैं। जीरो ऑवर में ऐसा नहीं होता है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को श्री राहुल शेवाले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे एक अति लोक महत्व के विषय पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज पूरे बिहार राज्य की आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका विगत तीन दिन से लगातार हड़ताल पर हैं। उनकी डिमांड है कि उन्हें जो दो-तीन हजार रुपये मानदेय मिलता है, उसे बढ़ाया जाये। इसके साथ-साथ ग्रेड थ्री की जो सरकारी सेवाएं हैं, उनमें उन्हें ग्रेड थ्री का दर्जा दिया जाये।

सभापति महोदय, आंगनवाड़ी योजना केन्द्र सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। मैं चाहूंगा कि निश्चित रूप से आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय बढ़ाया जाये।

माननीय सभापति: श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान, श्री जितेन्द्र चौधरी और श्री शंकर प्रसाद दत्ता को श्री शैलेश कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुधीर गुप्ता (मंदसौर) : सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि सॉयल हैल्थ कार्ड योजना, जो देश की एक महती एवं किसानों के कल्याण की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना से देश भर के किसानों को लाभान्वित कर मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हुए किसानों का जीवन स्तर सुधारने की दिशा में सरकार द्वारा भागीरथी प्रयास किया गया है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इस महत्वपूर्ण योजना का नाम प्रधान मंत्री सॉयल हैल्थ कार्ड योजना किया जाना चाहिए, ताकि किसानों में इसकी लोकप्रियता एवं महत्व को बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सके। मैं यह भी आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा पूर्व में भारत सरकार को इस संबंध में पत्राचार किया गया था। मंत्रालय द्वारा इसके प्रथम चरण के बाद इस संबंध में निर्णय लिये जाने की बात कही गयी थी। ... (व्यवधान) योजना का प्रथम चरण मार्च, 2017 में पूर्ण हुआ है।

अतः मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि अगले चरण से इस योजना को प्रधानमंत्री सॉयल हैल्थ कार्ड योजना के नाम से जन समर्पित किया जाये।

माननीय सभापति: श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री सुधीर गुप्ता द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : सभापति महोदय, मेडिकल एंट्रेंस की नैशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यानी नीट के लिए देश भर से लाखों छात्र परीक्षा दे रहे हैं। मैंने और कई सांसदों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मांग की थी कि देश के हर जिले में नीट का परीक्षा केन्द्र हो। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 23 नये सेंटर्स को मान्यता दी है, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र में सिर्फ कोहलापुर, अहमदनगर, सतारा, सांगली और अमरावती को शामिल किया है। मैं इसका स्वागत करता हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में 500 किलोमीटर से ज्यादा दूर से छात्रों को परीक्षा के लिए आना पड़ता है। इसलिए इस नये केन्द्र के बावजूद मराठवाड़ा, कोंकण और विदर्भ के छात्रों पर अन्याय हो रहा है।

हमारी मांग है कि सरकार अगर सब जिलों में नहीं दे सकती, तो कम से कम मराठवाड़ा में नांदेड़ और लातूर, कोंकण में रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और विदर्भ में यवतमाल और बुलडाना में परीक्षा केन्द्र को मान्यता दें, ताकि छात्रों की मदद हो सके।

श्री शेर सिंह गुबाया (फ़िरोज़पुर) : सभापति महोदय, मैं पब्लिक इंस्ट्रस्ट का एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूँ। लोक निर्माण विभाग द्वारा जो रोड एवं ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं, उनके बारे में मैं हाउस का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। जो रोड एवं ब्रिज बनते हैं, उसके बाद ठेकेदार पेमेंट लेकर चला जाता है।

होता यह है कि उस रोड पर बड़े-बड़े खड्डे पड़ जाते हैं और जब कोई अनजान या नई व्यक्ति गाड़ी लेकर उस रास्ते से जाता है तो गाड़ियों में इतना जम्प होता है कि या तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या गाड़ी उलट जाती है। ऐसे ही, मुक्तसर रोड पर दो नौजवान रात में शादी के बाद घर वापस आ रहे थे। रोड ठेकेदार की लापरवाही एवं महकमे की लापरवाही की वजह से उनकी गाड़ी पलट गयी और दोनों नौजवानों की मौत हो गयी। मैं चाहता हूँ कि जब ऐसी रोड बनती है या ओवरब्रिज बनता है तो कम से कम पांच साल तक ठेकेदार और सीनियर अफसरों की जिम्मेदारी लगानी चाहिए, ताकि ऐसे एक्सीडेंट्स न हो सकें और कीमती जानें न जाएं। यह एक बहुत ही संवेदनशील बात है। इसे केन्द्र सरकार द्वारा लागू किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति: श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवं कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री शेर सिंह गुबाया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर) : मेरे संसदीय क्षेत्र भावनगर में काले हिरण का बेलावदर नामक बहुत बड़ा अभयारण्य है, जो 48 किलोमीटर में फैला हुआ है। दो जिलों में वह फैला हुआ है। हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक इकोसेंसिटिव जोन वहां घोषित कर दिया गया है। वह हमारे भावनगर जिले की तरफ 28 किलोमीटर तक आता है, भावनगर सिटी के बॉर्डर तक आता है और इससे 32 गांव इससे प्रभावित होते हैं। वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत पोर्टेंशियल है। अभी भी वहां स्टेट हाइवेज, नेशनल हाइवेज और रेलवे संबंधी कार्य होने वाले हैं और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी होने वाला है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जो इकोसेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, उसका रि-सर्वे कराकर भावनगर की ओर का इलाका कम किया जाए, जिससे भावनगर का विकास सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद।

माननीय सभापति: डॉ. किरिट पी. सोलंकी को डॉ. भारतीबेन डी. श्याल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Hon. Members, my only request is that you conclude your matter within a minute so that everybody can be accommodated.

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : भारत सरकार ने ज्ञान योजना के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बेहतर बनाने का मुख्य लक्ष्य रखा है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि इसी तर्ज पर भारत के अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित छात्रों की शिक्षा के लिए एक्सेलेंट सेंटर्स खोले जाएं, ताकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज के छात्र भी अपनी गुणवत्तापरक शिक्षा योग्यता को बढ़ाकर राष्ट्र के

निर्माण में योगदान कर सकें। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने ज्ञान योजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि 21वीं सदी ज्ञान का युग है। इस युग में वही समाज प्रगति करेंगे, जो ज्ञान के सही महत्व को पहचानेंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के प्रति ध्यान दे।

माननीय सभापति: डॉ. किरिट पी. सोलंकी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): Thank you, Sir, for giving me an opportunity to raise a matter of urgent public importance.

Rape, torture and sexual abuse against women and children have become a serious topic of discussion in our country. Most of the cases are not even reported, and the accused are also not being punished. The Government has taken various steps to protect women and children across the nation but then, again sexual violence, rape and crime against women and children are increasing day-by-day.

Hence, I would urge upon the Union Government to start fast-track courts in each State for a speedy trial for providing justice to victims. So, I would humbly request the Union Government to take immediate steps to make India a safer place for all women of all social backgrounds. Thank you.

HON. CHAIRPERSON: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shrimati P.K. Shreemathi Teacher.

श्री संजय काका पाटील (सांगली) : सभापति महोदय, मुझे शून्य काल में इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं गुड़ी पड़वा के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ।

महोदय, देशभर में सरकार ने कई योजनाओं के माध्यम से एवं जनजागरूकता अभियान के माध्यम से अवैध गर्भपात और भ्रूण हत्या जैसे गंभीर अपराधों को रोकने का प्रयास किया जाता रहा है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों की तरफ से बेटा बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी कई योजनाएं शुरू की गयी हैं। इन योजनाओं का असर भी देखने को मिला है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि गर्भधारणापूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन के बावजूद देश में लिंगानुपात में कोई बदलाव नहीं आया है, जो देश के लिए बहुत ही चिन्ताजनक विषय है। गलत मानसिकता वाले चिकित्सकों एवं अल्ट्रासाउण्ड क्लीनिक्स के चलते आज हम इस गंभीर समस्या से ग्रस्त हो चुके हैं। हाल ही में पता चला कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र सांगली के गांव महिसाल, तालुका निरत, जिला सांगली, महाराष्ट्र में पिछले आठ-दस वर्षों से अवैध गर्भपात की गतिविधियां चल रही हैं। इस अवधि के दौरान अवैध गर्भपात...(व्यवधान)

माननीय सभापति: कृपया आप सदन में अपनी मांग रखिए।

...(व्यवधान)

श्री संजय काका पाटील: मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि गर्भपात को रोकने का प्रयास करना चाहिए और उच्च स्तरीय जांच केन्द्र सरकार की कमेटी द्वारा कराई जाए और उसके लिए वहाँ एक कमेटी बननी चाहिए।

HON. CHAIRPERSON: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Sanjay Kaka Patil.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ):सभापति महोदय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिनांक 09.03.2017 को विभिन्न याचिकाओं पर निर्णय करते हुए प्रदेश की चीनी मिलों पर किसानों का वर्ष 2012-13, 2013-14 व 2014-15 के बकाया लगभग 2000 करोड़ रुपए के ब्याज को माफ करने के तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार के निर्णय को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा 22 मई, 2016 को ब्याज माफी पर लिये गये निर्णय को दूषित करार देते हुए कहा है कि सरकार को ब्याज माफ करने का अधिकार तो है, मगर किसानों के हित की अनदेखी करने का अधिकार नहीं है।

सभापति महोदय, समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा किसानों का चीनी मिलों पर बकाया ब्याज माफ करना पूरी तरह से किसान विरोधी कदम था तथा इस फैसले में भ्रष्टाचार की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। वर्ष 2012 में अस्तित्व में आई समाजवादी पार्टी की सरकार के सम्पूर्ण कार्यकाल में गन्ना किसान को न तो गन्ने का उचित मूल्य मिला, वह मूल्य समय पर नहीं मिला तथा न ही उसका ब्याज उन्हें मिला जबकि लिए हुए कर्ज पर किसान को सदैव ब्याज देना पड़ता है।...(व्यवधान)

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराई जाये तथा इस निर्णय में संलिप्त जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाये, चीनी मिलों से बकाया ब्याज की रकम की वसूल की जाये तथा किसानों को उनके बकाये का भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

HON. CHAIRPERSON: Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Rajendra Agarwal.

जय प्रकाश यादव जी, आपका इश्यू स्टेट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम से संबंधित है।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : सभापति महोदय, झारखंड प्रदेश के चतरा जिला के थाना कुंडा, ग्राम बड़रा में विशेष समुदाय के 100 घरों को असमाजिक तत्वों द्वारा जला दिया गया, महिलाओं पर तेजाब फेका गया और प्रशासन मूक दर्शक बन कर रह गया। वहाँ स्थिति तनावपूर्ण और अतिगंभीर है।

मैं सदन में गृह मंत्री जी से मांग करता हूँ कि तुरंत इसकी जांच कराई जाए और सदन में इसका जवाब दिया जाये।... (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, in the wake of framework of agreement signed between NSCN-IM leaders and the Government of India, it was orchestrated that the six decades old insurgency problem has been solved by the Midas touch of the NDA Government. Now, conflicting claims have been started emerging out whereby the NSCN-IM leadership is claiming that integration of all Naga inhabited areas have been accepted by the Central Government. On the contrary, the Central Government has denied it.

I would like to know from the Central Government as to what is the truth behind the framework agreement signed between the NSCN-IM leaders and the Central Government.

SHRI RAM PRASAD SARMAH (TEZPUR): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak on this very important issue involving the integrity of Manipur, Assam and Arunachal Pradesh.

The Naga leaders are claiming that they want integration of Assam, Manipur and Arunachal Pradesh, which is totally illegal. The States of Assam, Manipur and Arunachal Pradesh cannot accept it. The Government of India should stop it. Nagaland should return our territories of Dimapur, Sapekhati, Merapani and other places including Oriam Ghat. It is our demand. The people of Assam will never accept this proposal of greater Nagaland.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : सभापति महोदय, अहमदाबाद के राणीय विस्तार में जब हमारे प्रधान मंत्री जी, तत्कालीन गुजरात राज्य के मुख्य मंत्री थे तो बाबा साहेब नेशनल फाउंडेशन के भव्य इमारत का निर्माण करवाया था। उस इमारत के विकास के लिए उसमें एक्जिबिशन, ई-लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, लाइट एंड साउंड एवं ब्यूटीफिकेशन के लिए गुजरात सरकार ने छः करोड़ रुपए का आबंटन किया है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि गुजरात को अंबेडकर नेशनल फाउंडेशन के विकास के लिए और छः करोड़ रुपए का आबंटन किया जाए ताकि उसका विकास हो सके।
...(ब्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Dr. Kirit P. Solanki.

13.00 hours

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : सभापति महोदय, आपको, हमारे सदन के साथियों और अपने क्षेत्रवासियों सहित समस्त देशवासियों को विक्रम सम्वत् "हिन्दू नववर्ष " की बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बक्सर में रेलवे बैरेक के परिसर में सड़क किनारे जमीन खाली पड़ी है, जिसकी रेलवे के लिए कोई उपयोगिता नहीं है। इस भूखंड पर बराबर अवैध अतिक्रमण होता रहता है, जिससे आम लोगों को काफी कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है। वहां के आम नागरिक उक्त स्थल का सौंदर्यीकरण करते हुए सार्वजनिक उपयोग हेतु एक छोटा उद्यान बनाने के साथ अपने प्रिय नेता स्वर्गीय लाल मुनि चौबे (पूर्व सांसद), जो बक्सर से चार बार सांसद रहे एवं बिहार सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, उनकी स्मृति में एक भव्य प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। श्री चौबे राजनेता के साथ ही गरीबों के मसीहा, संत स्वभाव के समाज सेवक के रूप में सुविख्यादित थे।

सभापति महोदय, उक्त परिसर में ही गुजरात के भूतपूर्व राज्यपाल, राज्य सभा के भूतपूर्व सदस्य एवं बिहार सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र, जिनकी जन्मभूमि बक्सर है और वे बिहार सहित देश के जाने माने सर्वप्रिय नेता एवं आधुनिक राजनीति के संत थे, की भी स्मृति में एक भव्य प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। इनके साथ ही पूर्व विधायक स्वर्गीय राम नारायण राम, जो कि दलित, शोषित एवं पीड़ित लोगों के नेता के रूप में जाने जाते थे, उनकी स्मृति में भी रेल मंत्री और भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि उक्त समाज सेवी विभूतियों, राजनेताओं के लिए उपरोक्त भूखंड में एक छोटा-सा हिस्सा उद्यान सहित मूर्ति स्थापित करने के लिए वहां के नागरिक विकास समिति/न्यास को प्रदान कर यश का भागी बने। 25 मार्च 2017 को स्वर्गीय लाल मुनि चौबे जी की पुण्य तिथि पर रेल राज्य मंत्री ने स्वयं इस बात का आश्वासन दिया था।

माननीय सभापति: कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री अश्विनी चौबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बांदा एवं चित्रकूट सहित पूरे बुंदेलखंड में जानवरों को खुला छोड़ने की प्रथा के कारण किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। वहां कई साल से लगातार सूखा पड़ने के कारण लोगों के पास पशुओं को खिलाने के लिए भूसा नहीं है। जो जानवर कम दूध देते हैं, उन्हें भी खुला छोड़ दिया जाता है। आज हर गांव में सड़क के किनारे झुंड के झुंड जानवर खुले घूम रहे हैं, जो फसलों को नष्ट कर रहे हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस भीषण समस्या से मेरे संसदीय क्षेत्र सहित पूरे बुंदेलखंड को उभारने हेतु केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मिलकर उपाय करे एवं तत्काल समाधान के लिए कदम उठाए।

माननीय सभापति : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) : महोदय, आपके माध्यम से विक्रम सम्वत् की देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ।

महोदय, झारखंड राज्य के कोडरमा जिले के डाहप पंचायत को मैंने आदर्श सांसद ग्राम के रूप में लिया और शत-प्रतिशत यह क्षेत्र वनभूमि में आच्छादित है। समस्या यह है कि वन भूमि में रहने वाले आदिवासियों के पास कई पीढ़ियों से रहने के लिए एक धुर जमीन भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वनों में रहने वाले आदिवासी और गैर आदिवासी सभी के लिए कम से कम उनके रहने के लिए जमीन का आबंटन किया जाए। उन्हें बिजली नहीं मिल रही है, उन्हें शौचालय नहीं मिल रहा है और जब तक उन्हें अधिकार नहीं मिलेगा, उनका उत्थान नहीं हो सकता है। मेरी मांग है कि वन विभाग को उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : सभापति जी, विमुद्रीकरण के तत्काल बाद कैशलेस सोसायटी के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने बहुत-से काम किए हैं। इन्हीं कामों में से एक काम ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की योजना का काम हमारी सरकार बहुत मजबूती से कर रही है, लेकिन मेरे लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारे गांव ऐसे हैं, जो जंगलों में बसे हैं या जंगलों के किनारे बसे हैं। जहां वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र न मिलने के कारण काम नहीं हो पा रहा है, जिससे इंटरनेट की सुविधा गांवों में रहने वाले लोगों को नहीं मिल पा रही है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जो योजनाएं सरकार द्वारा पहले से स्वीकृत हैं, उसमें वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने का सिस्टम खत्म किया जाए और योजनाओं पर काम किया जाए।

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले यह कहना चाहती हूँ कि आप महिलाओं को भी बोलने के लिए अवश्य टाइम दीजिए, हमें बहुत कम समय दिया जाता है।

माननीय सभापति : आप कृपया अपनी बात सदन के सामने रखें।

श्रीमती अंजू बाला: महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं कहना चाहती हूँ कि हम शिक्षा को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख में केंद्रीय विद्यालय नहीं है। मैं मानव संसाधन मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे लोक सभा क्षेत्र के लिए एक केंद्रीय विद्यालय दें।

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्रीमती अंजू बाला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

13.03 hours

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.02 hours

*The Lok Sabha re-assembled at Two Minutes past
Fourteen of the Clock.*

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377 *

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, the matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally handover the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which the text of the matters has been received at the Table within stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

* Treated as laid on the Table.

**(i) Need to undertake electrification of villages under Singhbhum
Parliamentary Constituency, Jharkhand**

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम) : नियम 377 के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान झारखण्ड राज्य में चल रहे ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। झारखण्ड में अभी तक ऐसे सैकड़ों गाँव हैं, जहाँ पर विद्युतीकरण का कार्य नहीं हुआ है। लोगों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है। केन्द्र सरकार ने 2018 तक सभी गाँवों में विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। अगर इसी तरह से कार्य किया जाएगा तो 2018 तक देश के सभी गाँवों में बिजली नहीं पहुँच पाएगी। झारखण्ड में नक्सलवादी समस्या का निराकरण विद्युतीकरण से काफी सीमा तक किया जा सकता है। कई गाँवों में खम्भे लगे हैं, परंतु उन पर तार नहीं है एवं कई गाँवों में अभी तक खम्भे भी नहीं लगे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र सिंहभूम में अभी भी ऐसे कई गाँव हैं, जहाँ पर अभी तक बिजली नहीं पहुँची है। इसी संसदीय क्षेत्र में सरण्डा बहुत बड़ा जंगल है जिसमें स्थित गाँवों में बिजली नहीं पहुँची है और गाँवों में 10 के.वी. या 15 के.वी. के ट्रांसमीटर लगे हैं जो बिजली का लोड वहन नहीं कर पाते और फुँक जाते हैं। ट्रांसमीटर फुँक जाने पर या बिजली आपूर्ति संबंधी किसी उपकरण के खराब होने पर महीनों तक ट्रांसमीटर खराब पड़े रहते हैं। उनको समय पर ठीक नहीं किया जाता है। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में एक गाँव के एक-दो घर का विद्युतीकरण होने पर आस-पास के गाँवों का विद्युतीकरण मान लिया जाता है, जबकि इन गाँवों में न तो बिजली के खम्भे हैं और न ही तार हैं।

इस संबंध में मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराने हेतु जो नई विद्युतीकरण योजना की शुरुआत की है, उसे केवल झारखण्ड में नहीं अपितु पूरे देश में अच्छे ढंग से लागू किया जाए। जिन गाँवों में उपकरणों की कमी है, वहाँ पर उपकरणों की आपूर्ति की जाए, जिससे झारखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण हो सके। मेरे संसदीय क्षेत्र सिंहभूम में जिन गाँवों में विद्युतीकरण नहीं हो पाया है उनका विद्युतीकरण शीघ्र करवाने हेतु झारखण्ड शासन को निर्देश दिया जाए जिससे 2018 तक पूरे देश के सभी गाँवों को बिजली पहुँचाई जा सके।

**(ii) Need to include 'Kamalपुरी Vaishya' caste of Bihar
in the Central List of OBCs**

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : मैं सरकार का ध्यान बिहार राज्य के कमलापुरी वैश्य जाति को राष्ट्रीय पिछड़ावर्ग सूची में शामिल करने की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। विदित हो कि आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए कमलापुरी वैश्य जाति को बिहार सरकार की सेवाओं में आरक्षण लाभ मिल रहा है। यह जाति बिहार सरकार की सूची में दिनांक 18.02.1999 की अनुसूची-2 के क्रम सं. 20 पर अंकित है। कमलापुरी वैश्य जाति के सदृश्य अनेकों पिछड़ी जाति का नाम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की सूची में है, किन्तु कमलापुरी वैश्य जाति भारत सरकार की सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण के लाभ से वंचित है। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों का नाम पिछड़ा वर्ग की सूची में जोड़ने का प्रावधान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम-1993 की धारा-9 एवं 10 में है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम न्यायमूर्ति श्री रामनंदन प्रसाद की अनुशंसा पर आयोग की सलाह सं. बिहार 5/96 दिनांक 16.08.1996/ दिनांक 31.10.1996 द्वारा कमलापुरी वैश्य जाति का नाम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक- 83 में जोड़ने की सलाह केंद्र सरकार को दी गई थी।

यद्यपि आयोग संविधान की धारा-9 (1) एवं (2) के अधीन आयोग की अनुशंसा को मानना सरकार की बाध्यता है फिर भी कमलापुरी वैश्य जाति को केंद्रीय सूची में नहीं जोड़ा गया। यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम-1993 की धारा-11 में प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार ऐसी सूचियों का उन सूचियों से ऐसे वर्गों का अपवर्जन करने की दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग नहीं रह गए हैं या ऐसी सूचियों में नये पिछड़े वर्गों के सम्मिलित किए जाने के लिए किसी भी समय पुनरीक्षण कर सकेगी तथा इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से 10 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात् 10 वर्ष के प्रत्येक उत्तरवर्ती अवधि की समाप्ति पर पुनरीक्षण करेगी।

अतः सरकार से अनुरोध है कि कमलापुरी वैश्य जाति का नाम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित करने हेतु अपेक्षित कार्यवाई की जाए जिससे कि बिहार की इस पिछड़ी जाति के लोगों को भारत सरकार की सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल सके।

(iii) Need to declare Hajira town in Surat district, Gujarat as 'No Fly Zone' and also to strengthen the security of the town

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत) : मैं सूरत शहर के हजीरा की सुरक्षा के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। भौगोलिक रूप से देखें तो हजीरा पोर्ट एल.एन.जी. टर्मिनल, मल्टी कार्गो पोर्ट जहाँ 2.9 मीलियन टन स्टोरेज कैपैसिटी है। इतना ही नहीं 2 लाख करोड़ रुपये के पूंजी निवेश के उद्योग यहाँ पर स्थित हैं। जिसमें ONGC, IOCL, BPCL, HPCL, GAIL, KRIBHCO, NTPC, VARNA CEMENT, RELIANCE, GSPL, GHPC, CAIRN, L&T, ESSAR, ADANI, CELL, GUJARAT GAS जैसे बड़े महाकाय उद्योग वहाँ पर कार्यरत हैं। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो हजीरा पाकिस्तान के कराची बंदरगाह से 679 नॉटिकल माईल और ग्वादर बंदरगाह से 968 नॉटिकल माईल की दूरी पर स्थित है। आज जिस तरह से पाकिस्तान अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहा है और चीन जिस तरह से पाकिस्तान की मदद कर रहा है। इन तथ्यों को देखते हुए मेरी सरकार से मांग है कि इस विस्तार को "नो फ्लाई जोन " घोषित किया जाए। साथ ही साथ ये ऐसे उद्योग हैं जिनमें से यदि किसी एक में भी किसी प्रकार की दुर्घटना या दूसरे देशों द्वारा कोई षड्यंत्र होता है तो सूरत जैसे बड़े शहर में बहुत बड़ी जान-माल की हानि हो सकती है। देश को जो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है उसका तो आकलन ही नहीं हो सकता। इसलिये इस विस्तार को सुरक्षित करने हेतु "नो फ्लाई जोन " के साथ यहां पर कोस्टगार्ड का केंद्र बनाया जाए एवं सुरक्षा बलों की भी तैनाती की जानी चाहिए। यह मेरी सरकार से मांग है।

(iv) Need to create awareness about eco-enzyme and promote its use in the country

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : अस्वच्छता और गंदगी की समस्या को कम करने के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली और आसान तरीका पिछले कुछ सालों में सामने आया है। ईको इन्जाइम जोकि रसोई घर से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ तथा शास्त्रीय पद्धति के अनुसार बहुत ही सरल तरीके से तैयार किया जाता है। यह जीवाणुरोधी एवं विषाणुरोधी होता है एवं रासायनिक प्रदूषण को हटाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन करने के बाद इसके बहुत फायदे सामने आये हैं। देश के कई राज्यों में भी इसका उपयोग लाभकारी पाया गया है। रसोई घर के अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग एन्जाइम के जरिये पर्यावरण और पानी की स्वच्छता, कृषि विकास एवं निजी स्वास्थ्य के लिए भी किया जा सकता है। मैं इसका बड़े स्तर पर प्रचार-प्रसार तथा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण मंत्रालय को उचित कदम उठाने की विनती करता हूँ।

**(v) Need to increase the area under irrigation
in Korba district, Chhattisgarh**

डॉ. बंशीलाल महतो (कोरबा) : मेरे संसदीय क्षेत्र कोरबा में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बाँध मिनीमाता, हसदो-बांगो बाँध स्थित है। इसके जल का उपयोग उद्योगों के साथ ही सिंचाई के लिए किया जाता है। परंतु अधिकांश हिस्सा जांजगीर-चांपा जिला एवं रायगढ़ जिले को प्राप्त होता है। कोरबा जिले को सिंचाई हेतु अत्यंत ही कम (लगभग 5 प्रतिशत) लाभ मिल पाता है। देश में सर्वप्रथम मेरे संसदीय क्षेत्र कोरबा में नदी जोड़ने का अभियान प्रारम्भ किया गया है तथा खनिज विकास न्यास से प्राप्त राशि से कोरिया जिले में निकलने वाली कवाई नदी तथा हंसदेव नदी को जोड़ने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है तथा इसे शीघ्र ही स्वीकृति प्राप्त होने की संभावना एवं अपेक्षा है। इसकी स्वीकृति प्राप्त होते ही बांगो बाँध में पर्याप्त जल भराव होगा।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि कोरबा जिले में सिंचाई का रकबा बढ़ाया जाये।

(vi) Need to take welfare measures for child beggars

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : प्रत्येक भारतीय को भोजन प्राप्त करने का अधिकार तथा 14 वर्ष तक की आयु के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया गया है दोनों ही सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु संविधान में समुचित संशोधन किए गए। संविधान के अनुच्छेद 24 में यह सुनिश्चित किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री अथवा खनन कार्य में नहीं लगाया जा सकेगा। जहाँ एक ओर तो संविधान में बालकों के उत्पीड़न को रोकते हुए उनके तथा उनके सम्मान की रक्षा करते हुए प्रावधान किए गए हैं वहीं दूसरी ओर हर बड़े नगर के चौराहों पर 14 वर्ष से कम आयु के बालक व बालिकाएं हाथ में कटोरा लिए भीख मांगते नज़र आते हैं। यह दृश्य अत्यंत दर्दनाक दृश्य होता है तथा निश्चित रूप से भारत की छवि को धूमिल करने वाला दृश्य है। मेरी सरकार से मांग है कि इन बच्चों को एक सम्मानजनक जीवन जीने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं व इनके सांविधानिक अधिकारों को भी इन्हें दिलाया जाए।

(vii) Need to provide adequate compensation to farmers whose land has been acquired for extension of International Airport at Gaya, Bihar

श्री हरि मांझी (गया) : मेरे संसदीय क्षेत्र गया (बिहार) में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरे बिहार में एक मात्र अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है। लेकिन इस हवाई अड्डे का विस्तार नहीं हो पा रहा है क्योंकि हवाई अड्डे के निर्माण में किसानों की जो जमीन ली गई है उनको उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है जिसके फलस्वरूप गया जिला प्रशासन के द्वारा इस जमीन की बिक्री करने पर रोक लगा दी गई है जिसके कारण किसान अपनी ही जमीन का शादी-विवाह, बीमारी अन्य आवश्यक कार्यों हेतु विक्रय नहीं कर पा रहे हैं।

अतः माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि किसानों की कठिनाइयों को देखते हुए इस समस्या का निराकरण करें तथा हवाई अड्डे का अविलम्ब विस्तारीकरण करने की कृपा की जाए।

(viii) Need to construct platforms and overbridges at all the railway stations on Kodarma-Giridih via Kowad railway line in Jharkhand

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) : मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत कोडरमा से गिरिडीह वाया कोवाड नई रेल लाइन का निर्माण किया गया है। यह लाइन अभी भी पूर्ण नहीं हुई है इसका लगभग 12 किलोमीटर का हिस्सा शेष है, वर्तमान में इस रूट पर रेलगाड़ी भी चल रही है, रेल विभाग ने इस रूट पर गाड़ी चलाई यह एक सराहनीय कदम है, लेकिन खेद का विषय है कि इस रूट पर आने वाले किसी भी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नहीं बनाया गया है, वृद्ध, महिलाओं एवं बच्चों को गाड़ी से उतरने में काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि गाड़ी से कूदना पड़ता है।

मेरा माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि कोडरमा से गिरिडीह वाया कोवाड रूट में जितने भी स्टेशन आते हैं, उन पर आवश्यकतानुसार प्लेटफॉर्म व ओवर ब्रिज बनवाने का कष्ट करें।

**(ix) Regarding Problems being faced by farmers of
Kheda constituency in Gujarat**

SHRI DEVUSINH CHAUHAN (KHEDA): The Indian Oil Corporation (IOC) is laying oil pipelines in many villages of my Kheda constituency viz. Kheda, Matar, Vaso, Nadiad Tehsil in Gujarat. This work is going on for the last one year and not yet completed. The poor farmers have not yet received the compensation of their crop due to which they are facing hardship. The work completed on the farm land has not been levelled properly due to which the farmers are not able to use their farm land. The officials of IOC are non-cooperative and do not respond to any requests/queries of poor farmers. If the situation does not become normal then in near future there are chances of huge agitation by farmers. Hence, I request the Hon'ble Minister to instruct IOC to release the compensation amount to the farmers immediately and also to level the whole farm land properly so that farmers can cultivate their land.

(x)Need to take strict action against fraudulent chit fund companies in the country

श्री सुधीर गुप्ता (मंदसौर) : चिटफंड कंपनियों की धोखाधड़ी और निवेशकों की राशि न लौटाई जाना एक राष्ट्रीय समस्या की तरह सामने आई है। मध्यप्रदेश, राजस्थान, बंगाल सहित अनेक राज्यों में इस तरह के अनेक मामले सामने आए हैं। शिकायतों की अधिकता और आरोपियों की अत्यधिक संख्या के कारण इस तरह के मामलों में समुचित कार्रवाई का अभाव रहा है। यही कारण है कि प्रकरण दर्ज हो जाने के बावजूद कई कंपनियों द्वारा निवेशकों को राशि नहीं लौटाई गई है। इस तरह की कंपनियों में ज्यादातर पैसा गरीब एवं निम्न मध्यमवर्ग का लगा होता है, जो दैनिक मजदूरी से बचत कर पाई-पाई जोड़ते हैं, साथ ही छोटे-मोटे कमीशन में काम करने वाले एजेंट अपना रोजगार चलाते हैं। किन्तु इस तरह की कंपनियों ने दोनों ही तरह के लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि ऐसी जालसाज कंपनियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही कर ग्राहकों का पैसा सुरक्षित वापस लौटाने का प्रबंध करे।

(xi) Regarding modernization of Fire Services in the Country

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): I would like to draw the attention of the Government towards the fact that the equipment used by the Delhi Fire Services and fire services all over the country is outdated and obsolete. Firefighters in several countries are equipped with devices that measure the intensity of the fire, so firefighters do not need to step into the fire to physically measure it. However, these devices are not yet in use in India. The suits and visors used by firefighters are also in need for upgradation. Merely increasing the number of fire vans is not the solution. The vans need to be upgraded such that firefighters can put out the fire from a distance without having to step into the fire and put their lives in danger.

**(xii) Need to enact law for reservation in promotion of SC/ST
Government employees**

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): The Supreme Court has recently declared the Karnataka Determination of Seniority of the Government Servants Promoted on the Basis of Reservation Act invalid stating that the clauses in the Nagaraj judgment, namely inadequacy of representation, backwardness and overall efficiency must be met before reservation in promotion is permitted. I want to thank the Madhya Pradesh Government which has already spent Rs. 63 lakhs on eminent private sector lawyers to fight the judgment of the Jabalpur High Court in the Supreme Court and stop demotion of SC/ST employees. I have written several times to the Chief Minister in this regard. Demotion of SC/ST employees is going on in Several States such as Uttar Pradesh, Himachal Pradesh and Rajasthan. It is imperative that the Union Government immediately pass a Constitution Amendment Bill under Articles 16(4) and 335 to implement reservation in promotion and stop the large scale demotion.

(xiii) Need to establish a Divisional Office of Life Insurance Corporation of India at Dhanbad, Jharkhand

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : वर्ष 1986 में भारतीय जीवन बीमा निगम का मण्डलीय कार्यालय धनबाद में केंद्र सरकार द्वारा खोला जाना था परंतु उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री की तरफ से सहमति न मिल पाने के कारण यह मण्डलीय कार्यालय धनबाद में न खुलकर भागलपुर में स्थापित कर दिया गया था। पुनः वर्ष 1991 में धनबाद को फिर मौका प्राप्त हुआ परन्तु किन्हीं कारणों के चलते भारतीय जीवन बीमा निगम के मण्डलीय कार्यालय को हजारीबाग में स्थापित कर दिया गया। सर्वगुण सम्पन्न होने के बावजूद धनबाद में आज तक एल.आई.सी. का मण्डलीय कार्यालय नहीं खोला गया है। धनबाद भारतीय जीवन बीमा निगम के मण्डल कार्यालय के लिए सभी शर्तों को पूरा करता है। हजारीबाग मण्डल कार्यालय की 18 शाखाओं में से 13 शाखाएं धनबाद तथा धनबाद के आस-पास हैं। हजारीबाग मण्डल कार्यालय धनबाद से 130 कि.मी. की दूरी पर है। जिसके कारण कर्मचारी, अभिकर्ता और पॉलिसीधारक को कई दिक्कतें होती हैं। वहीं धनबाद के विकास के लिए बी.सी.सी.एल. का मुख्यालय, बैंकों का क्षेत्रीय कार्यालय, विज्ञान अनुसंधान यूनिट तथा आई.एस.एम. जिसको अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आई.आई.टी. का दर्जा प्राप्त हुआ है साथ ही भारतीय जीवन बीमा निगम का एक हाउसिंग फाईनेन्स लि. क्षेत्रीय कार्यालय जैसे संस्थान तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यालय वर्तमान में संचालित हो रहे हैं।

अतः मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र धनबाद में भी भारतीय जीवन बीमा निगम के मण्डलीय कार्यालय खोले जाने की अनुमति दी जाए जिससे धनबाद लोक सभा की जनता के साथ-साथ आस-पास के अन्य कई जिलों की जनता को भी लाभान्वित किया जा सके तथा धनबाद के विकास में सहायक सिद्ध हो सके।

**(xiv) Need to bring railway stations at Chakarbhata, Bilha and Dagauri in
Bilaspur district, Chhattisgarh under the jurisdiction
of Bilaspur Railway Division**

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र बिलासपुर (छ.ग.) से मुंबई-हावड़ा रेल लाइन गुजरती है जो बिलासपुर, चकर-भाठा बिल्हा व दगौरी स्टेशन से होकर रायपुर की ओर जाती है। बिलासपुर जिले के संबंधित क्षेत्र को राजस्व, रेल मण्डल रायपुर के अंतर्गत प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से रेलवे द्वारा संचालित कराया जाता है। तीनों स्टेशन बिलासपुर रेलवे और मण्डल रेलवे कार्यालय से लगे हुए हैं, इन स्टेशनों में हजारों की संख्या में व्यापारी एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में कार्यरत सभी प्रकार के यात्रीगण रेल से यात्रा करते हैं।

इन स्टेशनों में रेलवे से संबंधित अवरोध होने पर रायपुर रेल मण्डल से कार्यवाही संचालित कराने के कारण हमेशा विलंब से कार्य होता है। जिसके कारण हमेशा इन क्षेत्रों के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि बिलासपुर रेलवे मण्डल कार्यालय क्षेत्र नजदीक है। आपातकालीन समय में तत्काल कार्यवाही अथवा सुविधा मुहैया कराई जा सकती है।

अतः रेल मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के चकर-भाठा, बिल्हा और दगौरी रेलवे स्टेशन का रेलवे रायपुर मण्डल से अलग कर बिलासपुर रेल मण्डल कार्यालय से जोड़ा जाए।

(xv) Need to upgrade Tumkur railway station in Karnataka as a high-tech station with all modern facilities

SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR): Tumkur city in Karnataka has been selected as 'Smart City' among the 60 cities selected in the first and second phase. In addition to this, Tumkur has also been declared as 'Industrial Smart City' since it comes under Chennai-Mumbai Industrial Corridor. Tumkur is developing as an alternative city to Bangalore. More than ten thousand people are travelling daily from Tumkur to Bangalore. But unfortunately the ' Railway Station' at Tumkur is not having basic infrastructure and also lack amenities. In view of the reasons stated above, I urge the Union Government to convert the present railway station at Tumkur as high tech station with all modern facilities.

(xvi) Need to introduce modern methods of cultivation among tribals of Manipur

SHRI THANGSO BAITE (OUTER MANIPUR): Manipur is a hilly region except for 10% of the area in the valley. The hilly area is mainly inhabited by tribals of different ethnic groups whose livelihood is mainly dependent on Jhum & Shifting cultivation. The peak season of Jhum and Shifting cultivation which results in felling and burning of forests on a large scale starts in the months of February and March annually. This large scale deforestation and burning of the Jhum lands has caused a lot of environmental degradation and pollution.

Hence, it is high time for the Government of India to take appropriate steps for replacing the Jhum and Shifting cultivation system through the introduction of modern and viable methods of cultivation.

(xvii) Need to introduce a pension scheme for divorcee and single women in the country

SHRIMATI MAUSAM NOOR (MALDAHHA): Various schemes aimed at ensuring financial and societal inclusivity of women are being promulgated by the government through various Ministries. However, one category of women have been left out from the ambit of such schemes, they are women who are single and over the age of 30- divorced, separated or unmarried, according to the 2001 census itself, there were about 40 million women in India, identified under this category. These women have been excluded from social and fiscal inclusion by institutional neglect. I would urge upon the government to introduce a pension scheme for these women under the ambit of social Justice Ministry by the next financial year by apportioning necessary grants.

(xviii) Need to impress upon Government of Kerala to stop construction of check dams on river Bhavani in the interest of farmers of Tamil Nadu

SHRIMATI V. SATHYABAMA (TIRUPPUR): It is very shocking to know that the Kerala Government is illegally constructing check dams to prevent the flow of Bhavani river to Tamil Nadu. The Tamil Nadu Government has sought the intervention of the Union Government to prevent Kerala from going ahead with its move which is a gross injustice to the poor farmers of Tamil Nadu in the districts of Coimbatore, Tirupur and Erode affecting irrigation in three lakh hectares.

Notwithstanding stiff opposition from Tamil Nadu, the Kerala Irrigation Department has completed work on the first of the six check-dams proposed across the inter-State river Bhavani. In spite of strong opposition from Tamil Nadu, the check-dam at Thekkuvatta is under progress. This is totally unwarranted and against the interests of farmers in Tamil Nadu.

Bhavani is a tributary of the river Cauvery and any diversion from it should be decided on the basis of inter-State conciliatory talks.

Therefore I urge the Union Government to take appropriate steps immediately to stop the illegal construction of Check Dams across river Bhavani.

(xix) Need to provide better remuneration and extend retirement benefits to Asha Workers in the Country

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYANAGAR): Asha workers have been playing a pivotal role in the field of rural and sub-urban health sector. Their active and laborious participation is the main cause of increasing the number of institutional delivery. It is because of their efforts that we got success to minimize the number of malnourished children across the country. But these Asha workers get very poor remuneration and they are not entitled to get any retirement benefit.

So, I would like to request the Hon'ble Minister of Health and Family Welfare to consider this matter and take necessary steps in this regard.

**(xx) Need to set up Farm Machinery Training and Testing
Institute (FMTTI) in Bargarh constituency, Odisha**

DR. PRABHAS KUMAR SINGH (BARGARH): This is regarding establishment of Farm Machinery Training and Testing Institute (FMTTI) in my Parliamentary constituency, Bargarh in Odisha and sponsoring of extension personnel and farmers outside the country for capacity building. Bargarh is the rice bowl of Odisha. Farm mechanisation programme gaining momentum in Odisha is resulting in increase in demand of farm machineries and equipment manifold. Since Government of India is actively considering establishment of FMTTI in Odisha to cater to quality control and capacity building of farmers, I would like to urge upon the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare to establish one such institute in my Parliamentary Constituency, Bargarh, Odisha. I also urge upon the Ministry of HRD/Agriculture and Farmers Welfare for sponsoring agriculture extension personnel/farmers outside the country for exposure and capacity building.

(xxi) Need to permit sale of eatables and packaged water at fruit/juice stalls at railway stations in the country

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) : सरकार ने देश में "रेलनीति " के तहत रेलवे स्टेशनों पर अनेक जरूरतमंद व्यक्तियों को फ्रेश जूस/फल स्टाल आवंटित किये हैं ताकि ये अपने बच्चों को उचित शिक्षा, अच्छा रहन-सहन दे सके। वर्तमान में इनकी आय न के बराबर रह गयी है और इनको अपने-अपने परिवार के भरण-पोषण में काफी कठिनाई हो रही है। अतः इन बूथों पर रेलनीर, बिस्किट, चॉकलेट सहित अन्य चीजें बेचने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता है जिसकी आय से ये अपने परिवार एवं बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर सके।

देश में रेलवे स्टेशनों पर छोटे स्टाल कई लोगों की आजीविका का साधन हैं। वर्तमान रेल पॉलिसी के अनुसार इनको समाप्त करने की कोशिश की जा रही है और बड़े वेंडरों का ध्यान रखा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन वेंडरों के बचाव के लिए अनेक सांसदों ने सरकार को पत्र भी लिखे हैं लेकिन उस पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। एक तरफ हम रोजगार की बात करते हैं वही दूसरी ओर छोटे वेंडरों से उनकी जीविका के साधन छीन रहे हैं। इस पर सरकार को गौर करने की आवश्यकता है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार उपरोक्त दोनों विषयों पर गहनता से विचार करें और रेलनीति में आवश्यक बदलाव कर पूरे देश में रेलवे स्टेशनों पर फ्रेश जूस/फल विक्रेताओं को स्टालों पर रेल नीर, बिस्किट, चॉकलेट इत्यादि चीजें बेचने की अनुमति प्रदान करे और छोटे वेंडरों की समस्या का निदान करें जिससे ये लोग अपने परिवार की अच्छी तरह से देखभाल एवं आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

(xxii) Need to improve the Orderbook position of Hindustan Shipyard Ltd

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): I want to raise an issue concerning Hindustan Shipyard Ltd. The company was under the administrative control of the Ministry of Shipping until February, 2010 and then, it was transferred to the Ministry of Defence. This was done to enable the company to play a major role to undertake construction of high-tech warships and submarines. But the present balance orderbook of the company requires a minimum order book of Rs.5,000 crores to break even. Other DPSU shipyards have orders far in excess of this amount. By mid 2017 majority of the production facilities in the company would lie idle.

Therefore, it is requested that the orderbook position of the company has to be improved immediately to enable the company to sustain itself by giving 08 x CS IPVs on reassignment at new bench market price and 03 x Cadet training ships until big orders materialize.

(xxiii) Regarding the problem faced by employees of Instrumentation Limited, Palakkad in Kerala

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Instrumentation Limited (IL) Palakkad has been making profit since its inception in 1974. However, the main unit of IL in Rajasthan is incurring losses since long and the Government of India was forced to shut it down. At the time of closure of Rajasthan Unit, I had proposed the handing over of profit making unit of IL Palakkad to the Government of Kerala. I had met the Hon'ble Prime Minister with this proposal and requested to take favourable decision. The Government of Kerala has offered to take over the profit making unit at Zero cost and Zero debt. Though the Palakkad Unit is profit making, due to the overall losses of the company, salary revision has not been undertaken in Palakkad since 1997. Hence, unsettled dues are pending for the employees. I request the Government of India to immediately formulate a financial package to settle and expedite the procedure in this regard.

(xxiv) Need to withdraw the decision to shift the office of Inland Waterways Authority of India, Bhagalpur, Bihar to Sahebganj, Jharkhand

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र भागलपुर में भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का कार्यालय है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग सं.-1 पर वर्ष 1992 से स्थापित है। इस कार्यालय के द्वारा मुंगेर-राजमहल सेक्टर में संचालित सभी कार्यों की निगरानी की जाती है। प्राधिकरण के मुख्यालय द्वारा इसे झारखण्ड राज्य के साहिबगंज क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है। वर्तमान में जो कार्यालय है, वह किसान की भूमि अधिगृहित कर निर्माण कराया गया था। इस कार्यालय को अन्यत्र स्थानांतरित करने से सरकार द्वारा अधिगृहित भूमि तथा भवन उपयोग में नहीं आ सकेंगे तथा नए स्थान पर कार्यालय ले जाने से सरकार का पुनः नए भवन का निर्माण कराना होगा, जो कि उचित नहीं है। वर्तमान कार्यालय से सभी कार्य सुचारु रूप से चल रहे हैं। अतः सरकार से मेरी माँग है कि जनहित में उपर्युक्त विषयक उचित आदेश देकर कार्यालय के स्थानांतरण पर रोक लगाने का कार्य करें।

(xxv) Need to provide road connectivity to some villages of Karimganj in Assam under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana

SHRI RADHESHYAM BISWAS (KARIMGANJ): Ministry of Rural Development sent advisory to the government of Assam for completion of PMGSY targets of unconnected habitations which is enlisted with core network as per census population of 2002. In my constituency Karimganj there are some unconnected inhabitations situated in remote and hilly areas with terrorist problem enlisted with core network, where it was shown that the population is less than 250. In fact now the population has crossed the previous limit and become above 250 numbers as per census of 2011. In Hailakandi district some villages were not enlisted with core network. Now the surveyor engaged by the Department is not undertaking survey of these roads for lack of requisite population, some for higher cost and some for not enlisted in core network. But it is highly essential to connect these villages with better road network for all-round development as well as to curb terrorist problem. I request the Ministry of Rural Development to put these villages under PMGSY road connectivity and direct state government to do the needful.

**(xxvi) Need for early completion of Angamaly-Sabari
railway Project in Kerala**

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Though the work of Angamaly-Sabari Railway Project commenced 19 years ago, the railway could complete only 5 kilometers of railway line out of 116 kilometers length. After settling the dispute on cost sharing, the Government of Kerala and Railway has entered into an agreement and a joint venture company has been incorporated. In the current year's budget, Rs. 213.59 crore is allotted for the project. Hon'ble Prime Minister included the project in PRAGATI. During the 16th PRAGATI interaction on 16th October 2016, the Hon'ble Prime Minister agreed to complete the project with full Central Government fund. The Hon'ble Railway Minister also agreed for the same during the discussion with the Chief Minister of Kerala. The railway has not approved the revised estimate and is not taking steps to proceed with the work due to the ambiguity in cost sharing. Hence, the intervention of the Government is requested.

14.04 hours**NATIONAL INSTITUTES OF TECHNOLOGY, SCIENCE EDUCATION
AND RESEARCH (SECOND AMENDMENT) BILL, 2016**

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, item No. 9 - National Institutes of Technology, Science Education and Research (Second Amendment) Bill, 2016.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I have a point of order.

HON. DEPUTY SPEAKER: Under what rule, are you raising the point of order?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: My point of order is under Rule 80(4) and Rule 376 of the Rules of Procedure and Conduct of the House.

Sir, now the House is going to discuss the National Institutes of Technology, Science Education and Research (Second Amendment) Bill, 2016. This is being piloted by the hon. Minister for HRD. The aims and objectives are to incorporate two more institutes to declare it as Indian Institute of Science, Education and Research, one is at Tirupati and the other at Behrampur.

My point is this. In today's list of business, there is one other item, that is, the Repealing and Amending Bill, 2017. That Bill is also slated for discussion today. If you go through that Bill, that is Repealing and Amending Bill, 2017, a number of Acts have to be repealed and the three existing Acts have to be amended.

Sir, kindly see today's list of business. In the Second Schedule, the first item is 2007 Act No. 29 the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act of 2017. Sir, the contradiction is that the hon. HRD Minister is piloting a Bill in order to amend the existing Act, that is, the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act and, at the same time, the hon. Law Minister is going to pilot another Bill to amend the same Act where the Schedule is going to be amended. You may kindly notice in that Act of 2007 which is going to be amended in order to amend the constitution of the Council and the powers of the Council, that is, under Sections 30A and 30 of the Act. It is

going to be amended by the hon. Law Minister through the Repealing and Amending Bill.

My point is whether the HRD Ministry is aware of this amendment. As the HRD Ministry comes absolutely under the administrative control of HRD Ministry, how can the House take up two amendment Bills on the same Act in two different instances in one Session on one day, that is, today itself. It could be done only if the amendment in the Repealing and Amending Bill had been entirely different and distinct. But the hon. HRD Minister is piloting another Bill to amend the same Act to incorporate two more institutions under the category of National Institutes of Technology. How will this come? This is totally improper. That is why, I am quoting Rule 80, where a very detailed description is given in respect of the scope of amendments to the Rules and Schedules. Here, the Schedule is being amended and the clauses are to be amended.

There is absolutely a contradiction in amending the Act in such a way. I would like to know from the hon. Chair, the hon. Deputy Speaker, whether it is proper and fair on the part of the Government to amend the same Act in two instances on the same day. In the Repealing and Amending Bill the same Act is there. It is not *errata*; it is not a corrigendum and it is not a correction. In the Repealing and Amending Bill, if it had been *errata* or a corrigendum or a correction, I would definitely agree with it that it is a correction which has come within the ambit of the Repealing and Amending Bill. But this is not the correction. The proposed amendment is about omitting the words 'as the case may be'. It means that powers of the Council have been increased. So, increasing the powers of the Technical Council under the Act of 2007 means a material amendment is being brought in the House in the name the Repealing and Amending Bill and that is also coming as next item of the business. I also want to have a clarification from the hon. Minister as to what the role of the hon. Minister is in having amended the other Act.

Sir, the hon. Minister is amending the Act of 2007. He could have very well come along with this amendment of omitting 'as the case may be' in clause (d) of Section 3. This could also be brought within the purview of this Act. It is not only a wasting of the time of this House but also repetition of amendments of the same Act on the same day in two different items of the same business. I would like to know from the hon. Chair whether it is proper on the part of the Government in having the legislative process being taken in such a way.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): I am very happy that the hon. Member reads all the agenda items in detail. But I think he is a bit confused and is also confusing the whole House. The Repealing and Amending Bill clearly mentions as to what we need to repeal. It is the original Act of 2007 where the words 'as the case may be' shall be omitted. These words are being omitted because they have different connotations. We will explain that when the Repealing and Amending Bill will be placed. It can also be explained at that time as to why we took it on the same day. So, it will be entirely different from the present Bill.

The present amendment Bill, which we are going to discuss, is about establishment of two institutes. One institute is going to be set up in Andhra Pradesh. This is being done as per the promise given at the time of reorganization of Andhra Pradesh at Tirupathi. The second institute is being set up as it was announced in last year's Budget. These are extremely important national institutes of research. So, establishment of these two institutes is different from what is mentioned in the Repealing and Amending Bill. The Bill of 2007 has already been amended twice in 2012 and 2014 to include one institute each. So, these are two different matters.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: The hon. Minister is making an unnecessary allegation that I am confusing the House. ... (*Interruptions*)

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: This is not an allegation.... (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: I do agree, but my point is that those two amendments are distinct and separate, but coming under the same Act. I am only questioning the propriety of the Government in moving such an amendment because two amendments coming under the same Act are being piloted by two Ministers and the time of the House is being spent. So, I would like to know whether it is proper. Only the propriety is being questioned. I do agree that the matter is different, but it is coming under the same Act. The two amendments are coming under the same Act.

HON. DEPUTY SPEAKER: Since you raised the point, the hon. Minister has explained.

There is no bar because different amendments are being made. Therefore, I rule out the point of order.

Hon. Minister.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR : Hon. Deputy Speaker, Sir, with your permission, I beg to move :-

“That the Bill further to amend the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007 be taken into consideration*.”

Sir, this Bill is important for three reasons. First, we need to have the best of the best institutes more and more in number in our country which will do essential research. देश में शोध होना चाहिए और उच्च शिक्षा के केंद्र ऐसे बनने चाहिए कि जो एक बहुत अहम शोध, रिसर्च और इनोवेशन के इंस्टीट्यूट हों। वर्तमान में हमारे पास आई.आई.टी. है, वह एसेंशियली इंजीनियरिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, आई.आई.एम. एसेंशियली मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, लेकिन जो बेसिक साइंस है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंस और अन्य हैं, Which is the institute for doing that? That institute is the National Institute of Science Education and Research. This NITSER is a combination of NITs. The National Institutes of Technologies are different NITs. Actually, they are regional engineering colleges converted into NITs. IISER is a very prominent institute.

* Moved with the recommendation of the President.

When we pass this Bill, we will have seven IISERs. So, this is a very important milestone. What this Government under the leadership of Prime Minister Modi has done in last three years is expansion of quality education. Seven new IIMs are opened. Six new IITs are opened. Two new IISERs, what we are discussing today, are opened. One hundred and four Kendriya Vidyalays are opened and 62 Navodaya Vidyalays are opened. This is to ensure expansion of quality education right from primary stage to higher education level. This is one good effort this Modi Government led by Shri Narendra Modi is doing.

We have two kinds of institutes. One, there are State Universities or even Central Universities and some are affiliating universities also. So, omnibus affiliating universities with multi-disciplinary studies are important, but they are part of the general education, mainstream education. We need Centres of Excellence because in affiliating universities, only local students can participate. But these are all India institutes in which the best of the best students come from all over India to join research and innovation.

How is admission to IISERs given? Direct admission is given to top one per cent of all State Board Examinations. 12वीं में जिनको सबसे अच्छे मार्क्स मिले हैं। ऐसे टॉप 1 परसेन्ट को साइंस एजुकेशन में जाना है तो आइसर में डायरेक्ट प्रवेश ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहां किशोर वैज्ञानिक योजना होती है, There are Children Science Innovation Club and many other initiatives. So, with that examination also, people come. JEE (Advanced) is there. What is required for admission in an IIT is also the requirement for admission in an IISER.

Today, we have seven IISERs because these two, which we will be enacting today, have already started functioning through a society model. They have already started functioning in Tirupati since 2015 and in Berhampur since 2016. What these institutes are achieving is excellence in science and research. There are more than 5,500 students. This is a huge number. We have also made expenditure till today on these seven IISERs. This started ten years ago in 2006.

First one was in Kolkata followed by Pune, Mohali, Thiruvananthapuram and others.

So, all these followed up. Now, we have added Shibpur, Mohali and Bhopal also.

We have incurred an expenditure of nearly Rs. 4,600 crore for all these seven IISERs, but we must remember that we must incur public expenditure for highest quality education. I am saying this because it is the real investment that a nation makes in its future. Therefore, this kind of investment of such a large amount for so many students is necessary because we create scientists there.

We have this basic science education where we have BS-MS course. Once students come, it is a five-year integrated course. So, he becomes a Master. There are 3,891 students in it. Then there is integrated Ph.D. course also. There are 479 students in the integrated Ph.D. course. There are regular Ph.D. programme where there are 1,375 students.

What do these institutes achieve? These institutes achieve 5,746 students who are the brain and we must be proud of these students. I have gone to two or three IISERs and I have seen how intellectually they are working. We must be proud of these institutes, and I would request all our Members also to visit IISERs, IITs and IIMs because when you go and have an open dialogue with students, then you will feel proud that, yes, everything is not waste in what we are doing and there is an amount of pride, which we can take in our efforts.

As I said, हर साल हम इन 'आइसर्स' पर नौ सौ करोड़ रुपये खर्च करते हैं, यह कम खर्चा नहीं है और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, दुनिया की रैंकिंग में अब्बल नम्बर पर भारत का बंगलौर का इंस्टीट्यूट है। उसमें भी हर साल एक इंस्टीट्यूट में तीन-तीन सौ करोड़ रुपये लगते हैं, लेकिन हम कभी पैसे की कमी नहीं आने देंगे। 'आइसर' में जो प्रोग्राम चलता है, जैसा मैंने कहा - बायलोजिकल, कैमिकल, इंजीनियरिंग, साइंस, मैथ्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस है। More importantly, there is humanities and social science because we believe that just technology / science education is not enough. After all, what is the purpose of the education system? The purpose of the education system is to bring out a good human being out of

them. Therefore, we must also have humanities and social science awareness in all kinds of students that we produce. Therefore, in IITs, IIITs and NITs also we have done much to improve the humanities faculty also.

We have eminent 450 faculties. ... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, is the Minister going to give his reply right now? ... (*Interruptions*)

श्री प्रकाश जावड़ेकर : मैं जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। आपके जो मुद्दे उठेंगे, रिप्लाइ उन पर करूँगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: चूंकि हमें जाना है, इसलिए पूछा है।

श्री प्रकाश जावड़ेकर : मैं आपका पांच मिनट समय लूँगा। लेकिन यह अच्छी चीज है। You will welcome it. Shri Kharge, you are welcome in any of these IISERs.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: अच्छी चीज है, इसलिए रायचूर को भी एक दे दो, यह हमने आपसे पूछा था।

श्री प्रकाश जावड़ेकर : मैं आपके साथ न्याय करूँगा। कर्नाटक में ही सारे संस्थान नहीं हो सकते। रिसर्च इम्पार्टेंट हैं, इन्होंने पैटर्न्स भी बहुत अच्छे पाये हैं, यहां स्कालरशिप्स भी देते हैं और सभी शोध कार्यों में यह हमारी एक गौरवशाली संस्था है। जैसा मैंने कहा कि तिरुपति में जो शुरू किया, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन हुआ, तब वह प्रोमिस दिया था, पार्लियामैन्ट का एक्ट पास है। In a way, it is a consequential new addition, but it is a good addition. I have gone there. We have the best faculty there.

As regards Berhampur, Odisha, we must look to the East. We must develop our Eastern States and in all respects Berhampur was the best location found for it and from all over India students have come to Berhampur also. ... (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): It is not Berhampur. It is Brahmapur. ... (*Interruptions*) Berhampore is in West Bengal.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR : So, I stand corrected. ... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: What you are saying is all right, but he is mentioning the ancient name of it. ... (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: No, it is Brahmapur. ... (*Interruptions*)

SHRI PRAKASH JAVADEKAR : See, officially, it is Berhampur, but I agree to his logic also.

So, I want that more and more people participate in this discussion in order to know how to improve the quality of higher education. With this, I move this Bill for consideration and passing.

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved :

“That the Bill further to amend the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007 be taken into consideration.”

KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): Thank you, Deputy Speaker, Sir. Hon. Minister has given us a lengthy introduction. In that introduction, like any government of the day would do, he has highlighted the achievements of this Government in setting up institutes and said that they must be made into institutes of excellence. But I have to say that in any democracy while the Treasury Bench is bound to highlight the positives of any policy or any ministry, we owe to the nation as Members of the Opposition to point out the challenges of that very ministry of that very field. I think the entire House will agree that education is the backbone of this country and technology and technological capabilities will be the backbone of this country.

Today, I congratulate the people of Odisha and Andhra Pradesh that, I am sure, a long pending dream is being fulfilled and I hope that these two Institutes that are being recognised by way of these amendments as Institutes of national importance will help, not just those states but, I realize as I come from a Cachar Parliamentary Constituency in Assam where we have an NIT, that when a good institution comes up in any state or in any part of the country, I would say, the students or children or people who want higher technical education get benefited because we can go and take admission in the other states of the country. So, these two Institutes, I hope, in the future, will become an asset, not just for the State of Odisha and Andhra Pradesh but for the entire nation.

Hon. Minister has very carefully and meticulously told us as to what are the criteria for admission to these Institutes, what are the basic science courses that will be held in these institutes and what he aspires these institutes will grow into. I feel compelled to point out that, in the recent media reports, the problems that these two Institutes have been facing in the past after the decision of the Cabinet to declare them as Institutes of national importance must be highlighted on the Floor of the House and I would like to state that in Odisha, Members of Parliament from there would agree with me, that connectivity is a problem in Brahmapur like Mahtab ji said. There is a demand that the nearest airstrip which was made during

the British time must be upgraded and updated so that access to this world-class institution that we all are dreaming of has access to the rest of India.

Apart from that, many local newspapers in Odisha and the Times of India have reported that there is an 11 km road that connects that airport to the campus and a DPR must be made immediately so that the national resources of the country are properly used which we all would agree is an important aspect.

Apart from that, I would like to point out that the admissions for research programmes were delayed by a year in the Tirupati Institute whether it was physics, chemistry, biology or mathematics. Several vacancies for the posts of Professors and Associate Professors have emerged in the Tirupati Institute. I hope the hon. Minister will take interest in that and solve that problem.

Sir, I am bound to say that the excellence of an institute, especially a technical institute and institutes like NIT, IIT and IISER, is the research work that what is their innovation and what is their contribution in the area of innovation and research. Flowing from that, I would like to inform the hon. Minister that neither of these two IISERs in Tirupati and Odisha have doctoral degrees or post-doctoral fellowships. If we really want these Institutes to grow in the next five years or six years into Institutes of Excellence, this is something we have to facilitate in these two Institutes.

Coming from the North East States, the hon. Minister has only encouraged me to say it more emphatically on the floor of the House that

सर, आपने लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में कहा, यह मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हमारे मंत्री जी भी लुक ईस्ट पॉलिसी एवं एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात हमेशा करते हैं। मैं यह कहूंगी कि वर्ष 2015 के बजट में श्री अरुण जेटली जी ने एक प्रपोजल दिया था कि नागालैंड में एक आई.आई.एस.ई.आर. को इसी तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्ट्स का रिकोग्निजेशन दिया जाएगा, परंतु अभी जो देखने में आ रहा है कि इसका न तो कोई कैबिनेट अप्रूवल है और न ही इस बिल में नागालैंड के लिए इस इंस्टीट्यूट का कोई जिक्र है।

मैंने मीडिया में देखा है कि नागालैंड की सरकार कह रही है कि हमें आई.आई.एस.ई.आर. को इंकलूड न करके, उन्होंने वहां पर एक आर्किटेक्चर स्कूल की मांग की है। मैं आशा करती हूँ कि जब आप अपना रिप्लाय इस सदन में देंगे तो यह बताएंगे कि इसके बारे में क्या हुआ? क्या हम नागालैंड के लिए उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में यह मिलेगा?

Hon. Deputy-Speaker, Sir, there is a huge need or there is an increasing need not just to emphasise on opening new institutions and declaring new institutions as institutions of national importance, but what I would be worrying about if I were sitting in the position of hon. HRD Minister is the challenges that these institutions face.

Today, whether it is IITs, whether it is NITs, whether it is IIITs, all of them have a certain generic nature of problems and, together, if we do not focus on those problems, I feel we may not be able to solve it. Therefore, I choose today not to criticise the Government or the workings of the Government – it is a happy day for Odisha and Andhra Pradesh – but to be fair to several institutes in this country which are facing difficulties, I would like to raise certain important issues.

First of all, despite the skills that we equip to our engineers or students who go to these institutes of excellence and institutes of technology, the question is: do they fit the job market? अगर देखा जाए तो देश में 3300 इंजीनियरिंग कॉलेजेज़ हैं और more than 14 lakh engineering seats are available today, but the question is that when these students pass out of these engineering colleges, what is their level of employability? Today we talk about demographic dividend. Today India boasts about its demographic dividend. If we do not convert this dividend into an asset, then I feel that we are actually wasting another important national resource, which is our youth dividend.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, in 1981, there was a time when there were only 20,000 admissions in a year. Today that number has gone up to 14.7 lakh seats all over India, whether it is Government or private institutions. But the question is: is this an opportunity for the youth? A recent AICTE report has stated -- and I am

sure the hon. Minister is aware of it because I have read that the Government is planning to take this report very seriously – that out of eight lakh engineers passing out every year, nearly five lakh remain unemployed. So, the question is: where is it that we are going wrong? Despite passing these significant Bills in trying to create institutions of excellence, our engineers are remaining unemployed.

Further, the dismal situation to my mind is that only one per cent of those students participate in summer internships. I am very happy to say that IIT Delhi has done some out of the box thinking and they had told the students that they need not go for a summer internship but to promote entrepreneurship, you can do an independent project. Having said that, today, only 15 per cent of the 3,300 engineering institutions have been accredited by the National Board of Accreditation. If these are the figures, is it enough for us as a nation to simply create institutions? It is not because what institutions will actually give to the nation is to turn out into an asset. We want India as a country to beat other nations with the technological edge.

I would like to say that often we hear in this House about how well the state of Gujarat is doing. I would not like to undermine the performance of a State like Gujarat. Sometimes I ask myself, Mr. Deputy-Speaker, Sir, when we praise a State too much, and over and over again, do we as a natural consequence of that, ignore some of the problems that it may be facing? By way of that, something relevant to the HRD Minister, and without undermining the performance of Gujarat as a State, I would like to point out that in 2014-15, 47 students who passed out engineering, found placements on their campus across engineering colleges in the country. The figure in Gujarat is only 26 per cent; 74 per cent had to fend for themselves and when they did find a placement, their income was less than Rs.2 lakh per annum.

I would like to state that the amount of enrolment in engineering colleges has fallen by 22 per cent. If they really want to hail the Gujarat model, I hope the

HRD Minister will look into this aspect. I am happy to say that the HRD Ministry is taking the AICTE Report very seriously, and they are planning some reforms and they have kept for themselves certain targets that by 2022, 50 per cent of the programmes shall be accredited by the NBA. If there is no progress, then approval will be refused. This is one of the steps the Ministry is trying to take.

All of us, as Members of this House, are aware of the Kakodkar Committee Report on IIT and NIITs. I am sure the HRD Minister will take these into consideration and will implement them because this Committee was actually set up during the tenure of his predecessor, and I am sure it is part of the record.

You mentioned about the North-East, I would only say that I am happy to see that the World Bank has given US\$ 201.50 million as the part of the Technical Education Quality Improvement Project, which is commonly called TEQIP, Phase III. I am even happier to see that World Bank Country Director in India has specifically said that this funding will concentrate on equitable distribution of skills across India, and with the focus on under-performing States. I am even more elated to see in this list, all the North Eastern States found place, apart from Chhattisgarh, Bihar, Andaman & Nicobar. So, I would request the hon. Minister that the biggest challenge of these institutes is capacity building.

Today the faculties of IITs, NIITs, and other engineering institutes, unless they synergise, unless they increase collaboration in teaching, I feel that we may not be able to give our students in these institutes the kind of technological know-how, the kind of exposure which is competitive with the world at large, may not be possible without this. Apart from that, I had to bring to the notice of the House that World Bank is saying that demand for intake is going up every year. So, it has actually gone up by 16.5 per cent annually between 2006-17 and 2013-14. Now, look at the anomalies.

On the one hand, we are talking about unemployability of engineers and technicians who are coming out, on the other hand, the World Bank is saying that there is a growing demand for engineers. Therefore, although this is a small Bill

and the message we have to take from here इंस्टीट्यूट खोलना है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पैसे की भी कमी नहीं है, पर उस इंस्टीट्यूट से जो बच्चे पढ़कर निकलते हैं, despite the growing demand, as per the World Bank, for engineers, why are our children not getting jobs?

HON. DEPUTY SPEAKER: Our syllabus is an old syllabus. We are still following that. That is the problem.

... (*Interruptions*)

KUMARI SUSHMITA DEV: I met Shri Javadekarji last year with a very heart-breaking problem. The heart-breaking problem was that last year 3,195 seats fell vacant, whether it is NIT, IIT, IIIT and these institutes. It is a huge waste of national resources. I had met you. It is my request that 'जौसा' को बनाए हुए अभी काफी वक्त हो गया है। अगर 'जौसा' के बनाने के बाद भी हम इंजीनियरिंग कॉलेज में वेकेंसी भर नहीं पा रहे हैं, तो शायद 'जौसा' की वर्किंग में परिवर्तन लाने की जरूरत है।

I would request, through you, the officers of your Department and sometimes I feel that they did not emphasise enough. Whenever I have worked with you, my experience with you has been that you have never said 'no'. जब आप एन्वायर्नमेंट मिनिस्टर थे, आपने हमें महासड़क में मदद की। But, I felt that despite the fact that it was in the knowledge of the Department, JoSAA, CSAB कि 20 जुलाई, 2016 में छः राउंड्स के बाद क्या वेकेंसी थी और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि 15 अगस्त से पहले इसे फिल करना है। 20 जुलाई से 15 अगस्त तक आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा था। तब आप नए-नए मंत्री बने थे।

That is why, I am not saying anything to you today. I have great respect for you. But, I am sad to say that people in your Department did not apprise you properly because of which we actually lost huge amount of resources. मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे पास भारतवर्ष के कई कोनों से बच्चे आए। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट गई। The Supreme Court did not issue notice in that petition. But, I can tell you that the Supreme Court Judges were not happy with the action replay of what has happened in the past. Where there is a problem, there is a solution. We have solved many problems in the past. I hope that this problem will be solved by the hon. Minister. It will not

repeat itself. मैं वह वक्त आने से पहले आपसे जरूर मिलूंगी और याद दिलाऊंगी कि ऐसा फिर से न हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016, जो माननीय मंत्री जी द्वारा सदन में अभी प्रस्तुत हुआ है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के इन दो संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने पर आदरणीय प्रधान मंत्री जी और अपने यशस्वी मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ ही ओडिशा और आंध्र प्रदेश की जनता को भी बधाई देना चाहता हूं कि उनके युवाओं को इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी प्रबंध शिक्षा, विज्ञान और कला के क्षेत्र में उच्च और उच्चतम प्रगति के शिखर के अवसर प्राप्त होंगे। इन संस्थानों के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी विज्ञान और ज्ञान के माध्यम से अपने देश को और सशक्त कर सकेगी। इसलिए जो बिल आया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं इसे राष्ट्र की प्रगति में नींव का पत्थर महसूस करता हूं। किसी भी देश की सफलता में सबसे बड़ा योगदान उसकी शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का होता है।

अमेरिका शीर्ष पर सिर्फ इसलिए पहुंचा क्योंकि वहां का विज्ञान और प्रौद्योगिक सर्वश्रेष्ठ है। आज अभियांत्रिकी में जर्मनी विश्व में अपनी श्रेष्ठता सिर्फ इसलिए साबित कर पाएं क्योंकि वहां के इंजीनियर और तकनीशियन विश्व में प्रथम स्थान पर हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में तबाही के कगार पर पहुंच चुका जापान विश्व में सफलता के झंडे गाड़े हुए है, क्योंकि उसका विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उसका तकनीक और विश्वविद्यालय विश्वस्तरीय हैं। चाहे फ्रांस हो, दक्षिण कोरिया हो, डेनमार्क हो, कनाडा और सिंगापुर हो, प्रत्येक राष्ट्र की सफलता की मंजिल विज्ञान और प्रौद्योगिकी की कठिन राह पर चल कर हुई है। मंत्री जी जिस तरह का बिल लाए हैं मैं उनको हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। यह बिल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान, शिक्षा अनुसंधान संस्थान एक्ट, 2007 में संशोधन के साथ आया है, इस बिल का मुख्य उद्देश्य ही इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न शाखाओं में स्नातक और स्नातकोत्तर एवं शोध की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना है और देश के औद्योगिक विकास हेतु तकनीक मानवशक्ति का नितांत अभाव महसूस होता है, का निर्माण करना है।

मुझे लगता है कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान विभिन्न प्रदेशों की अन्य जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि पहले क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज थे जिनमें से कुछ को एनआईटी का दर्जा मिला और कुछ राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित हुए हैं। ये उच्च मापदंड स्थापित करते हुए उन राज्यों का नेतृत्व भी करेंगे

और सरकार की इस परिकल्पना को साकार करने की दृष्टि से यह बिल आया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2007 के एक्ट के दायरे में लाया गया है उसको पहले भी वर्ष 2012 में संशोधन आए थे, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण संस्थान को लिया गया था। आज हमें खुशी होती है कि दो संस्थान राष्ट्रीय महत्व के हुए हैं। इससे पहले भोपाल कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुअनंतपुरम आदि शामिल हैं, पांच पुराने थे और दो नए हो गए, कुल मिलाकर सात ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान हो गए हैं।

उपाध्यक्ष जी, हमारी सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति वचनबद्धता है, आज देश में राष्ट्रीय महत्व के 31 प्रौद्योगिकी संस्थान हैं और सात भारतीय वैज्ञानिक शिक्षा अनुसंधान संस्थान सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। यह गर्व का विषय है कि कुल मिलाकर आज देश में 38 शीर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान हैं जो देश की बढ़ती हुई मानव संसाधन की मांग न केवल पूरा करते हैं बल्कि विश्व परिदृश्य में एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर बनकर काम कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष जी, पुरातन काल में भारत ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व किया है। विभिन्न कारणों से हम कहीं न कहीं पिछड़ गए थे, इसका परिणाम यह रहा है कि हम विकास की दौड़ में पश्चिमी देशों से पीछे हो गए। लेकिन अब हमारी सरकार तेजी से उस खाई को पाट रही है और उसी का परिणाम यह बिल है। किस भी राष्ट्र का विकास विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बिना संभव नहीं है। विकास की परिकल्पना साकार करने के लिए सुदृढ़ विद्यान और प्रौद्योगिकी की आधारशिला महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, अमेरिका की विज्ञान और प्रौद्योगिकी की संसदीय समिति ने अपनी टिप्पणी में कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् अमेरिकी अर्थव्यवस्था की 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित विकास योजनाओं को लागू करने के कारण हुई है। अमेरिका इस बात को स्वीकार करता है कि उसकी प्रगति विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर जो रास्ता उसने तैयार किया उसी के आधार पर अपने को श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित किया।

मुझे प्रधानमंत्री जी पर गर्व होता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त करने की दिशा में युद्ध स्तर पर जुटा है। आज तिरुपति में महत्वपूर्ण संस्थान स्वीकृत हो रहा है, इसकी घोषणा हो रही है। मुझे याद आता है कि जनवरी, 2017 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 104वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा अगर आपसी सहयोग स्थापित कर पाएं तो वर्ष 2030 तक भारत विज्ञान के क्षेत्र में विश्व की तीन प्रमुख शक्तियों में शुमार हो जाएगा।

यह हमारे प्रधान मंत्री जी ने इसी जनवरी में कहा है। इतना ही नहीं, आज विश्व में वैज्ञानिक प्रकाशन की औसत दर 4 प्रतिशत है। मुझे खुशी है और मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि पिछले ढाई-तीन वर्षों से यह प्रकाशन बहुत तेजी से बढ़ा है और आज हम 14 प्रतिशत के उल्लेखनीय दर से आगे

बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि हमारे वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं की कुशल और दूरदर्शिता के चलते आने वाले दशक में भारत विश्व फलक पर एक शीर्ष वैज्ञानिक शक्ति के रूप में स्थापित हो जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने वर्ष 2017-18 के लिए 79685 करोड़ रुपये का जो प्रावधान किया है, वह पिछले वर्ष से 9.9 प्रतिशत अधिक है। इतना ही नहीं, मैं मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि पहली बार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वित्त पोषण एजेंसी के लिए 250 करोड़ रुपये की रिकार्ड धनराशि का आबंटन किया गया, जबकि यह पहले केवल मात्र 1 करोड़ रुपये हुआ करती थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ कि प्रधान मंत्री के वैज्ञानिक अध्यक्षता वृद्धि के लिए 75 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये और विश्व सेवी संस्थान के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इसके लिए भी मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, आईआईएम के लिए रिकार्ड वृद्धि करते हुए साल के 730 करोड़ रुपये के विपरीत 1030 करोड़ रुपये का आबंटन और आईआईटी के लिए पिछले बजट में जो 5 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान था, उसे बढ़ाकर 7856 करोड़ रुपये करना इस बात का प्रमाण है कि यह सरकार पूरी ताकत के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्र को विश्व में श्रेष्ठता पर ले जाने के लिए कटिबद्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्या ने इंजीनियरिंग के बाद रोजगार का विषय उठाया। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने 'मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्ट अप, स्टैंड अप' सहित दर्जनों ऐसी क्रांतिकारी योजनाओं को लागू किया, जो इस राष्ट्र को उसके शिखर तक पहुंचाने का रास्ता तय करेगा। हमारे नौजवानों को चंद वर्षों में इन संस्थानों के माध्यम से जो कौशल विकास मिलेगा, उससे भविष्य में न तो मेक इन जापान दिखाई देगा और न ही मेक इन चाइना दिखाई देगा। अगर भविष्य में कोई दिखाई देगा, तो पूरी दुनिया में मेक इन इंडिया दिखाई देगा।

उपाध्यक्ष महोदय, विज्ञान का रास्ता बहुत महत्वपूर्ण है। हम जावेडकर साहब को इस बात के लिए बहुत बधाई देना चाहते हैं। आपने तिरुपति संस्थान के लिए चालू वर्ष में 40 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं और आबंटित करने की बात कही है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। ओडिशा के बहरामपुर स्थित संस्थान, जो देश का महत्वपूर्ण संस्थान घोषित हो रहा है, उसके लिए तीन वर्षों में 137.30 करोड़ रुपये की अनावृत्ति पूंजी और 152.79 करोड़ रुपये की आवर्ती पूंजी के रूप में परिव्यय स्वीकृत किया है, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूँ कि ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में पूरी दुनिया में धाक मचाने वाला हिन्दुस्तान आज फिर उसी रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन ढाई-तीन वर्षों में जिस तरीके से हमारी सरकार ने इसे आगे बढ़ाने का काम किया है, उससे पूरी दुनिया हिन्दुस्तान पर आंखें गड़ाये बैठी है। हमारी प्रतिभायें जो पहले पलायन करती थीं, वे प्रतिभायें अब हिन्दुस्तान में खड़ी होकर विश्व के शिखर पर हिन्दुस्तान को लेकर जायेंगी। वह वेद, उपनिषद और पुराणों का जन्मदाता रहा है, वह ऋषि-मुनियों की तपस्थली रही है और वहां पर आयुर्वेद का भी जन्म हुआ है। वह ज्ञान का सागर है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस तरीके का कोई संस्थान उत्तराखण्ड की धरती पर भी हो, जो हिमालय और उससे जुड़ी हुई श्रृंखलाओं को ज्ञान के एक केन्द्र के रूप में अपनी अमिट छाप आगे बढ़ा सके। मैं एक बार पुनः मंत्री जी को इस बिल के लिए बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

DR. MRIGANKA MAHATO (PURULIA): Thank you, hon. Deputy Speaker Sir.

The National Institute of Technologies, Science Education and Research Bill, 2016 is a very important and welcome Bill in the context of engineering education in India both in the undergraduate and postgraduate levels and in the context of research.

A Bill was first introduced in the year 2007. The motto behind the National Institute of Technology Act was to provide for declaration of certain institutions of technology, engineering, and science and to give national importance to them so that they can provide or carry out quality education both in the undergraduate and postgraduate level of engineering, and do research work in the frontal branches of engineering.

The Act was first amended in 2012. In 2007, there were 20 such institutions run by different societies across the country which were included and they were mentioned in the First Schedule. In 2012, when the amendment was done, another ten institutions run by different societies were included and their names were given in the First Schedule. At that time five Indian Institutes of Science Education and Research were incorporated and mentioned in the Second Schedule. In 2014, another Indian Institute of Engineering, Science and Technology in Shibpur was included in the Third Schedule. All these endeavours are very good in promoting engineering education and research.

In 2016, this Government incorporated two new IISERs to meet the regional imbalance on bifurcation of the State of Andhra Pradesh into Andhra Pradesh and Telangana. One of them is at Tirupati in the State of Andhra Pradesh and the other at Behrampur in the State of Odisha. So, to meet the regional imbalance and to promote engineering education, this endeavour of the Government is very good.

At present, there are a total of 31 National Institutes of Technology; five Indian Institutes of Science Education and Research; and in this Bill, two more would be included to have seven IISERs. This approach is a welcome approach

but I would like to make a humble submission on the floor of the House on the points of my concern.

My first concern is the quality of education. That is the prime focus of the Government and the Government is providing a substantial amount of finance to these institutions. So far as my information goes, the global ranking of these NITs is between 3,500 and 4,000. That is far below in the rankings. The global ranking of IIT Delhi and IIT Bombay are between 400 and 450. Only the Indian Institute of Science, Bangalore has a ranking between 300 and 350. So, in the global rankings we are far behind. In the Asian standard, the ranking of NITs is not within 1,000; only IIT Bombay and IIT Delhi are within 300 in the Asian standard. So, my humble submission to the Minister and the Government is that there should be an expert committee which should monitor the quality of engineering education in India and this huge gap between the global ranking and the Asian ranking should be bridged.

We should have a Committee to monitor the quality of education in NITs and the 31 NITs in India should get a ranking. The gap between these institutes should be bridged. Faculty from one NIT should move to other NIT. Similarly, students from one NIT can go to another NIT. All these would help in maintaining parity in engineering education in the whole country.

The next point of concern is the research work. The Minister has said that the IISER's focus area is research work. Is there any report with the Government as to how many research papers are being submitted every year by the engineering students studying in these institutions in the Indian Journal and the International Journal?

A number of scientific programmes and scientific competitions are being organised in the country. How many students of NITs and IITs participate in such competitions? Do you have any such record, as this is very important in the research work?

We appreciate the research work done by the space technology or by the DRDO. I would like that all these engineering institutions should also do research work.

Brain drain is a long standing problem of India. We all know that a large number of students after passing out from these institutions go abroad to do their research work. One day we read in the newspaper or watch on TV that one Indian scientist doing research work in the MIT or Harvard University has got the Nobel Prize in Physics or Chemistry. This should stop. We should create an environment where all the brilliant engineering students do research in India and be the pride of our institutions. We should think on these lines.

Is the Government thinking of having a common test before giving the pass out degree or the final certificate to the students who pass out from these NITs? The Government should consider this proposal so that we could know that there is parity of education in all the engineering institutions in India. Before giving the graduation certificate a common test should be held to maintain parity of education in all the engineering colleges of India.

With these words, I congratulate the Minister for giving a new IISER to Andhra and Odisha to maintain the regional imbalance. I welcome this Bill. Thank you.

15.00 hours

DR. PRABHAS KUMAR SINGH (BARGARH): First of all, I must congratulate and thank the hon. Minister for bringing the National Institutes of Technology, Science, Education and Research (Second Amendment) Bill, 2016 because it is quite befitting to the time. I once again thank him for giving one IISER to Berhampur, Odisha and one at Tirupati, Anhdra Pradesh.

These institutes of national importance are very important so far as the scientific, industrial and technical research are concerned. The National Institute of Technology, Science Education and Research is an Act of 2007. Again, NITSER declares certain institutes of technology, science education and research as institutes of national importance and provides for further research, training and dissemination of knowledge in these institutions. My earlier speakers were speaking about the challenges before the higher education, NITs, IITs, IISER and institutes of national importance like IIM and all the Central Universities.

Now, a number of students in our country are going abroad every year. After passing out from our institutes, they are not getting jobs in our country and as a result, they are going abroad. This matter is of great concern for all of us and is a big challenge for higher education. I would like to take this opportunity to talk about the crisis of higher education in our country.

The Government is keen to create world-class universities, which is a welcome move. But, the Government must understand that the world-class institutes are not created. Quality universities are evolved over decades and centuries and are nurtured through curiosity, research, knowledge and policies. Funds are important too, but the soul of the university lies in the knowledge culture. The knowledge creation and dissemination are crucial for the economic growth and development of our country. The colleges and universities are central to this enterprise. Ease of doing business and such economic policies will follow

behind good quality of education. Their implementation depends on the quality of human resource being created in India.

In a reply to a Question on 5th February, the Minister of State for Planning, Shri Rao Inderjit Singh said that the overall unemployment is rising. He said that unemployment rate is now five per cent. That is an alarming two per cent increase in the last two years. Our focus should be on improving the quality of education so that our young population not only become more employable, but also become more enterprising. If youths are enterprising, they will have the capacity of creating employment for themselves and for many others. I request the hon. Minister to tell the House as to what the Government is doing to improve the quality of higher education.

Regarding the IISER of Berhampur, our hon. Chief Minister has given me local support. He has given good land at prime location next to the NHs and to airport and provision for uninterrupted power and water supply. But, yet there is non-availability of full-time director. So, a full-time director should be appointed.

Again I would like to bring to the kind attention of hon. Minister regarding VSSUT, Burla. This is in western part of Odisha and is one of the pioneering engineering colleges established long back in the year 1956. This year, it is celebrating its diamond jubilee. It is the first institute of Odisha to be granted autonomous status in the year 1991 and awarded 12B status by UGS in 2012 and all the engineering courses of VSSUT are AICTE approved. It has a big campus of 203 acres and another expansion of 503 acres. The total students' strength is about 3,900. The total teachers' strength is about 326 and student-teacher ratio is 1:13. At present, the university offers 11 B.Tech programmes, 20 M.Tech programmes, Degree Programmes, M.Sc. Programmes and Integrated MSc. Programmes, 3 M.Phil Programmes, MCA Programmes and Phd. Programmes. It has an alumni of around 30,000 throughout the world and there is every scope for best research in this university. It is very close to Hirakud Dam which is the longest earth dam of the world. This University can collaborate with this dam for further studies. The

other institutions which are close to this university are IIM, Sambalpur and VSS Medical University. A number of industries like Vedanta, Hindalco, Mahanadi Coal Fields, are also there. The students can take practical training there.

15.05 hours

(Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

I want to request that this Institute of Technology should be upgraded to the rank of IEST (Indian Institute of Engineering, Science and Technology) of National Importance because it is a long standing demand of the people of this locality. Our hon. Chief Minister has requested the hon. Minister for upgrading this university to the status of a university of national importance. Its upgradation has been recommended so many times by the UGC and other committees. I once again thank the hon. Minister for bringing such a Bill.

Sir, higher education in our country is in a very challenging position. None of the 200 universities of our country including IIT and IIM figure in the top 200 universities of the world. We have to think about this. We have to give employment to our younger generation.

Our focus should be on filling up of vacancies. A large number of vacancies are there in most of the universities including the central universities and State universities. So, these vacancies should be filled up and the best students and academicians should be appointed as teachers and faculties of these universities. We should bring more transparency in employment. I have heard about one rule that for appointment to universities one cannot go to the court of law in case of any injustice. So, there should not be such questions and the best students and academicians should be appointed as Professors and Assistant Professors. As regards selection of Vice Chancellors, we should be more careful. The persons who may be appointed as Vice Chancellors should be of high caliber, good academician and good administrator so that they can be the pioneer in bringing reformation in those universities.

The entire House is concerned about higher education. Once again I would request you to upgrade VSSUT to a university of national importance (IEST) because it has the entire infrastructure. It has wide scope for research and employability. I think hon. Minister will consider this point.

I once again thank the hon. Minister for bringing such a good Bill.

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): Sir, I rise to support the National Institute of Technology, Science Education and Research (NITSER) (Second Amendment) Bill, 2016.

The amendment of this Bill seeks to amend the NITSER Act, 2007. In fact, the NITSER Act, 2007, was adopted to declare India's National Institutes of Technology as Institutes of National Importance. It enables NITs to receive additional funding from the Central Government over and above the funding received by the State.

The Indian Institute of Science Education and Research, Tirupati commonly referred to as IISER, Tirupati, is a public research and education institute in Tirupati, Andhra Pradesh.

It was allocated to the new State of Andhra Pradesh as a part of the promises made under the Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014. I thank the NDA Government, on behalf of the Andhra Pradesh Government for fulfilling one of its promises. Already they have given five Institutes and two more Institutes are left out. On this occasion, I would request the hon. Minister to consider a central university and a tribal university also. During this Session itself, please pass the Bills concerning the central university and a tribal university also.

IISER Tirupati is recognised as an Institute of National importance by the Government of India. It was established in order to promote higher scientific learning and research as well as scientific exploration at the Under-Graduate and Post-Graduate levels of education and to create scientists and academicians of the highest quality.

The State Government of Andhra Pradesh has earmarked 244 acres of land at Srinivasapuram, Pangur and Chindepalli villages of Yerpedu Mandal for construction of a permanent campus of IISER, Tirupati.

These institutes are envisaged to carry out research in frontier areas of science and to provide quality science education at the Under-Graduate and Post-Graduate level. Initially, 20 institutes were incorporated under the first Schedule.

The NIT Act came into effect on August 15, 2007. It was further amended in 2014 to include Bengal Engineering and Science University, renamed to Indian Institute of Engineering Science and Technology under its purview. The Act was renamed to the NITSER Act, 2007. IISER was declared as an institute of national importance under the National Institute of Technology Science and Research Act, 2012. An amendment in 2016 was made to establish an NIT in Andhra Pradesh as an institute of national importance. The amendment seeks to incorporate two more IISERs under the Second Schedule at the following locations. In Tirupati, Andhra Pradesh, a sum of Rs. 40 crore has been allocated with an outlay of Rs. 137.3 crore over the next three years. The State Government has already started the institution at a temporary location. I would like to request the Central Government to give the DPR and allocate more funds for this institute as early as possible so that before the first batch passes out if the infrastructure is completed, faculty is appointed and the Director is appointed and the placement officer is appointed, then there will be no justice for students the students passing out in the first batch.

Meanwhile, pending construction of the permanent campus for the institute, on the recommendation of the State Selection Committee, it has been decided to commence its functioning from the academic session of 2015-16 from the transit campus at Sree Rama Engineering College, Tirupati.

Sir, I would like to mention here that a temporary campus has become functional since August, 2016 with IISER, Pune mentoring this institute till a new Director for it is appointed.

Sir, before I would conclude I would like to make a few points. I am basically an educationist. I have been in the sphere of education since the last 25 years. The first thing relates to the problem of my State. Owing to the unscientific division of the State, Andhra Pradesh was subjected to a lot of injustices. Due to

bifurcation of the State, all the premier institutions of the State have now gone to the State of Telengana. On behalf of our hon. Chief Minister, Shri N Chandrababu Naidu, for sanctioning institutes like IIT, IIM. But I would like to request the hon. Minister to allocate funds so that the building construction and other infrastructure facilities are in place before 2019.

Sir, before I conclude I would like to make a few points. I am basically an educationist. I have been in the sphere of education since the last 25 years. The first thing relates to the problem of my State. Owing to the unscientific division of the State, Andhra Pradesh was subjected to a lot of injustices. Due to bifurcation of the State, all the premier institutions of the State have now gone to the State of Telengana. On behalf of our hon. Chief Minister, Shri N Chandrababu Naidu, for sanctioning institutes like IIT, IIM and other institutes to the State of Andhra Pradesh. I would like to request the hon. Minister to expedite the completion of these institutes before 2019. I have already mentioned about the Central University and the Tribal University. Three years have already elapsed. This may kindly be expedited.

I would like to refer to some of the problems plaguing the educational system nation-wide. Many hon. Members spoke about engineering colleges, education, training and placement. I want to mention here one thing and that is education is compulsory for all the people in the country not merely for reasons of employment. Education is for knowledge. Education endows wisdom and confidence amongst people. It helps the society to grow. Owing to privatisation, liberalisation and globalisation, many private colleges have come up. But with many colleges, the industrial growth of the country is not commensurate. Previous speakers mentioned that around 30 per cent of people are employable and 70 per cent of them are not employable. What is the reason for this? It is not only because of lack of skills but it is also because of lack of opportunities. This country needs more and more industrialisation, It is then only we can provide employment for the engineering graduates.

I would like to request the hon. Minister to implement a uniform education policy throughout the country. There should be uniform syllabus; there should be uniform fee structure and uniform rules. It is because the syllabus varies from State to State and from university to university. The rules also are different and the fee structure also is different. AICT prescribes the norm and according to the norm an institute has to charge the fees which amounts to Rs. 60,000 to Rs. 70,000. But the State Government is allowing only Rs. 35,000 to Rs. 50,000. How can we get quality education? So, we should focus on this issue.

Secondly, we are talking about international standards. Once upon a time, this country was imparting education to other countries but unfortunately, our people are going to other countries for education. What is the reason for this? It is because the earlier rulers were not giving that much of importance to education. At least, in your tenure, you may kindly focus on all IITs, NIITs, etc. and get them into international standard. If necessary, you may invite international professors, academicians and appoint them and try to bring some of our Centers of Excellence, which are four in number, upto the required standard because there should be uniform growth in the country. Only education will lead to growth and development to the country than the politicians and any other system. At least, you should try to improve the four Centres of Excellence which are there in the South, North, West and Eastern parts of India.

As regards the employability, we have skill development. I convey my sincere thanks to the hon. Prime Minister for establishing a separate Ministry called the Ministry for Skill Development. Please try to synchronise the HRD Ministry with the Ministry for Skill Development so that all students of Engineering Collages will get sufficient training of skill development at the time of completing their courses. By this, the gap will be filled by the Ministry for Skill Development as there is a variation between the University syllabus and the industry requirement. There is a lot of gap between the two. Hence, to fill that gap, this Ministry should take steps.

We including the parents, students and the Government should change our attitude. We always give preference to the quantity of education like intermediate, degree, PG and research. But I would request you to focus on quality education and moral education. We read in the newspapers that IAS officers, IPS officers, engineers and doctors do not behave properly in the society. Why? It is because we are not giving moral education to students. Even in the schools, we have English medium right from LKG but we do not give importance to moral education. Hence, try to focus on moral education also. We have a lot of morals to be learnt from our Puranas, Mahabharata and Ramayana.

SHRI BHEEMRAO B. PATIL (ZAHEERABAD): Sir, this Bill seems to amend the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007, the NITSER Act.

The NITSER Act declares certain institutions of technology, science education and research as Institutes of national importance and provides for research, training and dissemination of knowledge in these institutions.

The 2007 Act was amended in 2012 to include a number of new institutes within its ambit. The Second Schedule was added to include new Indian Institutes of Science education and Research under the 2007 Act.

This Bill incorporates two Institutes namely, the Indian institute of Science Education and Research, Tirupati (Andhra Pradesh) and the Indian Institute of Science Education and Research, Berhampur (Odisha). These steps of the Government are welcome.

I support the Bill but I would like to bring to the notice of the Government few demands of our State, which have been promised but not fulfilled. The Government has been instrumental in fulfilling its promises to the State of Andhra Pradesh but in this process, Telangana is being neglected.

As the youngest State of the country, I would request the Central Government and the HRD Ministry to prioritize education in the Telangana State and provide the people of Telangana world-class education by recognizing the institutes in the State, providing medical colleges in every district and giving other important institutes to the Telangana State like the IIMs.

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Mr. Chairman, Sir, this is a very important subject. Today we are discussing about the higher education of this country. Education is a tool to create a new society, which will result in good people emerging in our country and that would reflect the growth of our country.

This is a very small amendment. We have amended the same Act in 2012 to include certain institutions in the ambit of this Bill. The Bill amends the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007. This Act declares certain Institutes of Technologies, Science Education and Research as institutions of national importance and provides for research, training and dissemination of knowledge in these institutions.

I would bring it to the notice of, through you, the Minister of HRD that we have given this status to so many institutions. What is the state of such institutions? In our State there was one Regional Engineering College in Calicut. We have changed that REC into an NIT. The rank of that College is very close to the institutions of higher rank. But that rank has come down. So, I asked the students and teachers of that Institute about it. Their reply is very alarming. If the Government of India gives some assurance to give more money, more faculty and more technological advancement in such institutions, that would be helpful. That is true for not only for this REC which was converted to NIC but also for other institutions. We have already 75 institutions in this category. The IEST, Shibpur was also included in this category. But the Government has failed to honour the promises made in regard to allotting funds and other things.

The Financial Memorandum also reflects the same situation. It says that an amount of Rs. 40 crore has been allocated for establishment of the Indian Institute of Science, Education and Research, Tirupati and a sum of Rs. 137.30 crore has been allocated for the establishment of other institute in Odisha spread over three years have been made with the stipulation that sanction of funds would be on

incremental basis after assessing the requirement as part of the annual budgetary exercise. How can such institutions survive without proper funding at proper time?

So, I would like to raise this question before the Minister. We should see to it that the quality of such prestigious institutions does not decline in the future.

This Bill incorporates two Institutions. One is the Indian Institute of Science Education and Research at Tirupati and the other is the Indian Institute of Science Education and Research at Berhampur in the State of Odisha. I am not against this. I have raised some more questions relating to higher education. I have worked along with the Minister of HRD. He was a Member of the HRD Committee. We have discussed many Bills and we have placed many Reports before the Government at that time. We have discussed many Bills. Last year also, I think, I raised this issue before the Minister regarding the shortage of faculty in the IITs, IIMs, NITs and other Central Institutions.

As we go through the Budget, we see that 95 per cent of the money goes to these institutions. But the number of students studying in these elite institutions is very meager. In terms of percentage it is only two or three per cent. But the majority of students are studying in the State Universities and other educational institutions.

The research activities undertaken in the State level institutions are very good. Some of the State level institutions are functioning better than national institutes. So, I would request the Minister to look into State level institutions also.

माननीय सभापति: अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

SHRI P.K. BIJU: Sir, this is a very important subject. I am doing some work in this field since 2009 onwards. That is why, I may be given a little more time to speak.

Sir, it is very important to look into the problems in the field of higher education in our country. The rate of suicides among the students is increasing even in higher educational institutions in our country. Why is it happening? Everyday, 20 students are committing suicide in India. This is a very sad situation.

This is not my statistic. This is the statistic given by the National Crime Records Bureau. This is a serious concern. This is not only happening in JNU or Hyderabad Central University, but this is happening in other universities and other educational institutions. What is the reason for this? In one such case, the students have approached me. A large number of Dalit students have been dismissed and removed in Roorkee University. This is happening especially in premier science and professional colleges and universities. This is a matter of serious concern. The new generation of this country is going in the direction of suicide. About 90 per cent of suicide is happening among the students belonging to the Reserved Category. Why is it happening? We should take strong action against people concerned. The Government has not filled up the vacancies of the teaching faculty in the Reserved Category in IITs, IIMs and other institutions.

Sir, we are going to give the status of institute of national importance to two institutes through this Bill. But what is the status of reservation there? In 2007, an Extraordinary Gazette published in our country.

माननीय सभापति : समय की सीमा है। आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री पी.के.बिजू: सर, हम समाप्त करेंगे।

In the Extraordinary Gazette issued on January 4, 2007, in Section 3, it is stated that SCs are given 15 per cent reservation, STs are given 7.5 per cent reservation and OBCs are given 27 per cent reservation. But Section 4 of the same Gazette says that institutions of excellence, research institutions, institutions of national importance and strategic importance specified in the Schedule are not include in the list. What is the reason for this? I want a direct answer from the Minister as to why reservation is not allowed in these institutions. What is the stand of the Government in this regard?

Sir, mushroom growth of private institutions is very alarming. The private institutions are harassing the students. There is a complaint of harassment of students in all private institutions. So, I would request the hon. Minister to look into this matter and do the needful in this regard. With these words, I conclude.

SHRIMATI BUTTA RENUKA (KURNOOL): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on the National Institutes of Technology, Science Education and Research (Second Amendment) Bill, 2016.

I welcome this Bill because this Government is fulfilling the commitments made at the time of bifurcation of the State of Andhra Pradesh. As part of this, the National Institute of Technology was established in the State of Andhra Pradesh. This Bill is part of one such provision in the Andhra Pradesh Re-organisation Act, 2014, which stipulates that Indian Institute of Science Education and Research is to be set up in the newly created State of Andhra Pradesh. I am happy that it is being set up in Tirupati, the abode of Lord Balaji. Tirupati is a centre of educational institutions and many of them are supported by Tirumala Tirupati Devasthanams, and Tirupati has got all the potential to become one of the national hubs of education. I may state that the recent All India Science Congress held at Tirupati and inaugurated by the hon. Prime Minister was a huge success. Sir, I would request this Government to promote and develop Tirupati as an educational and devotional centre by developing the necessary infrastructure.

Sir, I am also happy that another such institute is being set up in Berhampur in Odisha. This indicates the focus on the backward areas as both these centres are part of backward regions.

The main objective is to make available facilities for higher education, research and training in various fields of science and technology.

Science education needs to be implemented across all layers of society and the benefits be made accessible to the large population of this country.

Sir, our investment in scientific research is very low as compared to other developed countries. The contribution of private sector towards research is insignificant in our country whereby the dependence on the Government is more.

The fruits of scientific research are visible in this country and have immensely contributed to the improvement in standards of living.

The vision of the institutions like Indian Institute of Science Education and Research is creation of educational centres of the highest calibre in which teaching and education in basic sciences will be totally integrated with state-of-the-art research.

Though we have made progress in setting up institutions of higher learning, they are not able to cope up with the growing population. We must further note that the aspirations of the people are growing and we need to cater institutions to meet the expectations.

Science in India has significant potential for further development.

I am happy that this Government is implementing and fulfilling the promises made at the time of bifurcation one-by-one. However, one important promise made on the floor of the House remains unfulfilled, which is keeping the people of Andhra Pradesh disturbed and depressed.

This issue is causing a lot of anguish in the minds of people of Andhra Pradesh. I would request the hon. Prime Minister to honour all the commitments made in Parliament including special category status to the State of Andhra Pradesh.

With these words, I conclude. Thank you.

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

सबसे पहले तो मैं अपने देश के मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। हाल ही में उन्होंने हमारे लोक सभा क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय का शुभारंभ किया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली के नॉर्थ-ईस्ट क्षेत्र में अभी तक एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं था। इन्होंने न सिर्फ केन्द्रीय विद्यालय दिया, बल्कि इन्होंने एक ऐसा रूल बना दिया, जिसके कारण आज भारत के छह मेट्रो शहरों में केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ने की इच्छा रखने वाले छात्र तथा गार्जियन खुशी से नृत्य कर रहे हैं। पहले यह निर्णय था कि चार एकड़ से कम जमीन में सेंट्रल स्कूल नहीं बनेगा। ... (व्यवधान) वे बहुत खुशी से नृत्य कर रहे हैं। पहले यह व्यवस्था थी कि मेट्रो शहर या कहीं भी अगर चार एकड़ से कम लैंड होगी, तो वहां पर सेंट्रल स्कूल नहीं बन सकता है। हमारे यहां भी यही समस्या थी। हमारे क्षेत्र में एक सवा दो एकड़ की लैंड थी। हमारे माननीय मानव संसाधन मंत्री जी ने हमारे यहां केन्द्रीय विद्यालय बनाने के साथ-साथ, ऐसा रूलिंग पास कर दिया है कि अब मेट्रो शहरों में सवा दो एकड़ लैंड में भी केन्द्रीय विद्यालय बन जाएगा। यह दिखाता है कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान को पूरा करने के लिए किस प्रकार से कार्य किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, थोड़ी देर पहले हमारे कांग्रेस के एक मित्र बोल रहे थे: “We know, education is the backbone of any country.” मुझे कांग्रेस के मित्र के उस डॉयलाग पर बहुत हँसी आ रही थी। ऐसा कहते हैं कि एजुकेशन किसी देश की बैकबोन होती है, लेकिन दुख होता है कि जिस देश की शिक्षा बैकबोन हो, उस देश की शिक्षा को छिन्न-भिन्न करने के लिए कांग्रेस सरकार के द्वारा वर्ष 2004 में रूल बना दिया जाता है कि बच्चा पढ़े या न पढ़े, वह 8वीं क्लास तक पास हो जाएगा। इन दोनों डॉयलाग्स में कितना कंट्राडिक्शन है।

मैं अपने सभी साथियों को याद दिलाना चाहूंगा कि लार्ड मैकाले वर्ष 1835 में भारत का दौरा करने आए थे। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, नार्थ-ईस्ट तक, पूरा दौरा करने के बाद जब ब्रिटिश संसद में वे बोले तो उन्होंने कहा था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि भारत को अगर परास्त करना हो, भारत को अगर कमजोर करना हो, तो उसकी शिक्षा व्यवस्था पर चोट करनी होगी। लार्ड मैकाले, पूरी ब्रिटिश सरकार और अंग्रेज जिस काम को नहीं कर पाए, उसे वर्ष 2004 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री, मैं उनका नाम यहां लेना उचित नहीं समझता हूँ, आप सभी जानते हैं कि वे कैसे व्यक्ति हैं। हम जब संसद में आए तो हम लोगों को यह बात रखने का मौका मिला कि बच्चा पढ़े या न पढ़े, वह पास होता

जाएगा, सिर्फ मिड-डे-मील खाने के लिए जाएगा, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि एजुकेशन इज दि बैकबोन ऑफ एनी कंट्री।

महोदय, मैं आपका ध्यान दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था की तरफ भी खींचना चाहता हूँ। ... (व्यवधान) यह सारी सच्चाई है। इसमें बुरा लगने की बात नहीं है। ... (व्यवधान) मैं नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, मैं माननीय मानव संसाधन मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए अब यह प्रयास शुरू कर दिया है। अब बच्चे पढ़-पढ़ कर अगली क्लास में जाएंगे, ऐसी व्यवस्था भी शुरू हो गई है। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।

मैं आपका ध्यान इसी दिल्ली में एजुकेशन की तरफ ले जाना चाहता हूँ। आप सबको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि दिल्ली के कई स्कूलों में बच्चे 3 दिन ही पढ़ते हैं, क्योंकि 3 दिन दूसरे बच्चे पढ़ते हैं। स्कूलों में पढ़ने की जगह नहीं है। मैं माननीय मानव संसाधन मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि प्रदेशों में शिक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, खास तौर से दिल्ली में, उस पर जरूर ध्यान दिया जाए कि इस पर केन्द्र सरकार क्या कर सकती है, हमारी संसद क्या कर सकती है। एक स्कूल में, जहां सुबह भी पढ़ाई होती है, शाम को भी पढ़ाई होती है, उसके बाद भी 3 दिन आधे बच्चे पढ़ते हैं, 3 दिन आधे बच्चे पढ़ते हैं और 4 सत्र में पढ़ते हैं। स्थिति यह है कि जो दिल्ली सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री जी असत्य वादे और प्रपंचों के लिए जाने जाते हैं, वे कहते हैं कि हम 500 नये स्कूल बनायेंगे और 20 नये कॉलेज खोलेंगे। ... (व्यवधान) मैं आपको जानकारी देते हुए बताना चाहूंगा ... (व्यवधान) यह एनसीटी दिल्ली है, नेशनल कैपिटल टेरेटरी, यह नेशनल है। ... (व्यवधान) मैं यह प्रार्थना कर रहा हूँ। हमारे कांग्रेस के मित्र क्यों परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनके साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, इसलिए परेशान हो रहे हैं। ... (व्यवधान) आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है? हमको पता है कि आप दोनों एक हैं। मैंने कहा कि पूरे देश में अगर कोई ऐसा करता है कि उसके यहां बच्चे आधा पढ़ते हैं, 6 दिन नहीं पढ़ते हैं, 3 दिन पढ़ते हैं, तो यह गंभीर विषय है। मैं आपको बताऊं कि वे न सिर्फ पांच सौ नए स्कूल बनाने का वायदा करते हैं बल्कि एक भी स्कूल के लिए जमीन देने की संस्तुति नहीं करते, प्रयास भी नहीं करते। इसलिए आज जब शिक्षा पर बहस हो रही है तो मैंने सोचा कि आपके ध्यान में लाऊं। किसी भी स्टेट की बात हो, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार सर्व शिक्षा अभियान पर आगे बढ़ रही है। सबको शिक्षा मिले, यह इस देश के हर बच्चे का अधिकार है, इसलिए मैंने आपसे यह बात कही।

आपने कहीं नहीं सुना होगा कि कोई शिक्षक अपने हक की बात करता हो और किसी प्रदेश का मुख्य मंत्री बोलता हो 'होश में आओ, नहीं तो तुमको सस्पेंड कर देंगे'। ऐसी लाइनें दिल्ली में बोली जा रही

हैं। यहां 60 हजार टीचर कौन्ट्रैक्ट पर हैं। मेरा यह पक्ष यहां रखने का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि हमारी केन्द्र सरकार के कानों तक यह बात जानी चाहिए। जो टीचर 15-15 सालों से पढ़ा रहे हैं, वे अनुभवी हो गए हैं। आप वायदा करते हैं कि उन्हें स्थायी करेंगे और जब वे हक मांगते हैं तो उन्हें नौकरी से निकालने का प्रावधान करते हैं। न सिर्फ दिल्ली, बल्कि कोई भी स्टेट हो, ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए।

मैं यह भी मांग करना चाहता हूँ, कहा गया है कि **education is the backbone of any country**. अगर शिक्षा किसी भी देश का मूल आधार है, बैकबोन है, तो फिर हम क्यों न अपने देश में कम से कम हाई स्कूल तक के शिक्षकों को वीवीआईपी दर्जा देने के बारे में सोचें। हम क्यों न सोचें कि शिक्षकों को किस तरह और सम्मानित कर सकते हैं, ताकि वे छात्रों को पढ़ाने के लिए और भी लगन से लगें। उन्हें वीवीआईपी का दर्जा दिया जाए, उन्हें भी हमारी तरह एयरपोर्ट में घुसने के लिए विशेष बनाया जाए, उन्हें कोई बैन न कर सके, ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए, मेरा ऐसा एक प्रस्ताव है।...(व्यवधान)

मैं अपनी बात समाप्त करने वाला हूँ। मैं आपके मार्फत मानव संसाधन मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि किसी भी प्रदेश की सरकार हो, चाहे दिल्ली की हो या कहीं और की हो, अगर किसी के मिड डे मील में चूहा दिखता हो तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

हमारे देश की शिक्षा पद्धति बहुत मजबूत है। हमने दुनिया को जीरो दिया है। हम अपने पर विश्वास क्यों नहीं करते। हम इस संसद में जहां से आए हैं, वह फिल्मों की दुनिया मानी जाती है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: अब आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मनोज तिवारी: मैं समाप्त कर रहा हूँ।...(व्यवधान) हमारी शिक्षा पद्धति में विश्वास हो, हम अपनी सारगर्भित शिक्षा को समझें।

मैं गाने की एक लाइन सुनाना चाहता हूँ --

जब जीरो दिया मेरे भारत ने, इंसान को तब गिनती आई।
तारों की भाषा भारत ने, दुनिया को पहले सिखलाई।
देता न दशमलव भारत तो, फिर चांद पे जाना मुश्किल था।
धरती और चांद की दूरी का, अंदाजा लगाना मुश्किल था।

हमारी ऐसी शिक्षा व्यवस्था को मानव संसाधन मंत्री जी हर तरह से पुनर्स्थापित कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इसमें छेद करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रोका जाए।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : सभापति महोदय, आपने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान (दूसरा संशोधन), 2016 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरुपति और ओडिशा के बेहरामपुर में खोलकर लोगों के बीच शिक्षा के बारे में अच्छा कार्य किया है। आप शिक्षा को कहां ले जाना चाहते हैं, मंत्री जी शिक्षा को आगे ले जाना चाहते हैं, मैं इन्हें बधाई देता हूँ।

सभापति महोदय, मैं आप बिहार से हूँ, मैं भी बिहार से हूँ। बिहार की आबादी लगभग 12 करोड़ है, बिहार के लोग लगातार बाहर के शिक्षा संस्थानों में पढ़ने जा रहे हैं, शिक्षा के लिए बच्चे पलायन कर रहे हैं। देश में जितने भी संस्थान हैं, कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है, जहां बिहार के बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि बिहार में इस तरह के संस्थान जरूर खोलें। बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में एक गौरव के रूप में रहा है। यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे रहा है। देश में जितने भी कम्पीटीशंस होते हैं, उनमें बिहार के बच्चे हमेशा अक्ल रहे हैं। बिहार के बच्चे मेहनती होते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बिहार में आप इस तरीके का एक संस्थान जरूर खोलें, यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much Sir for giving me an opportunity to speak on this Bill.

I rise to support this Bill though I have raised objections regarding the procedural matters. By the original Act of 2007, the National Institute of Technology has been constituted and it is incorporated in first Schedule of the Act and subsequently in the year 2012, again the Act is amended and a new Schedule is incorporated by which Indian Institute of Science Education and Research institutions were created and incorporated in the second Schedule.

Again in the year 2014, another institute - Indian Institute of Engineering Science and Technology was created. So, we have now National Institute of Technology, Indian Institute of Science Education and Research (IISER) and Indian Institute of Engineering Science and Technology. I would like to know from the hon. Minister by having these three Schedules and three types of educations, what is the difference among these three institutions namely, the National Institute of Technology, IISER and the Indian Institute of Engineering Science and Technology. On the nomenclature itself, it is engineering, science technology and research. This is the concept of all the three types of institutions. My simple question or my doubt or my apprehension is this. I would like to seek the clarification from the hon. Minister. Why these multiplicity of institutions under the same Act with three Schedules are created instead of having one organization of high standard, high excellent educational institutions of having research and science? That is the first point which I would like to make.

Coming to the higher education, most of the hon. Members have already cited here that education is the reformative process by which a nation or a society is built up in which definitely, the higher educationists also have a significant role in building up the society and in building up of a nation. The higher education is facing so many challenges. I would like to state the problems that confront higher education in India today and these are as follows.

First, low rate of enrolment, second, unequal access, third, poor quality of infrastructure, fourth, poor quality of education and fifth, the lack of relevance.

Coming to the first point – it is low rate of enrolment - the first challenge has to be overcome by increasing the rate of enrolment. Now, in the higher education sector, the rate of enrolment is 20 per cent and that has to be increased.

During the Eleventh Plan, a two fold strategy has been adopted by the then Government in order to increase in the number of new institutions and the intake capacity of the institutions has to be increased. This was the two-fold strategy taken by the then Government so as to increase the rate of enrolment.

According to the National Knowledge Commission, we are having only 722 universities in India. According to the National Knowledge Commission recommendations, it should be 1,500. But we are only having 722 universities. So, this issue has to be addressed at large.

In view of the above, I would also like to make another point regarding research and imparting education. Formally, there was no thrust given to the research work. But, nowadays, you are giving a lot of thrust to the research work. I do accept and appreciate it. But in the name of research, imparting education is getting only little significance or is not being considered as much it requires. So, I request the Government that in the name of research and innovation they should not forget the significance of imparting education. My suggestion and submission to the hon. Minister is that the number of graduate and post-graduate institutes should be increased so as to give required significance to imparting education.

The second challenge, as I mentioned, disparity in access to education is especially in terms of economically backward class, gender, caste, ethnic and religious belongings. If you go through the demographic statistics of the higher education scenario, it is a pitiable picture. One hon. Member was very right when he said that if you go through the statistics in relation to SCs, STs, OBCs and economically backward classes, their condition is a pitiable. I will not go into detail because of paucity of time but these statistics are with me. Why is it so? The

downtrodden people of the country, especially the socially backward communities are deprived from excellent higher best quality education because of commercialization of education in the country. The expansion of private self-financing education sector with its aim of commercialisation has been another reason for propagation of this disparity. So, this disparity in higher education has to be addressed to. If you are not able to address the disparity in higher education, the poor downtrodden and working class people of this country will be deprived of the right to have best education. This will be creating an economic and social disparity, which, unfortunately create big problems in the country. So, that is the point which I would like to make.

Sir, if you allow me, I would like to substantiate it. Between 1996 and 2008, the private institutions expanded every year at the rate of 10 per cent. But at the same time there has been a corresponding decline in the Government and Government aided institutions. On the one hand, the number of private institutions was increasing, on the other hand, declining rate of the Government and Government aided institutions was alarming, that is, by 1.65 per cent per year. As a result, the share of students also has come down. In the self-financing private education sector, there had been an increase of about 7 per cent in 1996 and in 2008, it jumped to 25 per cent.

Coming to 2013, the Ministry of Human Resource Development put the share of private undergraduate colleges and Government aided institutions as 59 per cent and 37 per cent respectively. That is why, I am saying that the poor will be deprived of education because of this policy. This unequal opportunity has developed unequal human capabilities and converted education into an instrument for further economic inequalities. Now, the question is, how to address it.

Sir, my submission is that, first of all, the public and private aided institutions must be strengthened and expanded and the expansion of self-financing private institutions must be restricted to a reasonable level. Uncontrolled growth of the private self-financing institutions will be a curse to the nation, which

will be directly and adversely affecting the poor downtrodden people of this country and the economically poor strata will also be affected.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, I am just going to conclude.

The third challenge is the issue of quality and faculty. I will not go into the details. But there are three areas to work upon – physical infrastructure, academic reform and ensuring adequate faculty. To work on these three areas is the need of the hour in order to upgrade the excellence and the standard of higher education in our country.

The fourth point which I would like to make is regarding global collaboration. We are well aware that a number of students from our country are going abroad especially in UK, USA and even European countries for better higher education. Why does not the Government of India have the collaboration with the foreign universities and let the Indian universities have collaboration with the foreign universities so that Indian students will be getting an opportunity to have best education.

Then, there is also a challenge of enabling education that is relevant to the economy and society.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, I conclude with my last point, which is regarding UGC reforms. Why I am saying it because the hon. Minister is very much interested in making a new education policy.

Sir, my last point is about the UGC. I am saying this because the hon. Minister is very much interested in making a New Education Policy. The Education Policy was first brought in the year 1986 and it was updated in the year 1992. Subsequent to 1992, the Education Policy has not been revised. I appreciate the endeavour taken by the Government. So, my suggestion is that the structure of the UGC has to be revised *in toto*.

With these suggestions, Sir, once again, I thank you very much for giving me this much of time. I do support the Bill.

Thank you.

श्री निहाल चन्द (गंगानगर): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने देश में दो नए इंस्टीट्यूट्स शुरू किए हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान अधिनियम, 2012 के तहत भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान व ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर शिक्षा के लिए इन संस्थानों की परिकल्पना की गयी थी। मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि कोलकाता, पुणे, मोहाली, भोपाल और त्रिवेन्द्रम के अलावा, भारतीय शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र तिरुपति एवं ओडिशा के ब्रह्मपुर में खोले गए हैं। तिरुपति संस्थान के लिए 137.30 करोड़ रुपये और 152.79 करोड़ रुपये की राशि ब्रह्मपुर, ओडिशा संस्थान के लिए दी गयी है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी राशि सरकार ने इनके लिए सैंक्शन की है। 7000 करोड़ रुपये के इस बजट से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में सरकार ने जोरदार अभियान चलाया है। इस देश के बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए, देश की आने वाली पीढ़ियों के संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने जो काम किए हैं, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी एवं मंत्री जी को इसके लिए बधाई देना चाहूँगा।

भारत में तकनीकी शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा तंत्र को एक महत्वपूर्ण भाग प्रदान करती है, जो देश में आर्थिक और सामाजिक विकास में सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रही है। मैं समझता हूँ कि हाल ही में भारत में तकनीकी शिक्षा का विकास बहुत तेजी से हुआ है, वह पिछले ढाई-तीन वर्षों में हुआ है। किसी भी देश को विकसित बनाना हो तो उस देश की शिक्षा को आगे बढ़ाना होगा और उसके महत्व को समझना होगा। मैं समझता हूँ कि अच्छे संस्थान एवं उच्च शिक्षा केन्द्र, जो पूर्व में चार प्रतिशत थे, वर्तमान में, पिछले ढाई वर्षों में इसे 14 प्रतिशत तक बढ़ाने का काम केन्द्र सरकार और माननीय मंत्री जी ने किया है। हम विज्ञान के प्राविधिक युग में रहते हैं। वैज्ञानिक आविष्कार और आधुनिक प्रौद्योगिकियों ने मानव जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है, हमारे भविष्य के लिए एक रास्ता बना दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा हमारे भौतिक सुख के लिए बहुत कुछ जोड़ा गया है और जीवन की गति भी तेज कर दी है। मैं समझता हूँ कि इस युग में, इस शिक्षा के संस्थान के जुड़ने से हम बहुत कुछ सीख पाएँगे, हमारी सीखने की योग्यता बढ़ जाएगी और तकनीकी उपकरण कक्षाओं को मजेदार बना देंगी। इंटरनेट से बहुत सी शैक्षणिक जानकारियाँ नियमित रूप से अपडेट की जाती हैं। मैं समझता हूँ कि हम वेबसाइट पर जानकारी खोज सकते हैं, लेखकों के विचारों की तुलना कर सकते हैं। विद्यार्थी और प्रशिक्षक अब किसी भी स्थान से

आसानी से जानकारी साझा कर सकते हैं। छात्रों के कौशल विकास की तीव्रता बढ़ सकती है। शिक्षा के लिए मल्टीमीडिया दृष्टिकोण के लिए फिल्म सिस्टम, ऑडियोटेप्स, कंप्यूटर आदि का उपयोग बहुत जरूरी है, जो इस बिल के माध्यम से पूरा हो सकेगा। कौशल विकास के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि वर्ष 2030 तक भारत विश्व का सबसे बड़ा कौशल क्षमता वाला देश बने। मैं समझता हूँ कि वर्ष 2030 तक भारत इस मामले में विश्व का गुरु बन जाएगा।

सभापति महोदय, आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। मैं समझता हूँ कि गांव में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिर गया है। मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि अगर हम एनआईटी और आईआईटी की बात करें तो गांव की राजकीय शिक्षा की हालत बहुत खराब है। आज उसकी स्थिति बहुत नाजुक है। प्राइमरी स्कूल्स और मिडिल स्कूल्स की स्थिति आपके सामने है। मैं समझता हूँ कि अगर प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सही शिक्षा दी जाए तो बच्चे आगे जाकर इस देश का भविष्य बन सकते हैं। आजादी के बाद 70 वर्षों में से 60 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने देश में राज किया है।

16.00hours

मुझसे पहले के वक्ता ने कहा कि बिना पढ़े आठवीं तक के बच्चों को पास करना, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस अधिनियम के तहत बच्चों के पढ़ने, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने, पढ़-लिख कर उन्हें योग्य बनने और रोजगार प्राप्त करने पर ज्यादा बल दिया है ताकि वे अपना भविष्य सुधार सकें।

आज ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में दो तरह की शिक्षा दी जा रही है। ग्रामीण शिक्षा बहुत अच्छी नहीं है, यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। प्राइवेट शिक्षा सरकारी शिक्षा से आगे निकल रही है। ग्रामीण शिक्षण संस्थान या राजकीय स्कूल के बच्चों के अंकों और प्राइवेट शिक्षण संस्थान के बच्चों के अंकों में दिन-रात का फर्क है।

सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। अगर हम गांव के बच्चों की शिक्षा की मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो वे बच्चे हमेशा के लिए पिछड़ जायेंगे।

सभापति महोदय, आज गांव के बच्चों के पास किताब नहीं है, गांव में शौचालय नहीं है, स्कूल में शौचालय नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है। मैं देश के प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शौचालय की व्यवस्था की है। शौचालय की व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने उसकी जो व्यवस्था की है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारी सरकार का जो विजन है, वह देश को विकसित देश की श्रेणी में ले जाने का है। मैं समझता हूँ कि विश्व गुरु कहलाने वाले भारत का तमाशा पूरा विश्व देखता था, लेकिन ढाई साल के अंदर पूरे विश्व में

भारत ने अपना नाम रोशन किया है और पूरा विश्व भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हुआ है। इसका श्रेय देश के प्रधान मंत्री को दिया जाना चाहिए।

महोदय, मैं ज्यादा समय न लेता हुआ सिर्फ तीन सुझाव सरकार को देना चाहता हूँ। सरकार ने फ्लैगशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है। सरकार ने नेशनल सुपर कम्प्यूटिंग मिशन के तहत पूरे देश में 70 नेशनल सुपर कम्प्यूटिंग केंद्र खोलना प्रस्तावित किया है। अग्रणी संस्थानों एवं शोध संस्थानों में और अग्रणी क्षेत्रों में नेशनल सुपर कम्प्यूटिंग की सुविधाएं दी जा रही हैं, जो 70 केंद्र खोले जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान में एक भी सेंटर नहीं खोला जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि राजस्थान में भी इसका सेंटर खोला जाए। माननीय मुख्य मंत्री जी भी आपसे मिली थीं और आपसे आग्रह किया था। पूरे भारत में राजस्थान शिक्षण संस्थानों के हिसाब से पांचवे नम्बर पर है। राजस्थान प्रदेश भी शिक्षा में किसी दूसरे प्रदेश से कम नहीं है, इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि नेशनल सुपर कम्प्यूटिंग सेंटर राजस्थान को भी दिया जाए।

आज के टेक्नीकल युग में सीनियर सैकेंडरी स्कूल में लैब्स खोलने के लिए राजस्थान सरकार ने नैनो स्टेटिव प्रोग्राम का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे वापस लौटा दिया है। मैं समझता हूँ कि यदि यह प्रपोजल स्वीकृत हो जाए, तो राजस्थान शिक्षा में पांचवे स्थान पर है, वह और अच्छे ढंग से शिक्षा में प्रगति कर सकता है।

मेरा तीसरा सुझाव सरकार को यह है कि एक बायोटेक्नोलॉजी फिनिशिंग स्कूल के लिए राजस्थान सरकार ने एक प्रोग्राम बना कर भारत सरकार के पास भेजा है, इस पॉलिसी के तहत राजस्थान सरकार ने 156 करोड़ रुपए केंद्रीय सहायता मांगी है। हम मॉडल कालेज बनाने जा रहे हैं। बच्चों को सही शिक्षा मिले और शिक्षा का स्तर आगे बढ़े और देश का भविष्य बच्चों पर टिका है, बच्चों को सही ढंग से शिक्षा मिले, इसके लिए राजस्थान सरकार ने प्रपोजल बनाकर केंद्र सरकार को भेजा है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसे भी स्वीकृत किया जाए।

मैं मंत्री जी से एक आग्रह और करना चाहता हूँ कि नेशनल इंस्टीट्यूट केन्द्र के लिए हमारे पास एक हजार एकड़ के सेंट्रल फार्म श्रीगंगानगर में हैं, आपको तीन सौ एकड़ जमीन चाहिए, तो श्रीगंगानगर में अगर आप एक इंस्टीट्यूट स्वीकृत कर दें, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इससे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा और आने वाली पीढ़ियां आपको हमेशा के लिए आपको याद करेंगे। मैं सरकार को इस विधेयक के लिए पुनः बधाई देना चाहूंगा और यही आग्रह करूंगा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, 2016 का विधेयक सरकार लाई है, मैं इसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*SHRI SHER SINGH GHUBAYA (FEROZEPUR): I thank you Hon. Chairman Sir, for giving me the opportunity to speak on an important bill, “The National Institutes of Technology, Science, Education and Research (Second Amendment) Bill, 2016.”

Sir, for the progress of any country, development in the fields of technology, science, education and research is needed. Under the able guidance and leadership of Shri Modi, our country has grown in these fields by leaps and bounds. Many higher institutes of learning like IITs and IIMs have been set up in various states, including Punjab.

However, sir, I would like to draw the attention of this august House and the Central Government towards the shortcoming and lacuna that are there as far as education of the poor and the downtrodden is concerned.

Sir, I hail from the border district of Ferozepur. It shares approx 150 kms. long border with Pakistan. I have raised this matter earlier too. River Sutlej flows through this area and is a matter of concern during monsoons. Our area is very backward and no such institutes of higher learning are there in our area. The Hon. Minister had talked about ‘Skill Development’ schemes. If it helps the children give vocational training, it will go a long way in providing employment to them.

Education must be made available to the poor and deprived sections of society. A large number of Scheduled Caste people reside in my constituency. 42.23% people of Ferozepur belong to this section of society. This is the second highest percentage of reserved category throughout India. The students of this area trail behind others as far as education is concerned. So, the need of the hour is to provide educational facilities to these children. The students are intelligent enough. They just need proper guidance and exposure to knowledge.

Sir, a college in my area named M.R. College was set-up even before the time of India’s independence. 10 years ago, this private college was taken up and converted into a government college by the government. It falls in the Fazilka

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

district. However, the post of Principal is lying vacant in this college for the past 10 years. Posts of lectures are also lying vacant in this college. Over 3000 students are enrolled in this college. The college buildings are in a dilapidated condition. So, I urge upon the Government to provide a package for proper maintenance of this college. The Central Government must come to the aid of this college. Opening up new institutions of higher learning is good but the existing schools and colleges should also be maintained properly. Specially, when the fate of children of deprived sections of society is at stake.

Hon. Chairman Sir, thousands of students who have studied in technical education institutes have not been able to get employment. What is the reason for this development? So, employment avenues must be provided to these educated youth.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

SHRI SHER SINGH GHUBAYA: Sir, this is an important matter. If the Government cannot provide employment to educated youth, there is no need to open institutes of learning. So, the Government ensure that employment opportunities are generated for our educated youth. It will stop the spate of suicides committed by unemployed educated youth. Hon. HRD Minister Sir, you have a great responsibility on your shoulders.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

SHRI SHER SINGH GHUBAYA : Sir, scholarships are not being provided to the eligible students in various institutes for the last 3 years. The Government must ensure that this anomaly is removed at the earliest.

Thank you.

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे इस महत्त्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

मैं माननीय जावड़ेकर जी और उनके सहयोगियों को बधाई देता हूँ। आज वे एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण विधेयक लेकर आये हैं। लगभग समस्त सदन ने एक स्वर में उनको इसके लिए बधाई दी है। मुझे विश्वास है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि भारतवर्ष विश्वस्तर पर खड़ा होगा और हम गर्व के साथ कह सकेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम किसी से पीछे नहीं हैं। इस क्षेत्र में हमने आगे बढ़कर दिखाया है। ऐसा योग्य नेतृत्व हमको मिला है।

महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। बहुत ही संक्षेप में अपनी बातों को कहकर, मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। आपने अपने संबोधन में कई बातें कही थीं। आपने अपने संबोधन में यह भी कहा था कि नये-नये केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किये गये, जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किये गये। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस कार्यकाल में जितने संस्थाओं की स्वीकृति हुई है, आप एक बार समीक्षा कर लें कि कितने विद्यालयों ने अपने क्षेत्र में काम शुरू कर दिया है। यहाँ से योजनाएं स्वीकृत होकर चली जाती हैं। उसके बाद राज्य सरकार के विवेकाधीन हो जाता है कि इसके लिए जमीन देंगे या नहीं देंगे और वह संस्था कभी स्थापित नहीं हो पाती है। मैं इन बातों के लिए उदाहरण भी दे सकता हूँ। कई जगहों पर आज तक दो वर्षों के अंतराल में भी इन संस्थाओं की शुरुआत नहीं हो पायी है।

दूसरी बात, केन्द्रीय विद्यालय या जवाहर नवोदय विद्यालय की यह विशेषता है कि यहाँ बच्चों को पूर्ण विकास करने का अवसर मिलता है। बच्चे केवल क्लास रूम में बैठकर ही शिक्षा नहीं पाते हैं, बल्कि वहाँ पर छात्रावास भी होते हैं, गेम्स भी होते हैं, डिबेट भी होती है। इसलिए एक बार यह देखें कि ऐसे कितने केन्द्रीय विद्यालय हैं, जिनमें छात्रावास की व्यवस्था नहीं है।

महोदय, मैं इस बारे में आपका ध्यान चाहूँगा। मेरे संसदीय क्षेत्र में सरसावां केन्द्रीय विद्यालय है। लगभग सवा सौ किलोमीटर में ऐसी कोई दूसरी संस्था नहीं है, जहाँ बच्चे प्रवेश पा सकें। सरसावां केन्द्रीय विद्यालय में छात्रावास की कोई सुविधा नहीं है। आप ध्यान करें कि जिस विद्यालय में छात्रावास की सुविधा न हो, सवा सौ किलोमीटर के भीतर ठहरने की कोई व्यवस्था न हो, यह एक छोटा-सा टाउन है, वहाँ पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं हो सकती है, इसलिए जहाँ पर छात्रावास नहीं बनाये जा सके हैं, वहाँ सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर, अपने संबोधन में यह आश्वासन देंगे कि वहाँ पर छात्रावास की व्यवस्था की जाएगी। मैं आपसे चाहता हूँ कि इस बारे में आप गंभीरता से विचार करें।

आप जब भी समीक्षा करते हैं, तो कृपया नक्शा अपने सामने रख लें, क्योंकि भौगोलिक आधार भी हमारे पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जगह तो तमाम संस्थाएं केन्द्रीयकृत हो गयीं और दूसरी तरफ बहुत बड़ा भू-भाग उससे वंचित रह गया। उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। यदि हम इस प्रदेश की तुलना करें, तो यह पाँचवें नम्बर पर आता है। मान्यवर, पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के करोड़ों छात्र आज शिक्षा से केवल इसलिए वंचित हैं, क्योंकि वहाँ पर केवल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों की ही व्यवस्था है। ये कॉलेज फेक हैं एवं इनका कोई वजूद नहीं है। इन कॉलेजों में न प्रयोगशालाओं की व्यवस्था है और न ही उचित फ़ैकल्टी है। इन कॉलेजों में बच्चों का आर्थिक शोषण कर के उन्हें प्रवेश दिया जाता है। बच्चों से बड़ी-बड़ी फीस वसूल की जाती है लेकिन वहाँ पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है।

मान्यवर, जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूँ तो सैकड़ों बच्चे मुझसे इकट्ठे होकर मिलते हैं। वे मुझसे कहते हैं कि क्या वे केवल गेहूँ और गन्ने की खेती ही करते रहेंगे या उन्हें भी कभी दक्षिण या अन्य स्थानों की तरह पढ़ने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वे बच्चे यह कहते हैं कि उन्हें भी एक ऐसी व्यवस्था मिलनी चाहिए जिसमें अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो और इन प्राइवेट कॉलेजों के शोषण से वे बच सकें।

मान्यवर, 10-15 साल पहले इन संस्थाओं में प्रवेश केवल इसलिए लिया जाता था, ताकि बच्चे की अच्छी जगह शादी हो जाए। यह कहा जाता था कि बच्चा इंजीनियरिंग या एम.बी.ए. की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन आज यह देखा जाता है कि इन संस्थाओं में पढ़ने वाले बच्चों को कहीं क्लास फोर की भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। इस वजह से आज इन संस्थाओं का आकर्षण समाप्त हो गया है। मैं चाहूँगा कि आप इस बात पर थोड़ा ध्यान दें।

मान्यवर, आज पूरा पश्चिमी उत्तर-प्रदेश शिक्षा से पूर्णतः वंचित है। वहाँ कोई शिक्षा संस्था ऐसी नहीं है जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी की शिक्षा प्रदान करने की उचित व्यवस्था हो। मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूँगा यदि आप इस ओर भी ध्यान देंगे। मैं उन तमाम विषयों पर नहीं बोलना चाहता हूँ, जिनके बारे में यहाँ पहले कहा जा चुका है। हालांकि, हमारे मनोज तिवारी जी ने यहाँ अपने गीत-संगीत के माध्यम से एक अच्छा माहौल बनाया। वे जिस दुनिया से आए हैं, उस दुनिया की हर जगह छाप छोड़ते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। यह बहुत गंभीर विषय है। हमें आपके नेतृत्व में पूर्ण विश्वास है। जब से आपके पास यह विभाग आया है, तब से लोगों में एक जागृति आई है। लोगों में यह विश्वास पैदा हुआ है कि अब काम होगा जिसके जरिए निश्चित रूप से उन्नति होगी। उसी विश्वास को लेकर मैं भी कह रहा हूँ कि हम कभी अमरीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया में जाकर गर्व के साथ यह कह सकें कि हमारे भारतवर्ष की संस्थाएँ वहाँ की संस्थाओं से नीचे नहीं बल्कि ऊपर हैं।

मान्यवर, आज हमारे यहाँ के बच्चे लाखों की संख्या में देश से बाहर जा रहे हैं। आप चाहे किसी भी ऐंबेसी में चले जाइए, आप देखेंगे कि वहाँ वीजा प्राप्त करने के लिए लाइनें लगी रहती हैं। आप चाहे यू.एस.ए. या यू.के. की ऐंबेसी में जाएँ, वहाँ वीजा प्राप्त करने के लिए बच्चों की लाइन लगी हुई है। ये बच्चे विदेशों में पढ़ाई करने के लिए और वहाँ जाने के लिए लाखों रुपये की व्यवस्था करते हैं। क्या वह दिन कभी आएगा जब यूरोप, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कोरिया के छात्र यह कहेंगे कि उन्हें पढ़ाई के लिए भारत जाना है। क्या वे कभी यह कहेंगे कि भारत में अर्थमेटिक, साइंस और टेक्नोलॉजी और प्रयोगशालाओं की बहुत अच्छी व्यवस्था है।

मान्यवर, एक विषय जिसके ऊपर सही बल दिया गया है, वह विषय रिसर्च का है। आज हमारे बच्चे डिग्रियाँ लेने तक ही सीमित रह गए हैं। वे बी.एस.सी, एम.एस.सी. आदि की डिग्रियाँ लेते हैं। आपने इस विषय को सही पकड़ा है। हमें यह देखना चाहिए कि केमेस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में कितने बच्चों ने शार्इन किया और इन क्षेत्रों में रिसर्च करने के बाद उन्होंने क्या-क्या उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। यह एक बहुत ही सराहनीय सोच और कदम है। आपने नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों के संबंध में जो बेसिक चीज बताई थी, आप कृपया निश्चित रूप से उसकी समीक्षा करें। आप यह देखें कि वहाँ तीन साल के बाद भी पढ़ाई क्यों शुरू नहीं हुई है। इन संस्थाओं को पैसा स्वीकृत हुए दो साल का समय हो गया है, लेकिन अब तक उनमें पढ़ाई नहीं शुरू हुई है। यदि पढ़ाई शुरू नहीं होगी, तो यह पैसे तो बेकार ही चले जाएंगे।

16.19 hours

(Dr. Ratna De (Nag) in the Chair)

महोदया, आज निजी क्षेत्र की कई संस्थाओं को मान्यता मिली हुई है। आप यह देखें कि इन संस्थाओं को मान्यता देने के लिए क्या मानक हैं। मैं आज इस सदन में बहुत कष्ट के साथ कहता हूँ कि मान्यता देने के लिए न जाने कितने पैसे उन संस्थाओं से वसूल किए जाते हैं। इसके बाद छात्रों से पैसे वसूल किए जाते हैं। इन छात्रों का भविष्य आज अंधकार में है। क्या हमारी यह जिम्मेदारी नहीं है कि हम इन छात्रों का शोषण न होने दें और उनके आगे के भविष्य को अंधकारमय होने से रोकेँ? ये संस्थाएँ पैसे देकर मान्यताएँ प्राप्त करती हैं। इन संस्थाओं को मान्यता देने वाली संस्था को भी आप कभी देखिए। आप यह देखिए कि क्या उस संस्था ने कभी विजिट किया था। आज ये सारे विजिट प्रायोजित हैं। चाहे उनके कार्यालय दिल्ली में हों या कहीं और हों, सारी बातें वहीं बैठकर तय हो जाती हैं कि किस संस्था को कितने पैसे लेकर मान्यता दी जानी है। इस प्रकार से हमारी शिक्षा व्यवस्था का पूर्णतः व्यवसायीकरण हो गया है। हम जिस शिक्षा स्तर की उम्मीद करते थे कि शिक्षा संस्थाओं का एक स्तर होगा, बच्चे पढ़ेंगे, आकर्षण होगा और बच्चे भी कभी साइंस के क्षेत्र में, कभी मैथ्स के क्षेत्र में आगे बढ़कर दिखाएंगे। कभी वे भी नोबेल प्राइज़ के लिए पात्र होंगे।

आज हमें क्या इस बात का कष्ट नहीं होता है कि साइंस से लेकर मैथ्स का विषय हो या कोई अन्य विषय हो, किसी भी क्षेत्र में पिछले इतने लम्बे समय से आज भारत के किसी भी व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ तक पहुंचने में सफलता नहीं मिली। जिसका कारण यही है, क्योंकि हमारी संस्थाओं में कमी रही, हमारी सोच में कमी रही, हमारी व्यवस्था में कमी रही। आज उनको पूरा करने का दायित्व आपके ऊपर है। आपके कंधों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप अपने टीम वर्क के साथ उस बोझ को भी उठा पाएंगे और संस्थाओं को आगे बढ़ा पाएंगे। मैं और समय नहीं लेना चाहता। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो विषय रखा है, खासतौर से सरसावा का विषय रखा है, जहां पर छात्रावास की व्यवस्था नहीं है, वहां पर आप छात्रावास का निर्माण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कराएंगे। धन्यवाद।

SHRI RAHUL SHEWALE (MUMBAI SOUTH CENTRAL): Thank you hon. Chairperson for giving me an opportunity to speak on the National Institutes of Technology, Science Education and Research Second (Amendment) Bill, 2016. I and my Party Shiv Sena support this Bill.

The National Institute of Technology has a total of 30 colleges in India of which only one is in Nagpur and there is not a single one in Mumbai. Institutes funded by the Central Government in Mumbai are as follows: Central Fisheries of India, Centre for Excellence in Basic Science, Indian Institute of Architects, Indian Institute of Technology (IIT), Indira Gandhi Institute of Development, International Institute for Population Sciences, National Institute of Construction Management and Research, National Institute of Fashion Technology, National Institute of Industrial Engineering, National Institute of Maha e-Learning and Dignity Skill Development, National Institute of Oceanography, Tata Institute of Fundamental Research and Tata Institute of Social Sciences. Out of approximately 190 institutes funded by the Central Government, Mumbai has only 13 Institutes, which comes to not even ten per cent. The requirement of Mumbai is 25 per cent. Mumbai is paying the maximum tax to the Central Government as it is the financial capital of India.

I would like to draw your kind attention towards two important issues of Mumbai. The first one is about the relocation of Mumbai National Law University at the CETTM Campus of MTNL at Powai, Mumbai as a temporary arrangement till the campus is properly established at land No. 115/A at Gorai, District Borivli, Mumbai. In this connection, I have to submit that the team of higher officers of the University led by the Vice Chancellor of the Law University visited the CETTM Campus, Powai and found the campus suitable for the temporary relocation of Law University there. The aforesaid premises would be required by 1st April, 2017 for next three years and extended up to five years. I would request the HRD Minister, through you, to instruct the concerned authorities of the MTNL, Mumbai

to allot the CETTM campus for relocation of Mumbai National Law University as per their requirement.

The second issue is about the SNDT Women's University in Thackersey Road, Mumbai regarding a proposal for granting the status of the Central University by the Central Government to the SNDT Women's University. The representation is self-explanatory. Now, the University is celebrating its centennial year during 2016.

Established in 1916, the SNDT Women's University is the oldest and the largest Women's University in the country. The University was founded by the Bharat Ratna Maharshi Dhondo Keshav Karve, a forward looking reformer who worked fearlessly for the upliftment of women in Western India. The University has grown from five students enrolled in 1916 to 60,000 students enrolled with us today. It received the statutory status in 1951 and as such is recognized under section 2(f) and 12(b) of the UGC Act. Accredited as A grade by NAAC, this University already has a national presence. Today, the University offers over 200 full-fledged programmes ranging from under-graduate to Ph.D. They are keen to make their students skilful to meet the challenges of 21st century and have entered into an arrangement with NASSCOM. Central University status will strengthen SNDT Women's University's position to serve the wider community of women beyond the State of Maharashtra and across the nation. I would request the hon. Minister of Human Resource Development to consider granting of Central University status to SNDT University and look into the Law University issue and the National Institute of Technology in Mumbai.

Thank you.

SHRI SIRAJUDDIN AJMAL (BARPETA): Thank you very much, Madam Chairman, for giving me this opportunity to speak on the National Institutes of Technology, Science Education and Research (Second Amendment) Bill, 2016.

It is a fact that technical and science education is the key for success. The countries that have concentrated on science and technology are topping the world. I appreciate hon. HRD Minister for bringing this Bill to declare the Indian Institute of Science Education and Research, Tirupati, Andhra Pradesh, and the Indian Institute of Science Education and Research, Berhampur, Odisha as institutions of national importance. It is a very commendable effort by the Minister. At least the North-East has started getting from Odisha and I am very hopeful it will go right up to Assam. With a dynamic Minister like Mr. Javadekar heading the Department, we are very much hopeful that Assam will get something very soon.

It is an acceptable fact that Indians have the capability and the capacity and talent to rule the world of science and technology. I am saying this with proof. Today a large number of Indians are either COOs or CEOs in international companies. The list is of course very long but I will just mention a few of them. Sundar Pichai is the CEO of Google, Satya Nadella is the CEO of Microsoft, Shantanu Narayen is the CEO of Adobe, Fransisco D'Souza is the CEO of Cognizant, Rajiv Suri is the CEO of Nokia, and there are many more such examples. In fact I believe that given the proper opportunities in India, our scientists will excel anywhere in the world and will go a very long way in making India the number one country in the world as far as information technology or science is concerned.

While the world is using the talents of Indians for their purposes but why do we fail to provide them opportunities and to utilize their talents here for our purpose, it is very difficult to understand. Madam, it is time to concentrate on higher education and provide opportunities to our youths to go ahead in the field of science and technology. We have to establish more institutions of higher

education in the country, especially in rural areas like the North-East of India. We need to establish more IITs and NITs in the country.

Assam is one of the most backward States as far as education is concerned. One of the main reasons is lack of institutions of higher education and science and technology. Of course I am saying this at the cost of repetition as other Members must have also said this. We run dozens of educational institutions in Assam and we know youths are looking for opportunities for higher education. In fact they are going all around India just to get higher education and not everyone can afford them. So, many students end their journey of education because they are not able to afford the high cost of education outside Assam.

I would request the hon. Minister to initiate action for establishment of more NITs and IITs and educational institutions for technical and higher education. Simultaneously we need to provide the required facilities to those NITs that are already available. We have got one NIT in Silchar and they have got some requirements which I would bring to the notice of the hon. Minister. E-connectivity there needs to be addressed for better performance. NIT has robust fibre optic and wireless networks. It has to act as a resource centre for the NITs in the North-East for early resolution of the problem. They need technical assistance. I am talking about NIT Silchar. An NIT cloud storage of academic material should be established at NIT Silchar. Tele-medicine project and other projects should be implemented so that the faculties get social recognition. Although the management of NIT, Silchar tries its best to woo the teaching talent but due to the faraway location of the institution, they are unable to do so.

I would like to end my speech with the request for establishment of more NITs and IITs in Assam. Of course, they should be established in other parts of northeast India also. But since I am from Assam, I am pitching for my State. I know the hon. Minister very well; we are both from Maharashtra. I am hopeful that Shri Javadekar will consider Assam. Of course, I was born in Assam. So, I

would request him to look into this at the earliest. The people of Assam will be highly grateful to him.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Hon. Chairperson, I am very happy that so many speakers have spoken their minds and have given valuable suggestions. Kumari Sushmita Dev, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank, Shri Mahto, Shri Prabhash Kumar Singh, Shri M. Srinivas Rao, Shri P.K. Biju, Shri Manoj Tiwari, Shri Kaushalendra Kumar, Shri N.K. Premachandran, Shri Nihal Chand, Shri Sher Singh Ghubaya, Shri Hukum Singh, Shri Sirajuddin Ajmal etc. have contributed immensely to the discussion on this National Institutes of Technology, Science Education and Research (Second Amendment) Bill, 2016.

16.32 hours

(Shri Pralhad Joshi *in the Chair*)

Hon. Members have raised a number of issues. Some of them are local issues. On local issues, I will inform the hon. Members in writing about the status and what we are doing. But there are bigger issues also. The main issue is the quality of education and that is very important कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। मानो सब जगह एक गुणोत्सव हों। उसके लिए चार इनिशिएटिव्स बने हैं। मैं केवल अभी उनका उल्लेख करूंगा।

पहला इनिशिएटिव 'हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी' है। इस बजट में उसे 250 करोड़ रुपये दिए हैं। कुल मिलाकर उसके लिए दो हजार करोड़ रुपये का बजटरी सपोर्ट आएगा और दो हजार करोड़ रुपये के बजटरी सपोर्ट से 'हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी' अब ऑपरेशनल हो गयी है। केनरा बैंक उसकी एजेंसी बन गयी है और वह डैट इंस्ट्रुमेंट्स से, बाज़ार से पैसा खड़ा करेगी और आने वाले तीन सालों में बीस हजार करोड़ रुपए उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगाने की योजना है। यह योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है कि इससे मूलतः रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बढ़ेगा। यूनिवर्सिटी में केवल बाग-बगीचे बने, इसके लिए नहीं है, बल्कि वहां रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े और स्टूडेंट्स फ़ैसिलिटीज़ बढ़े, एकैडिमीज़ फ़ैसिलिटीज़ बढ़े, उसके लिए इस पैसे का उपयोग होगा, ताकि जो काम दस सालों के बजट में आएगा, वह तीन सालों में कैसे पूरा हो, इसके लिए इसमें प्राथमिकता दी गयी है।

दूसरा इनिशिएटिव है - 'जी.आई.ए.एन. (ज्ञान)' बहुत से माननीय सदस्यों ने वर्ल्ड रैंकिंग की बात की है। मैं उस पर आऊंगा। 'ज्ञान' एक योजना है, जिसके तहत आज अच्छे-अच्छे विदेशी अध्यापक-प्राध्यापक यहां आकर तीन सप्ताह रह कर एक कोर्स पूरा करते हैं। पिछले साल लगभग 200 ऐसे प्राध्यापक

आए और इस साल करीब 600 आने वाले हैं। Exchange of professors, exchange of academics also helps in improving our ranking all over the world because the perception about Indian institutes improves as they have first-hand experience. इससे हमारे भी तीन फायदे होते हैं। छात्रों को एक नई शिक्षा, नए तरीके की शिक्षा, दुनिया भर में जो रिलेवेंट शिक्षा है, वह उन्हें मिल रही है। उसके कोर्सेज उन्हें मिल रहे हैं और उसका क्रेडिट भी मिल रहा है। So, they are very enthusiastically participating.

तीसरा इनिशिएटिव है - 'उच्चतर आविष्कार योजना।' आज तक यह था कि शोध करने वाले संस्थान और इंडस्ट्री, ये दोनों अलग-अलग थे। अब हमने इन दोनों को जोड़ दिया है। 'उच्चतर आविष्कार योजना' में आई.आई.टी. के कैम्पस के लिए इंडस्ट्री के लोगों ने 200 से ज्यादा अपनी डिमांड्स दी हैं कि हमें इस प्रयोग की जरूरत है, इस शोध की जरूरत है। इस शोध के लिए आई.आई.टी. और बाकी संस्थानों जैसे 'आई.आई.एस.ई.आर. (आइसर)' के प्रोफेसर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स की टीम बनी है। वह टीम मिल कर काम करती है। काम करके शोध होगा। उसके लिए इंडस्ट्री पैसे दे रही है। यह एक नई पहल है। पहली दफ़ा हम इंडस्ट्रीज़ और एकैडमिशियंस को हम इकट्ठा ला रहे हैं।

एक और सुविधा है। आई.आई.टी. में होस्टल रूम से स्टार्ट-अप शुरू करने की हमने परमिशन दी है। उसका परिणाम यह हुआ है कि आज छात्रों ने अपने होस्टल रूम के एड्रेस देकर 400 से ज्यादा स्टार्ट-अप्स शुरू किए हैं, यह कहने में मुझे बहुत आनंद है। अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनसे रिसर्च और रिनोवेशन बढ़ता है। देश तरक्की कब करता है? देश तब तरक्की करता है, जब शोध होता है। यह पहले नहीं था, अब आया है और इसमें नए-नए सुधार होते हैं, फिर इसका वैल्यू एडिशन होता है, तब देश की संपत्ति बढ़ती है। इस प्रकार देश की संपत्ति बढ़ती है। इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र में शोध की नितांत जरूरत है। हमारे भारत में प्रतिभा है, जैसा कि किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है कि ब्रेन ड्रेन की समस्या है। हमारे अच्छे-अच्छे छात्र विदेशों में जाकर शोध करते हैं और उनको पेटेंट भी वहीं मिलता है, फिर वे लोग वहीं कंपनी में काम करते हैं। वहां पर कंपनी मालामाल होती है और हम लोग देखते रहते हैं। हमने एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, वे इस देश में ही रहेंगे। अच्छे संस्थान में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अच्छे लैब्स होंगे, उनमें जो बेस्ट पाँच सौ छात्र होंगे, उनको हम पीएम स्कॉलरशिप देंगे, जिसमें 75 हजार रुपये महीने की स्कॉलरशिप होगी। इसके आधार पर उनको यहीं रहने का एक अवसर मिलेगा, शिक्षा का भी अवसर मिलेगा और अच्छी गाइडेंस मिलेगी। इस क्षेत्र में विदेश की बहुत बड़ी नामी

संस्थान या कोई रिसर्च लैब है, तो वहां भी ये लोग पाँच साल के कार्यकाल में छह महीने जाकर अध्ययन करेंगे। हम छात्रों को यह फ़ैसिलिटी भी देंगे।

हमने एक ग्लोबल रिसर्च इंटरएक्टिव नेटवर्क (ग्रीन) का इनिशिएटिव लिया है। इससे ब्रेन गेन होगा और ब्रेन ड्रेन रूकेगा। भारत की प्रतिभा भारत के काम आएगी। मुझे यह विश्वास है कि यह एक नई पहल है और इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। कुमारी सुष्मिता देव जी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा इंजीनियरिंग कॉलेज के रिफार्म का उठाया था, जिसमें ए.आई.सी.टी. कमेटी का भी उल्लेख किया गया है। यह सही है कि आज इंजीनियरिंग कॉलेज सभी जगह फ़ैल गए हैं। ज्यादातर छात्र सोचते हैं कि हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, उनके लिए ये दो ही चीजें हैं। मैं कहता हूँ कि दुनिया में इतिहास का भी अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है, ज्योग्राफी का अध्ययन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जगह-जगह जाता हूँ और पूछता हूँ कि कौन टीचर बनना चाहता है। यदि कोई टीचर नहीं बनेगा तो आगे कौन पढ़ाएगा, इसलिए टीचर भी बनना चाहिए। सभी प्रकार के व्यवसायों में अच्छे लोगों की जरूरत है और वह चाहिए। आज इंजीनियरिंग एक फ़ैशन बन गया है, लोग वहां पर गए, फिर ऐसे ही संस्थानों से निकले, कुछ बहुत ही खराब थे। आज अन-एम्पलाएबल इंजीनियर्स के पास सर्टिफिकेट तो है, लेकिन एम्पलाएमेंट नहीं है, क्योंकि वे एम्पलाएबल नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता है। अब इसका क्या उपाय है, इसके तीन उपाय हैं। एक मार्केट फोर्स ने किया, पिछले तीन साल में इस तरह के 400 खराब इंजीनियरिंग कॉलेजेज़ को छात्रों ने ही बंद कर दिया। अगर इन 400 कॉलेजों को सरकार बंद करती तो इसके लिए हो-हल्ला मचता कि आपने यह क्या कर दिया। इसको बंद नहीं करना चाहिए, यह अच्छा था, वह अच्छा था। लेकिन छात्रों ने वेबसाइट पर जाकर संस्थान का प्लेसमेंट देखते हैं, यह इंटरनेट से एम्पावर्ड है। इसके आधार पर ही वे एडमिशन लेने का निर्णय करते हैं। **Now, the message from the students is clear: "If good will persist, good will flourish; and bad will perish."** जो बुरा है, वह सिस्टम से बाहर जाएगा और जो अच्छा है, वह फूलेगा, फलेगा और आगे बढ़ेगा। यह एक मार्केट फोर्स है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे? जैसा कि ए.आई.सी.टी. ने रिपोर्ट दिया, हम लोग इंजीनियरिंग एजुकेशन का पूरा रिफार्म कर रहे हैं।

हमारे माननीय सभापति डॉ. एम.तम्बिदुरई जी जो कह रहे थे, वह सही था कि सिलेबस का रिफार्म ही नहीं होता है। जो ऑटोनोमस कॉलेज है, वह प्रत्येक दो साल में सिलेबस रिफार्म करते हैं, रिलिवेंट करते हैं और जो पुरानी यूनिवर्सिटिज़ हैं, जो पुराने कॉलेजेज़ हैं, अगर वहां दस-दस साल तक सिलेबस ही चेंज नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। यह तो अद्यतन चीज होती है और इसके लिए इंजीनियरिंग

एजुकेशन का एक पूरा रिफार्म का नक्शा हम बनाएंगे और जैसे ही फाइनल होगा, हम आप सब को इसके बारे में बताएंगे। हमें आपकी भी सुझाव उसमें चाहिए।

एन.आई.टी की वैकेंसी के लिए कुमारी सुष्मिता देव जी पिछली बार खूब लड़ी। मैंने भी उनका साथ दिया था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में नहीं बताया। इस साल मैं बताना चाहता हूँ कि उसके बाद हमने एक कमेटी तैयार की थी। जब आपने बताया, तो a Committee was constituted under the Chairpersonship of P.P. Chakraborty, Director, IIT Kharagpur to suggest measures to minimise vacant seats in IITs, NITs and other Central institutes. The Committee has submitted its recommendations. What are the suggestions? They are, early beginning of counselling, more rounds and removal of unattractive courses. कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, जो आब्सलीट हो गए हैं, लोग एडमीशन नहीं ले रहे हैं। कोर्सेज में वैकेंसीज हैं, लेकिन उन कोर्सेज में कोई जाना नहीं चाहता है। हम क्यों ऐसे कोर्सेज रखेंगे। हम उनको बाहर करेंगे और नये कोर्सेज रिलेवेंट किए हैं। एक पूरा वर्ष इसके रिफार्म में हमने लगाया है। इस साल मैं आश्वस्त कर सकता हूँ और मुझे यकीन है कि इस साल एनआईटी की वैकेंसी नहीं रहेगी, हर सीट भरी जाएगी, इसके लिए आखिर तक सारा प्रयास होगा और हम इसे करेंगे।

कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में माननीय सदस्य ने बात कही। जो आईआईटीज हैं, मान लीजिए आईआईटी गुवाहाटी है, तो हमने उन सबको कहा, अच्छे इंस्टीट्यूट्स को, जो आसपास की यूनिवर्सिटीज हैं या दूसरे जो कॉलेजेज हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, उनके अध्यापकों, प्राध्यापकों और छात्रों के साथ उनके प्रोग्राम्स होने चाहिए, ताकि एक लेवल ऑफ एजुकेशन इन दैट रीजन गोज़, यह करने की जरूरत है, इसलिए कैपेसिटी बिल्डिंग का भी एक मुद्दा है।

ग्लोबल रैंकिंग की बात हम बहुत बार करते हैं और हमें दुःख होता है कि हमारा रैंकिंग में कहीं नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि ग्लोबल रैंकिंग के लिए हमने अध्ययन किया है। कुछ ग्लोबल रैंकिंग में परसेप्शन का भी मसला बहुत महत्वपूर्ण बनता है। हमारी एनआरआई कम्युनिटी और तीन करोड़ लगभग इंडियन डायस्पोरा है। उनमें से बहुत से लोग एजुकेशन में काम करते हैं। उनको भी हमारे इंस्टीट्यूट की सही जानकारी हो और उसका भी परसेप्शन ठीक तरह से रेफ्लेक्ट हो और प्रत्यक्ष इंस्टीट्यूट की क्वालिटी अच्छी हो, इसके लिए भी प्रयास करेंगे। ग्लोबल रैंकिंग में मुझे अच्छा लगा कि पचास स्माल यूनिवर्सिटीज का, जो अभी फर्स्ट टॉप 10 स्माल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आई, उसमें भारत के बैंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज को पहले 10 में 8वां नंबर मिला है। हम पहली 8वीं यूनिवर्सिटी हैं। यह एक अच्छी

शुरूआत है, लेकिन इससे और भी आगे बढ़ना है। हमारी रैंकिंग कैसे बढ़ेगी, तो जब क्वालिटी में सुधार होता है, तभी रैंकिंग बढ़ती है। क्वालिटी में सुधार इन सारे एजुकेशनल रिफार्म्स का मूल मुद्दा रहेगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा, जो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव था। शायद महतो जी ने बताया कि एग्जिट एग्जामिनेशन भी लीजिए। इंजीनियरिंग की डिग्री तो लेते हैं, लेकिन बाद में नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि अनेक जगह एक दर्जे की परीक्षा नहीं होती है। एग्जिट एग्जाम का एक सुझाव है। अभी उसके बारे में हमने कोई निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि उसमें यूनिवर्सिटी भी एग्जाम करेगी, फिर हर एक की एग्जिट एग्जामिनेशन होगी, तो कैसे चलेगा। इसलिए उस पर हम विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं किया है।

वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स, वर्ल्ड क्लास कहने से वर्ल्ड क्लास नहीं होते हैं। इसलिए हम उनको शुरू में इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल एमिनेन्स कहेंगे, 10 पब्लिक सैक्टर में, 10 प्राइवेट सैक्टर में, लेकिन उसका ध्येय होगा कि वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स उनमें से तैयार हों। वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट एक दिन में, एक साल में नहीं बनते हैं। इसके लिए 10-20 साल मेहनत करनी पड़ती है। हम उनसे 20-25 साल का रोड मैप मांग रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, वे भी आ सकते हैं, कुछ नये भी आ सकते हैं, पब्लिक भी आ सकते हैं। पब्लिक इंस्टीट्यूट्स में हम खूब पैसा डालेंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में प्राइवेट वाले पैसा डालेंगे। उसमें ऑटोनामी भी रहेगी और उसमें प्रयोग करने का अवसर रहेगा। भारत का नाम तभी रोशन होगा, जब इसी ध्येय से लोग काम करेंगे और अच्छे इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल एमिनेन्स तैयार करेंगे।

एक मुद्दा वैकेंसीज का आया। अनेक विश्वविद्यालयों में वैकेंसीज हैं, यह सत्य है। वैकेंसीज भरने के लिए हमने 24 बाई 7 प्रक्रिया चलाई है। 24 बाई 7, मतलब रोलिंग एडवरटाइजमेंट्स, वे कभी बंद नहीं होंगे। वे विश्वविद्यालय की वेबसाइट्स पर भी रहेंगे और अब हम उसको यूजीसी की वेबसाइट पर भी जोड़ रहे हैं और एआईसीटीई की वेबसाइट पर भी जोड़ रहे हैं। किसी भी वेबसाइट पर जाओ, कहां-कहां पर पद खाली हैं, वह कंटिन्युअस स्क्रीन में आता रहेगा और अब कभी भी एक तरह से वाक-इन इंटरव्यू की स्थिति आ जाएगी। आप कभी भी एप्लीकेशन करिए, आपका इंटरव्यू होगा।

मैंने आईआईटी और बाकी संस्थानों को कहा है कि विदेश में भी चाहिए। भारतीय छात्र जो अच्छा शोध करते हैं, उनको भारत वापस लाना है। लेकिन वहां जाकर उनका इंटरव्यू लीजिए, उन्हें बताइए कि यहां की हालत बदली है, यहां आपको फ्रीडम मिलेगी, यहां आपको रिसर्च का अवसर मिलेगा, अच्छा पढ़ाने का आनंद आएगा, घर में रहने का भी आनंद आएगा, उससे ज्यादा आपको फ्लैक्सिबिलिटी मिलेगी, आप बाकी काम भी कर सकते हैं। वहां के हमारे प्रतिभाशाली छात्र जो अदरवाइज़ बाहर के देशों में नौकरी ढूंढते

हैं, उनके लिए भी प्रयास करें। मुझे खुशी है कि आईआईटी में बड़ी संख्या में अध्यापक आने लगे हैं। The best of the best brains to be brought in either for employment or for research. यह हमारा ध्येय है और उसमें ला रहे हैं।... (व्यवधान)

वेकेंसीज़ का दूसरा पहलू भी है। श्री बिजू ने रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया। वे हमेशा उठाते थे और हम दोनों मिलकर एचआरडी में लड़ते भी थे।... (व्यवधान) I am coming to that.... (व्यवधान) जेएनयू प्रमुख संस्थान है, लेकिन वहां सालों से शिडयूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स के सैंकड़ों पद भरे ही नहीं थे। फिजिकली हैंडिकैप्ड जिन्हें हम अभी दिव्यांग कहते हैं, जो रिजर्वेशन मिला है, उनके पद भरे ही नहीं थे। अच्छे छात्र हैं, अच्छे लोग हैं, प्रोफ़ेसर बनने लायक हैं, लेकिन जेएनयू जैसे संस्थान में पद नहीं भरा था। अब हमने यह प्रोग्राम लिया है और मुझे खुशी है कि सौ से ज्यादा शिडयूल्ड कास्ट्स, शिडयूल्ड ट्राइब्स प्रोफ़ेसर जल्दी ही जेएनयू में ज्वाइन होंगे। दिव्यांगों की संख्या 25 है। वह प्रोविजन भी होगा।

आपने एक मुद्दा सुसाइड का उठाया जो महत्वपूर्ण है।... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड्गे: आपने एक स्टार्ड प्रश्न का रिप्लाइ देते समय वेकेंसीज़ की पूरी लिस्ट दी। जेएनयू को छोड़िए, आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में किसी-किसी जगह 50 प्रतिशत भी नहीं है। सैंकड़ों वेकेंसीज़ हैं। इसलिए आप आइसोलेट मत कीजिए। मुझे मालूम है, जेएनयू के बारे में क्यों बोल रहे हैं।... (व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर : मैं इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं। एक यूनिवर्सिटी को अलग से नहीं दिखा रहा हूं। जेएनयू को अभी राष्ट्रपति जी के हाथों टॉप यूनिवर्सिटी का पुरस्कार मिला है। मैंने एक टॉप यूनिवर्सिटी के बारे में बताया और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में भी बता रहा हूं। मेरी बात पूरी नहीं हुई है। विजिटर ने ऐवार्ड दिया है। मैंने उस दिन भाषण में कहा। जेएनयू को विजिटर का टॉप यूनिवर्सिटी के नाम से जो ऐवार्ड मिला है, वहां जो अच्छा रिसर्च हुआ है, अच्छा काम हुआ है, उसके लिए मिला है, उन्होंने अफजल के बारे में नारे लगाए, उसके लिए नहीं मिला है, यह समझना चाहिए।... (व्यवधान) जेएनयू को जो पुरस्कार मिला है, वह कुलपति को पूरे एक दिन, रात बंधक बनाए रखने के लिए नहीं मिला है, वहां जो अच्छा काम हुआ है, जिसकी न्यूज़ नहीं आती है, उसके लिए मिला है।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No cross talking please. Please sit down.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: No cross talking. Nothing will go on record.

...(Interruptions)... *

* Not recorded.

श्री प्रकाश जावड़ेकर : खड़गे साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि मैंने परसों जवाब देते समय कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बहुत वेकेंसीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की वेकेंसीज़ हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी हैं। हम तीन प्रकार के प्रयास कर रहे हैं - पहला, टीचरशिप को प्रोत्साहन देने वाला वातावरण तैयार करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि यह भी सबकी शिक्षा होती है। जब मैं सदन में बैठता हूँ तो आप सबसे रोज कुछ सीखता हूँ, क्योंकि हर कोई नया अनुभव देता है। मैंने अनेक औद्योगिक घरानों में देखा कि वहां अपने उद्योग के प्रति एक लगन पैदा हो, वह उद्योग में काम करता रहे और आने वाली पीढ़ी के लिए भी पूरी फ़ैमिली में अलग व्यवस्था रहती है कि फ़ैमिली के लोग फ़ैमिली का व्यवसाय करते रहें, उसमें उसकी रूचि बनी रहे, इसके लिए प्रयास करते हैं। वैसे टीचर बनने के लिए भी रूचि पैदा करनी है, टीचर बनने के लिए टीचरशिप का एक मंत्र जगाना है। इसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को भी कहा है कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिलकर विदेश से भी एनआरआई के साथ, हमारे जो छात्र वहां रिसर्च कर रहे हैं, उनसे अभी से सम्पर्क रखिए। उनसे संपर्क रख कर उनको वापस लाने का प्रयास करें। देश में कैपेसिटी बढ़े और प्रोफेसर आए। मैं जहां भी जाता हूँ आनंद आता है। अभी आई.आई.टी. दिल्ली में गया था, 200 में से 80 छात्रों ने कहा कि मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे अच्छा लगा। हमने कहा कि यह सही मसला है, इसी तरह से करना चाहिए, हम किसी को सिंगल आऊट नहीं कर रहे हैं, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर को बुलाना और कम पैसे देकर केवल यूज करना, यह करेक्ट नहीं है, परमानेंट पद भरना चाहिए, तभी शिक्षा सार्थक होगी। यही हमारा विश्वास है।

सुसाइड का महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया। किसी एक छात्र की भी कैम्पस में सुसाइड होता है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए मैं मानता हूँ कि जो कमेटी की रिपोर्ट आई उसमें हमने छह कदम और जोड़े हैं। वहां इंडक्शन कोर्स अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉंग होना चाहिए, बी.एच.यू. में तीन सप्ताह का एक इंडक्शन चलता है ताकि देहात से और विभिन्न सांस्कृतिक परिपाटी से आए लोग घुलमिल जाएं, कॉलेज को सही तरीके से समझे, यूनिवर्सिटी को समझें, इसके लिए अच्छा इंडक्शन कोर्स होना जरूरी है। लोकल परेंट भी होना जरूरी है। मैं जब कॉलेज में था, तब फार्म में भरना पड़ता था, अगर कोई स्टूडेंट बाहर से आया है तो लोकल परेंट कौन है, आपका संबंधी कौन है? लोकल गार्डियन की कल्पना थी।

मैंने सभी यूनिवर्सिटी को लिखा है कि इसे फिर से शुरू करें, क्योंकि कोई धागा होना चाहिए, कोई उसके साथ मिलने वाला होना चाहिए, काउन्सलर्स रखो, काउन्सलर्स के पास जाने के लिए माहौल

तैयार करो, अगर किसी को डिप्रेशन लगता है, **He must go.** क्योंकि आज भी साइंटिफिक स्टडी में आया है कि कभी - कभी एक ट्रेंड होता है, मन की एक अवस्था आती है।

हम कल मेन्टल हेल्थ बिल की चर्चा कर रहे थे, यह मद्दा सामने आया था। 12 तरह के स्टेज हैं, आप सभी को भेजूंगा, यूनिवर्सिटी को हमने सर्कुलर भेजा है, उसकी एक कॉपी आपको भी दूंगा, सभी कॉलेजेज में यह व्यवस्था कारगर हो, किसी भी कैम्पस में आत्महत्या न हो, यही हम सभी का प्रयास होना चाहिए, यही मेरी कल्पना है।

आज स्कूल एजुकेशन का बिल नहीं था, फिर भी अनेक लोगों ने स्कूल एजुकेशन के बारे में बोला क्योंकि स्कूल अच्छे नहीं होंगे तो कॉलेज भी अच्छे नहीं होंगे। यदि स्कूल में इन्कविजिटिजेस और क्यूरिओसिटी नहीं होगी तो वहां रिसर्च और रिनोवेशन नहीं होगा। क्वालिटी ऑफ पब्लिक स्कूलिंग, पब्लिक इंस्टीट्यूट्स, पब्लिक कॉलेजेज, महत्वपूर्ण हैं। पब्लिक इंस्टीट्यूट की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव हो क्योंकि इसके लिए सरकार खर्च कर रही है। सर्वशिक्षा अभियान पर 25 हजार करोड़ रुपये केन्द्र सरकार खर्च करेगी और 15-20 हजार करोड़ रुपये राज्य सरकारें खर्च करेंगी तो 50 हजार करोड़ रुपये देश में खर्च होंगे, तभी उसका कोई लाभ नहीं होगा, यह अच्छा नहीं है। इसलिए इस पैसे का सही उपयोग होगा जब क्वालिटी इम्प्रूव होगी, इसके लिए हमने चार कदम उठाए हैं। पहले लर्निंग आउटकम, आज तक पहली से आठवीं कक्षा तक केवल परीक्षा ही नहीं था, ऐसा नहीं था। पिछले दस साल में पहली से आठवीं तक जाता था, पहली क्लास में क्या आना चाहिए, दूसरी क्लास में क्या आना चाहिए, तीसरी क्लास में भाषा गणित का कौन सा कैपिसिटी आनी चाहिए, यह डिफाइन्ड नहीं था। राईट टू एजुकेशन में लर्निंग आउटकम का मेन्शन किया था लेकिन इसे दस साल में डिफाइन्ड नहीं किया था, हमने इसे इस महीने डिफाइन्ड किया है। इस साल से इसे सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा, **learning outcomes are defined.** इसे हम हर पैरेंट्स को देने वाले हैं कि आपका बेटा चौथी क्लास में है तो इसे इतना आना चाहिए, इसे स्कूल की दीवार पर लगाएंगे, यह एक बड़ा सुधार है।

दूसरी बात, हम टीचर्स एजुकेशन में कम्पलीट रिफार्मस करने वाले हैं क्योंकि टीचर्स का एजुकेशन ऐसे बन गया है, आप सभी को पता है, जो बेस्ट बी.एड. यूनिवर्सिटी के कॉलेज थे, वे सब बंद पड़ गए, बाजार में एक लाख रुपये में डिग्री मिलेगी, वहां पढ़ना कम्पलसरी नहीं है, लेसन लेना कम्पलसरी नहीं और परीक्षा भी कम्पलसरी नहीं, सीधे सर्टिफिकेट मिलेगा।

मैंने सभी से ऐफिडेविट मगाएं हैं, आज हमारे पास साढ़े आठ हजार ऐफिडेविट बी.एड कॉलेज से आए हैं। उसकी स्क्रुटनी हो रही है, उसके बाद जो ढाई हजार लोगों ने नहीं दिए हैं, उनको हमने नोटिस

दिया है। लेकिन अगर आपने 15 दिनों के अंदर ऐफिडेविट नहीं दिया, तो आपका संस्थान बंद हो जायेगा, क्योंकि हमें बुरे कालेजेज नहीं चाहिए। जो अच्छे कालेजेज हैं, वे चलेंगे। हमने यह एक बड़ा काम किया है। ... (व्यवधान) I am telling you. NCT and NCERT, these institutes are important since they are dealing in teacher's education. There are four regional offices of NCT. There were many complaints about the regional offices. We are bringing all regional offices and making it into a central office at Dwarka from next month. So, we are bringing NCT, like AICT and UGC, here. NCT will also function from Delhi. This is one more reform we are doing.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): You are bringing back centralization. Is it good?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: It is decentralized online... (*Interruptions*) In every district they will file online. It will be transparent. It is not man to man contact. It will be online. It will be a scientific and transparent process. We will show you how we are doing it. That is not an issue... (*Interruptions*)

The third problem was that in CBSE some students were allowed to sit for 10th Board examination and some had no Board examination for 10th standard. We have decided to have mandatory board examination at the 10th level. Let me tell you how one decision of the Government is taken. If you take everybody into confidence, this decision to have Board examination for 10th standard students from the year 2017-18 has been upheld by all parents and everybody. Now, the approval rating for this decision, whichever TV channels have asked questions for this decision and whichever newspaper have asked questions against this decision, there has been a 90 per cent approval for this decision. So, that was the third step.

The fourth step which we took was that कि पहली से आठवीं तक ऐसे ही जा रहे हैं। आपके सामने जल्दी ही इस संबंध में बिल आयेगा। मैंने कैंग की मीटिंग की, जिसमें कुशवाहा जी समेत सब स्टेट्स के एजुकेशन मिनिस्टर्स थे। हमसे 25 राज्यों ने मांग की कि हमें पांचवीं और आठवीं में स्टूडेंट को डिटेन करने की परमिशन चाहिए। हमने कहा कि मार्च में एग्जामिनेशन होगा। अगर वह फेल हो गया, तो उसे दूसरा चांस जून में मिलेगा। अगर वह जून में फेल होता है, तो उसे डिटेन किया जा सकता है। इसके

लिए अध्ययन कम्लसरी है। इसमें शिक्षकों की भी एकाउंटेबिलिटी है। पांचवीं और आठवीं के डिटेन्शन के बिल पर 25 राज्यों की मान्यता थी, जबकि 4 राज्यों ने कहा कि यह बिल नहीं चाहिए। ...
(*Interruptions*) Four States said that they did not want it. We left the decision to the States. So, States will decide whether to detain or not. That is how we deal in cooperative federalism.

SHRI K.C. VENUGOPAL: Congress Government decided for detention in 2004. I would like to know if the hon. Minister is agreeing for detention or not...
(*Interruptions*)

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: First let me complete and then I will answer your question. We had promised one IISER in Nagaland. But the Government of Nagaland said that they wanted SPA and then they said that they wanted an engineering college. So, we are discussing with the Government of Nagaland as to what exactly they want. But we are definitely giving one important institute to Nagaland. Our commitment to the cause of the North-East is full and final and we will do everything.

श्री कांति लाल भूरिया (रतलाम) : मंत्री जी, आपने अभी कहा। ... (व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर : आप बाद में पूछिये। ... (व्यवधान)

17.00 hours

आपने टेक्विप के बारे में पूछा था।... (व्यवधान) This time, I am happy that in the earlier days, the so-called States like Uttar Pradesh, Bihar, Odisha, Madhya Pradesh, Rajasthan and BIMARU States are growing very fast. Now, Uttar Pradesh will also grow very fast.... (*Interruptions*) That is how things happen and this is how things change. That is why , people changed. So, TEQIP-III is fully concentrated and given to the North-Eastern States, Andaman & Nicobar Islands and the so-called BIMARU States which we say are really developing States now. So, we have given TEQIP full assistance in these States only. नए संस्थानों को भी पूरी मदद करेंगे। आज तिरुपति के संस्थान के लिए अगर 40 करोड़ रुपये लिखे हैं तो केवल 40 करोड़ रुपये ही नहीं देंगे,

जैसे ही उनकी डीपीआर तैयार होगी और काम शुरू होगा, जितना पैसा चाहिए होगा, उनको देंगे। हम एक नई व्यवस्था के बारे में सोच रहे हैं जिसमें दो वर्षों में ही इंस्टीट्यूट का काम पूरा हो जाए।

बिहार में हमने बहुत से इंस्टीट्यूट्स दिए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहता हूँ कि हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बोधगया दी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मोतिहारी दी है, आईआईटी, पटना है, एनआईटी, पटना है, आईआईएम, बोधगया है। ये जो संस्थान हैं, इनकी जमीन का मसला आपके पास पड़ा है। जमीन जल्दी दीजिए,...(व्यवधान) आपकी मदद से हम करेंगे। मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई है और आपकी मदद लेकर, इसमें जल्दी जमीन मिले, हम यही प्रयास करेंगे।...(व्यवधान) आप चिन्ता मत कीजिए। ... (व्यवधान) अण्डमान के बारे में विचार चल रहा है।

यह पूछा गया था कि एनआईटी की रैंकिंग होती है या नहीं, इसकी रैंकिंग होती है। जो देश का नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, इसका दूसरा साल है। अगले सोमवार को, तीन तारीख को हम उसे घोषित करेंगे और दस तारीख को राष्ट्रपति जी के हाथ से उसके अवाडर्स का वितरण करेंगे। रैंकिंग सभी जगह होती है, सभी इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग होगी। जिन लोगों की आय पांच लाख रुपये से कम है, उनको एनआईटी की फीस में दो-तिहाई वेवर दिया गया है। शिड्यूल्ड कास्ट्स एवं शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए वहां फीस नहीं लगती है। बाकी सारे जो मुद्दे उठाए गए हैं, हम उनका संज्ञान लेंगे। सबने साथ दिया, सभी ने इस बिल को सपोर्ट किया, इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और यह बिल पास करने की दरखास्त करता हूँ।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill further to amend the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007 be taken into consideration.”

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

**Clause 2 Amendment of First Schedule to
Act 29 of 2007**

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran – not present.

The question is:

“That clause 2 stand part of the Bill. ”

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1 Short title and commencement

Amendment made:

Page 1, line 4,--

for “(Second Amendment) Act, 2016”,

substitute “(Amendment) Act, 2017”. (2)

(Shri Prakash Javadekar)

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 1, as amended, stand part of the Bill. ”

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line 1,-

for “Sixty-seventh”, substitute “Sixty-eighth”. (1)

(Shri Prakash Javadekar)

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Long Title was added to the Bill.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: I beg to move:

“That the Bill, as amended, be passed.”

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill, as amended, be passed.”

The motion was adopted..

17.05 hours**COLLECTION OF STATISTICS (AMENDMENT) BILL, 2017**

HON. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up Item No. 10, the Collection of Statistics (Amendment) Bill, 2017.

Hon. Minister.

THE MINISTER OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION
(SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): I beg to move:

“That the Bill to amend the Collection of Statistics Act, 2008 be taken into consideration.”

The Principal Act, that is the Collection of Statistics Act, 2008 as of now extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir. The Jammu and Kashmir Collection of Statistics Act, 2010 passed by the Jammu and Kashmir Legislature extends to the State of Jammu and Kashmir. Both the above laws do not cover matters specified in the Union List, that is List I, in the Seventh Schedule to the Constitution as applicable to Jammu and Kashmir under the Constitution Order, 1954. The Principal Act is not applicable to matters of the Concurrent List, List III, as applicable to Jammu and Kashmir.

There is a small legislative vacuum because of these two Acts, the State Act and the Central Act. The Central Act does not extend upto the State of Jammu and Kashmir. So, we want to extends its jurisdiction. For that reason I am bringing this Bill.

The other amendments in the Bill are on three issues. The first one is designating a nodal officer at the Centre and in each State for providing guidance to line Departments in avoiding unnecessary duplication in collection of statistics.

The second one is intended to provide for an appropriate enabling provision in the Principal Act to provide for rule making power in the manner in which information collected shall be used.

The third one is intended to provide for an appropriate enabling provision in the Principal Act regarding the condition of previous publication of rules made under the Act. This makes the rule making process more transparent.

Totally, we want to see that this collection of statistics and data collection should be very transparent and we should get the real time data. So, it needs to be extended upto the State of Jammu and Kashmir also. Of course, earlier we made a request to the State of Jammu and Kashmir to pass a Resolution in their Assembly so that we can extend this to the State of Jammu and Kashmir. But we could not get a positive response from the State Government.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Why?

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: The Constitution does not permit it. Article 370 says that there are certain privileges for them. For that reason we need to have a Resolution passed from the State Assembly. But that Resolution did not come.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill to amend the Collection of Statistics Act, 2008 be taken into consideration.”

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you.

The hon. Minister has just pointed out that there are three basic features in this particular amendment which has been brought in. The first one relates to the extension of jurisdiction of collection of data to the State of Jammu and Kashmir as regards to the articles contained in the Union List and the Concurrent List. The second one relates to the provision of appointing nodal officers for better collection of data, more efficiency and production of efficient and more reliable statistical information for the Government. The third one is an enabling clause.

Let me talk about each one briefly and then talk about some of the other issues. The first point is very important. The Government is trying to extend the jurisdiction. The Government is trying to fix a small legal lacuna which has been left out by the provisions of the Collection of Statistical Act 2008, which our Parliament enacted.

कश्मीर का अपना एक ऐक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन (ऐप्लिकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर) ऑर्डर, 1950 के अंतर्गत यह जरूरी था कि हम इस तरह का ऑर्डर बनायें कि वहां की असेम्बली भी उसे पास करे। उसके बाद वर्ष 2008 में यहां पर कानून बना और वर्ष 2010 में वहां की असेम्बली ने अपना कानून बनाया। एनएसएसओ वहां का डेटा ले रहा है, क्योंकि उसमें वे लोग अपने प्रदेश में डेटा कलेक्ट करते हैं, यूनियन लिस्ट और कन्करंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं, उसका डेटा कलेक्शन के लिए हमारे पास कोई एक लीगल प्रोविजन नहीं था, तो उसे एड्रेस करने के लिए आप लोग यह बिल लेकर आये हैं। इस प्रोविजन को लेकर हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हम यह उम्मीद करते हैं कि आपने सभी को इसमें साथ लिया है। जम्मू-कश्मीर में आपके गठबंधन की सरकार है, आपकी मुख्य मंत्री हैं और सभी को इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हमें भी कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करना चाहते हैं कि आपने सभी को इसमें ऑन-बोर्ड लिया है, क्योंकि उस समय भी कांस्टीट्यूशनल प्रोविजन्स के अंतर्गत पहले हमारी पार्लियामेंट ने वर्ष 2008 में लेजिस्लेट किया था और वर्ष 2010 में उनकी स्टेट असेम्बली ने भी सिमिलर प्रोविजन्स के साथ संविधान की धाराओं के अंतर्गत क्लेक्शन आफ स्टैटिस्टिक्स ऐक्ट पारित किया था। यही एक फिजिबल लीगल ऑप्शन था।

जहां तक दूसरे प्रोविजन नोडल आफिसर्स की एफिशिएंसी बात है, उसे लेकर भी हमें कोई ऐतराज नहीं है। हालांकि हम मानते हैं कि आपको नोडल आफिसर्स लगाने के लिए पार्लियामेंट में लेजिस्लेट कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी, यह डेलिगेटिड लेजिस्लेशन से हो सकता था, मगर आप इसे यहां लाए हैं, इसके लिए हमें कोई ऐतराज नहीं है।

इस बिल का जो तीसरा महत्वपूर्ण फीचर है और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि आपने जो स्टेटमेंट्स आफ ओब्जेक्ट एंड रीजन्स दिए हैं, उनमें इस महत्वपूर्ण तीसरे फीचर के बारे में कुछ नहीं कहा है। आपने भाषा बदली है, जिसे आप अनेब्लिंग क्लॉज़ कह रहे हैं। जिस तरह की भाषा बदली गई है, उसके लिए हमें चिंता होती है। वर्ष 2008 का जो एग्जिस्टिंग बिल है, उसमें मैं सैक्शन-9, सब-सैक्शन-1 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें कहा गया है -

“Any information furnished to the Statistical Officer or person or agencies authorized under this Act shall only be used for statistical purposes.”

यह स्पष्ट किया गया था कि स्टैटिस्टिकल परपज़ के लिए ही एनएसएसओ द्वारा जो डेटा कलेक्ट होगा, उसका इस्तेमाल स्टैटिस्टिकल परपज़ के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन उसे बदल कर आपने नई भाषा दे दी है कि -

“The Statistical Officer or any other person or agencies authorized under this Act shall use any information furnished under Section 6 in such manner as may be prescribed.”

आपने कह दिया कि पहले क्लियर था कि स्टैटिस्टिकल परपज़ के लिए ही एनएसएसओ का सर्वे होता था, उसकी इनफोर्मेशन का इस्तेमाल किया जाएगा।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : इसमें आपत्ति की क्या बात है?

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : इसमें बहुत से सवाल उठते हैं कि कौन प्रेसक्राइब्ड करेगा। इसमें यह भी लिखा हुआ है, डेटा केवल सरकार के पास नहीं होता है, Statistical Officer or any other person or agencies authorized under this Act. आपने देखा होगा कि पिछले महीने आधार कार्ड के डेटा थैफ्ट को लेकर आपकी सरकार एक्सिस बैंक के खिलाफ केस दायर करने के लिए मजबूर हुई थी, क्योंकि वहां से बायोमीट्रिक्स का डेटा इम्पर्सोनेशन के लिए इस्तेमाल हुआ और डेटा थैफ्ट के अंदर आपकी सरकार

को पुलिस में शिकायत करनी पड़ी। हम मांग करते हैं कि पहले स्पैसिफिकेशन यह हो कि प्रैसक्राइड कौन करे। यह क्लियर होना चाहिए और दूसरी बात कि इस डेटा का क्या प्रयोग होने जा रहा है। आज तक एनएसएसओ का डेटा स्टैटिस्टिकल यूसेज के लिए डेटा क्लेक्ट किया जाता था और यह मैं इसलिए महत्वपूर्ण मान रहा हूँ, क्योंकि यह एनएसएसओ का ऐसा एक्ट है, आपने देखा होगा कि टीवी पर, दूरदर्शन पर जो एड आते हैं, उनमें बताया जाता है कि जो डेटा का कलेक्शन किया जाएगा, उसे पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। यह भी प्रोविजन है कि अगर कोई अपना डेटा उपलब्ध नहीं कराएगा या गलत जानकारी देगा, तो एक हजार रुपए से लेकर पन्द्रह हजार रुपए तक का फाइन और छह महीने तक की सजा का प्रावधान इस एक्ट में है। सरकार जो जानकारी मांग रही है, वह तो देनी ही है। हमारा मानना है कि यह अधिकार उन लोगों के पास होना चाहिए कि जो जानकारी उनसे ली जा रही है, उसका क्या उपयोग किया जाएगा। यह फाइनेंस बिल जैसी कहानी हो गई है। डेटा को लेकर मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ।

पहले तो सरकार को इस बिल से जुड़े सवालों का जवाब देना चाहिए, मगर 'आधार' को लेकर भी देश में बड़ी बहस हो रही है। फाइनेंस बिल में भी आप एक अमेंडमेंट बाद में लेकर आए थे, जिसमें कहा गया कि इनकम टैक्स रिटर्न में 'आधार' मंडेटरी है। आपका लक्ष्य ठीक हो सकता है, लेकिन बिग डेटा का ज़माना है। आप इतना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जो यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन आथोरिटी आफ इंडिया है, उन्हें पुलिस के पास रिपोर्ट करनी पड़ी कि तीन कम्पनीज एक्सिस बैंक, सुविधा और ई-मुद्रा ने आधार कार्ड का बायोमीट्रिक डेटा अनआथोराइज ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ किया और तीनों बैंक के इम्प्लाइज इसे यूज़ कर रहे थे।

इसी प्रकार से, इल्लिगल ऑर्थेंटिकेशन एंड इंपर्सोनेशन के लिए भी इन तीनों बैंक्स के इम्प्लाइज आधार का डेटा इस्तेमाल कर रहे थे। आप डिजिटल इजेशन की बात कर रहे हैं, डिजिटल पेमेन्ट्स की ओर चल रहे हैं, आपने इसी प्रकार से फाइनेंस बिल में भी प्रोविज़न कर दिया है। एक तरफ तो आप लोगों से सारी जानकारियाँ चाहते हैं, दूसरी तरफ फाइनेंस बिल में यह प्रोविज़न भी किया गया है कि जो कारपोरेट हाऊस राजनैतिक पार्टियों को फण्ड और डोनेशन देते हैं, तो लोगों को उनके बारे में जानने का अधिकार नहीं है कि कौन किसे कितना डोनेशन दे रहा है। कौन किस राजनीतिक दल को कितना चन्दा दे रहा है, इसे जानने का लोगों को अधिकार नहीं है। मगर आप लोगों से सारी जानकारियाँ लेना चाहते हैं और आप लोगों को बताना भी नहीं चाहते हैं, उनको जानने का आप अधिकार भी नहीं देना चाहते हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी बहस चल रही है, उसे भी एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर फ़ैसला करना है कि हमारे

संविधान के तहत राइट टू प्राइव्हेसी ऑफ डेटा एक फण्डामेंटल राइट है या नहीं। हमारी सरकार ने, अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी जी ने यह पोजीशन ली है कि यह एक फण्डामेंटल राइट नहीं है। यह डेटा प्राइव्हेसी का राइट है, लेकिन फण्डामेंटल राइट नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 1954 और वर्ष 1962 के दो जजमेंट्स रखे हैं और कहा है, सुप्रीम कोर्ट में पहले ऐसे दो जजमेंट्स दिये थे कि यह फण्डामेंटल राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की लार्ज बेंच को अल्टीमेटली फैसला करना पड़ेगा कि यह एक फण्डामेंटल राइट नहीं है। इस पर एक बहस चल रही है, यह एक प्रश्न है। आज के जमाने में, बिग डेटा के जमाने में, डिजिटल इकोनॉमी के जमाने में, अब एनएसएसओ के डेटा को भी स्टैटिस्टिकल परपज़ के अलावा किसी और परपज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, ऐसे में, मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर सुप्रीम कोर्ट दें, उससे पहले इस प्रश्न का उत्तर इस सदन को देना चाहिए।

मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। पूरी दुनिया में डेटा प्राइव्हेसी की जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेज हैं, यदि हम उनका अध्ययन करें, तो पूरी दुनिया में पाँच-दस साल के अंदर सभी देशों ने अपने-अपने देशों में डेटा प्राइव्हेसी लॉ लाये हैं, लेकिन हमारे देश में अभी कोई डेटा प्राइव्हेसी लॉ नहीं है, इसीलिए ये प्रश्न खड़े हो रहे हैं।

कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन से संबंधित जो सवाल हैं, उनके जवाब आपको देने पड़ेंगे। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। यूरोपियन यूनियन देशों का ऐसा पहला संगठन बना है, जिसने डेटा प्रोटेक्शन को फंडामेंटल ह्यूमन राइट डिक्लेयर कर दिया। ईयू ने भी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ऐक्ट को लागू किया। इसी प्रकार से, यूनाइटेड किंगडम भी अपना डेटा प्रोटेक्शन ऐक्ट लाया। कनाडा में प्राइव्हेसी ऐक्ट के माध्यम से कुछ अधिकार दिये गये। कनाडा में दो ऐक्ट हैं, एक ऐक्ट के अनुसार सरकारी एजेंसीज़ डेटा लेती हैं और दूसरे ऐक्ट के अनुसार प्राइवेट एजेंसीज़ डेटा लेती हैं। सरकारी एजेंसीज़ जो डेटा लेती हैं, उन पर प्राइव्हेसी ऐक्ट लागू हुआ है और निजी कंपनियाँ लोगों से जो डेटा कलेक्ट करती हैं, वह पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन ऐक्ट के माध्यम से करती हैं। डेटा किस परपज़ के लिए लिया गया और किसके लिए इस्तेमाल किया गया, उस पर एक रेगुलेशन लाया गया। हमारे देश में इस प्रकार का कोई रेगुलेशन नहीं है। आधार नम्बर आ गया है। आप लोग फाइनेंस बिल के माध्यम से उसका विस्तार कर रहे हैं।

आपने एनएसएसओ में भी एक ऐसा प्रावधान किया है कि पहली बार उसके डेटा को भी और भी कहीं इस्तेमाल किया जाएगा। मैं आपकी मंशा पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मगर जो दिशा है, उसमें हमें इस बात का भी संज्ञान लेना पड़ेगा कि हमें डेटा प्राइव्हेसी के संबंध में कैटेगरीज बनानी होंगी कि किस कैटेगरी में किस प्रकार के डेटा आते हैं। बहुत-से ऐसे प्रश्न हैं, जिनके उत्तर देने पड़ेंगे। जो डेटा कलेक्ट किये जा रहे हैं, वे किस कैटेगरी में आ रहे हैं। बैंक से रिलेटिड डेटा हैं, क्योंकि अब तो बैंक एकाउंट को भी आधार

नम्बर से जोड़ दिया गया है। दूसरा, किसानों से संबंधित डेटा है। इस प्रकार से अलग-अलग डेटा हैं। हेल्थ इंफॉर्मेशन से संबंधित डेटा हैं। आप किस डॉक्टर के पास गये, आपका हेल्थ रिकॉर्ड क्या है। जब एनएसएसओ का सर्वे होता है, तो उसमें सब कुछ आता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि यह पूरी जानकारी न दी जाए, तो जैसा कि मैंने बताया, इसके लिए 6 महीने की सजा का प्रावधान है। अलग-अलग डेटा का क्लासिफिकेशन कर के उनके लिए एक नीति यह सरकार बनाए, ऐसी हमारी माँग है। एक प्रश्न आधार के समय भी आया था, जो कि आज भी हमारे सामने है। वह प्रश्न है कि उसका कंसेंट लिया जाना है या नहीं लिया जाना है। यहाँ तो मर्जी का सवाल ही नहीं है। यहाँ तो यदि वह जानकारी देने के लिए मना करे, तो उस पर फाइन और सजा का प्रावधान है। इस बात को भी आपको तय करना है, सारी जानकारी देने के लिए उसकी मर्जी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी तय हो कि जिस उद्देश्य से डेटा लिया जा रहा है, उसे स्पेसिफाई किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आपने इसे एन.एस.एस.ओ. को एक ब्लैन्क चैक के रूप में दे दिया है। वे यह नहीं बता रहे हैं कि किस उद्देश्य से जानकारी ली जा रही है। मैं समझता हूँ कि हमारे नागरिकों को इतना अधिकार तो होना चाहिए, जिससे उन्हें पता चल सके कि उनसे माँगी गई जानकारी के पीछे क्या उद्देश्य है। यदि आप उस जानकारी का बताए गए उद्देश्य के अलावा अन्य कहीं उपयोग करते हैं, तो उसके लिए भी एक ग्रीवेंस एड्रेसल मेकेनिज्म बनाया जाना चाहिए। आप जो अमेंडमेंट लाए हैं, उसके तीसरे पार्ट को लेकर हमारा यह सुझाव है कि इसको आप क्लैरिफाई कीजिए कि यह किसके द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है और आगे इसके क्या कायदे-कानून बनेंगे। अभी तो आपने इसे ओपन छोड़ा हुआ है कि इसका उपयोग केवल स्टेस्टिकल परपज़ के लिए नहीं, बल्कि और किसी काम के लिए भी किया जा सकता है। आप डेटा प्राइवेसी पर भी एक बड़ा कानून लाइए।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं एन.एस.एस.ओ. के बारे में भी कहना चाहता हूँ। सांख्यिकी विभाग के तीनों हिस्सों नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर स्टेस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और कम्प्यूटर सेंटर वर्ष 1950 में पंडित नेहरू जी ने जब प्लानिंग कमीशन और अर्थव्यवस्था की प्लानिंग की बात आयी और देश के लिए नीतियां बनाने के लिए देश में किस प्रकार की व्यवस्था है, उसे बारे में आंकड़े ठोस होने चाहिए। उन बातों को लेकर इनका गठन किया गया था। बहुत लम्बे समय तक इन ऑर्गेनाइजेशन्स ने हमारे देश की प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आप इसका रिव्यू भी लेकर आए हैं। एन.एस.एस.ओ. के सर्वे में किस प्रकार से सुधार हो सकता है, उसके बारे में भी चर्चा करने की हमें आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको उदाहरण देकर बताना चाहता हूँ कि एन.एस.एस.ओ. के जो सर्वे थे, क्योंकि हमारे प्लानिंग कमीशन का टाइम पीरियड पांच साल था और प्लानिंग कमीशन ने काफी लम्बे समय तक हमारे देश की योजनाएं बनायीं। उसी प्रकार से एनएसएसओ के द्वारा भी पांच साल में ही सर्वे करने का प्रावधान था। इंप्लॉयमेंट और अनइंप्लॉयमेंट का सर्वे एनएसएसओ पांच साल में एक बार करता है। सोशल कंज़म्पशन सर्वे पांच साल में एक बार, अनऑर्गेनाइज्ड मैनुफेक्चरिंग सर्वे पांच साल में एक बार, सर्विस सेक्टर का सर्वे पांच साल में एक बार, लैण्ड, लाइव स्टॉक होल्डिंग्स डेट एंड इनवेस्टमेंट का दस साल में एक बार सर्वे होता है। ओपन राउण्ड सर्वे दो साल में एक बार होता है। एन.एस.एस.ओ. के लगभग सारे सर्वे पांच साल में एक बार होते हैं। इन बातों को मैं कई बार सदन में उठा चुका हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों कृषि मंत्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य का भी मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा। राधा मोहन जी ने भी बात उठायी थी कि कृषि सर्वे दस साल में एक बार हो रहा है। यह कम समय पर होना चाहिए, क्योंकि दस साल में कई बजट आ जाते हैं और कई पॉलिसीज बदल जाती हैं। इम्प्लॉयमेंट और अनइम्प्लॉयमेंट को एन.एस.एस.ओ. का सबसे महत्वपूर्ण सर्वे माना जाता है। इसकी तरफ मैं विशेष तौर पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी अर्थशास्त्री तीन बिंदुओं पर किसी भी देश की आर्थिक नीतियों को आंकते हैं, पहली है- आर्थिक विकास दर, दूसरा- महंगाई की क्या दर है और तीसरा- बेरोजगारी की क्या दर है। इन बातों को लेकर किसी भी देश की आर्थिक नीतियां बनती हैं। अगर हम पूरे विश्व में देखें तो इन तीन आंकड़ों में से जिस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, वह है बेरोजगारी दर।

हम युनाइटेड स्टेट्स की तरफ देखें, अमेरिका की तरफ देखें तो पाएंगे कि वहां पर हर महीने बेरोजगारी दर का आकलन किया जाता है। जैसे पिछले महीने में कितने नए रोजगार उनकी अर्थव्यवस्था में आए, उसका आंकड़ा आता है। हर महीने, हर क्वार्टर, हर साल यह आकलन किया जाता है कि पिछले एक महीने में हमारी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी 0.1 प्रतिशत बढ़ी, कितने लोग बेरोजगार हुए। अमेरिका में ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स यह काम करता है। जिस तरह हमारा एन.एस.एस.ओ. है। उनका ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स है, वह हर महीने सैम्पल सर्वे करता है और उन आंकड़ों के आधार पर अमेरिका अपनी आर्थिक नीतियां तय करता है। वहां का रिजर्व बैंक मॉनीटरी पॉलिसी भी उन्हीं आंकड़ों के आधार पर तय करता है। उनके केंद्रबिंदु के अंतर्गत सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर दिया जाता है कि अनइंप्लॉयमेंट बढ़ रहा है या घट रहा है। इसी तरह से यदि हम यूरोप को देखें, वहां यूरो स्टैट है। यूरो स्टैट भी हर क्वार्टर के अंदर, हर महीने के अंदर यही आंकड़े यूरोपियन देशों के सामने प्रस्तुत करता है। वे देश उन आंकड़ों को केंद्रबिंदु मानते हुए अपनी आर्थिक नीतियां तय करते हैं। हमारे देश में क्या परिस्थिति है। हमारे देश में सबसे ज्यादा

बेरोजगारी की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश में आज वर्ष 2017 में 80 प्रतिशत जनसंख्या 18-60 साल के बीच में जो वर्किंग एज मानी जाती है। वर्ष 2020 में हमारे एक भारतीय की औसत आयु 29 वर्ष होगी। यही कारण था कि हमने भी अपनी सरकार के समय इस बात को लेकर प्रमुखता से प्रयास किया और आपने भी प्रमुखता से हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया। हम उस वायदे को किस आंकड़े के आधार पर देखें या जनता देखे। जनता को इस बात का आंकलन करने के लिए अधिकार है कि आप अपने किए हुए वायदे में कितने सफल हो पा रहे हैं या नहीं सफल हो पा रहे हैं।

मेक इन इण्डिया के बारे में आपने कहा कि मेक इन इण्डिया का उद्देश्य यह है कि नौकरियां आएंगी, रोजगार आएगा। जनता को और हमारे नौजवानों को यह देखने का अधिकार है कि आप उसमें कितना सफल हो पा रहे हैं, क्या परिस्थिति है। अन्य देश तो हर महीने, हर क्वार्टर और हर वर्ष आंकड़ा निकालते हैं। वे उन आंकड़ों के आधार पर अपनी आर्थिक नीतियां तय करते हैं। हमारे देश में पहले पांच साल में एक बार एन.एस.एस.ओ. का सर्वे होता था। एन.एस.एस.ओ. 5 साल में एक बार अपना अनइंप्लॉयमेंट का रेट देता था। अगला एन.एस.एस.ओ. का सर्वे वर्ष 2020 में होने जा रहा है। आपने सोच समझ कर 2 करोड़ नौकरियों की बात की कि वर्ष 2019 में एन.एस.एस.ओ. का सर्वे ही नहीं है।

दूसरी बात यह कि जब हमने अपनी सरकार में यह बात उठाई, उस समय लेबर डिपार्टमेंट ने एक वार्षिक सर्वे शुरू किया था, वह वार्षिक सर्वे आ रहा है। मगर इन सर्वेज में भी अलग-अलग बातें आ रही हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि एन.एस.एस.ओ. ने वर्ष 2009-10 में 2 प्रतिशत अनइंप्लॉयमेंट बताया, वर्ष 2011-12 में 2.2 प्रतिशत है और लेबर ब्यूरो ने वर्ष 2009 में 9.4 प्रतिशत अनइंप्लॉयमेंट दर बताई है। वर्ष 2011-12 में 3.8 प्रतिशत है। हम कौन सा मानें। एक और रिपोर्ट आयी है, जिसमें यह बताया गया कि पिछले एक वर्ष में 2009 के बाद अगर सबसे ज्यादा जॉब लॉस, बेरोजगारी बढ़ी है तो वह वर्ष 2016 में बढ़ी है। हम सवाल पूछ रहे हैं कि आपका वायदा तो कुछ और था, मगर आपके आंकड़े बता रहे हैं कि वर्ष 2009 में सबसे ज्यादा जॉब लॉस हुआ है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन ने भी यह एस्टीमेट दिया है। जितने भी ब्रिक्स के देश हैं, विकासशील देश हैं, उनमें सिर्फ भारत ही ऐसा देश है कि वर्ष 2017 और 2018 इन दो वर्ष में उनके अनुमान के हिसाब से लगातार बेरोजगारी बढ़ने वाली है। उनका आंकड़ा अलग है, वे अगले दो वर्ष में 8.4 और 9.4 का आंकड़ा दे रहे हैं। आई.एल.ओ. ने कहा है कि देश में हमारी बेरोजगारी दर और बढ़ेगी। मेरा मन कहता है कि मैं आई.एल.ओ. के आंकड़े को सदन में कोट करूं और सरकार को अकाउन्टेबल मानूं। उससे बढ़िया यह है कि भारत देश का, आपकी सरकार का कोई आंकड़ा ऐसा हो, जिसे आप यहां पर लाएं।

उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि जब हमारे वित्त मंत्री जी बजट पेश करें तो वह जी.डी.पी. ग्रोथ और अन्य चीजों की बजाए इस बात को सबसे पहले कहें कि पिछले एक वर्ष में हमारी अर्थव्यवस्था में हम 2 करोड़ नहीं तो कम से कम 50 लाख नए रोजगार उत्पन्न कर पाए। तभी हमारी आर्थिक नीतियों का केंद्रबिंदु, रोजगार और बेराजगारी दर बनेगी। मैं समझता हूँ कि हमने जो सुझाव दिए हैं। माननीय मंत्री जी इन सुझावों को मानें तो एन.एस.एस.ओ. को रिवैम्प करने की जरूरत है। पांच साल में एक बार सर्वे होता है, आज कल हम कनेक्टेड दुनिया में चल रहे हैं। एक मिनट में सर्वे हो जाता है। सब वैरी वैल कनेक्टेड हैं। लेकिन उसके कोई मायने नहीं हैं। दस साल में आप एग्रीकल्चर का सर्वे करते हैं, इतनी आर्थिक नीतियां बदलती हैं। राधा मोहन जी ने भी आपसे वही आग्रह किया है, हम भी आपसे वही आग्रह करते हैं। हम डाटा प्राइवेसी पर आपसे एक बार फिर आग्रह करते हैं कि इस पर आप एक बार नया लॉ, नया लेजिस्लेशन लेकर आएँ, ताकि देश में ये जो सारे प्रश्न उठ रहे हैं, उनका सही मायने में आप उत्तर दे सकें। धन्यवाद।

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सांख्यिकीय संग्रहण विधेयक, 2017 (संशोधन) पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका तथा अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूँ।

अभी हमारे कांग्रेस के मित्र इस विधेयक पर अपनी बात रख रहे थे। इस विधेयक में जो सार्थक संशोधन हुए हैं, उन संशोधनों पर उनका ध्यान बहुत कम गया है। उन्होंने यह कहा कि यह जम्मू और कश्मीर में लागू होगा। सचाई यह है कि इस विधेयक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जम्मू-कश्मीर राज्य में बहुत कम कानून, जो सीधे-सीधे प्रभावी नहीं हो पाते थे, इस सरकार की दूरदृष्टि ने, इस सरकार की संकल्पशीलता ने और हमारे प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने राष्ट्र को जिस तरह से एक रूप में देखने का प्रयास किया है, जो काम ये लोग 2008 के अधिनियम के द्वारा नहीं कर सके, हमने इस माध्यम से इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर तक करने का प्रयास किया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री, श्री सदानंद गौड़ा जी को इस संशोधन को लाने के लिए निश्चित रूप से बधाई दूंगा, क्योंकि 2008 का अधिनियम जो 11 जून, 2010 में लागू हुआ था, उसका विस्तार अखिल भारतीय नहीं था। वह जम्मू-कश्मीर पर भी प्रभावी नहीं था। इसलिए केन्द्र ने जम्मू-कश्मीर को शामिल करने के लिए, खासकर डाटा कलैक्शन 2008 के कानून में संशोधन किया है और इस संशोधन के माध्यम से वहां यूनियन लिस्ट और कंकरेन्ट लिस्ट दोनों में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों को डाटा के कलैक्शन में स्वाभाविक रूप से जो कठिनाई आती थी और जो तालमेल नहीं बन पाता था, उस तालमेल की दिशा में यह प्रयास किया गया है। इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 15 फरवरी, 2017 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस संशोधन को सदन में रखने की संस्तुति दी थी और स्पष्ट रूप से सरकार ने यह कहा था कि आंकड़ों के संग्रहण अधिनियम, 2008 के विस्तार को लेकर प्रस्तावित विधेयक को संसद में पेश कर मंजूरी प्रदान करानी है और जम्मू-कश्मीर की प्रविष्टि की सूची, एक संघ सूची और संविधान की सूची, समवर्ती सूची, जो सातवीं अनुसूची में उल्लिखित हैं, किसी के अधीन किसी भी मामलों में प्रासंगिक आंकड़ों पर व्यवहार्य होगा और यह संविधान के तहत जम्मू-कश्मीर का आदेश 1954 जो जम्मू-कश्मीर में लागू है, उसके तहत लागू होगा। खासकर इस संशोधन के बाद से आंकड़ों के संग्रहण का जो अखिल भारतीय तंत्र है, जो मैकेनिज्म ऑफ डाटा कलैक्शन है, वह मजबूत होगा।

विशेष रूप से इसके तहत संविधान जहां सभी गैर-आरक्षित मामलों में जम्मू-कश्मीर में इस अधिनियम के क्षेत्र का विस्तार प्रदान करेगा, वहीं इस देश के सभी राज्यों में आंकड़े 1953 से कलैक्ट किये जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अलग-अलग समय पर कानून की जरूरत क्यों पड़ी और हमारे आंकड़ों की

विश्वसनीयता क्यों नहीं है? इसलिए प्रभावी रूप से इस विधेयक के माध्यम से हमने, हमारी सरकार ने नोडल ऑफिसर्स के रूप में अधिकारियों को चिह्नित किया, उनको पावर्स डेलिगेट करके सशक्त बनाया है और साथ ही साथ उन पर रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की है।

महोदय, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बार-बार बेरोजगारी के आंकड़े दे रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी देश की प्रगति में जो मायने रखता है, वह है विकास की दर, महंगाई दर और बेरोज़गारी। विकास की दर और महंगाई की दर की उन्होंने चर्चा नहीं की। बेरोज़गारी पर उनका ज्यादा ध्यान था। हम लोगों को भी पता है कि इन दिनों देश में बेरोज़गारों की संख्या राजनीतिक क्षेत्र में भी बढ़ रही है। स्वाभाविक रूप से इस चिंता को हम लोग भी ध्यान में रखते हैं। लेकिन, उन्होंने यह नहीं कहा कि आप देश में किस तरह के आंकड़े कलेक्ट करते थे कि आज़ादी के लगभग 70 सालों के बाद भी आज तक आप गरीबी रेखा के निर्धारण का कोई सामान्य पैमाना नहीं बना पाए। अलग-अलग समय में आपने अलग-अलग कमेटी बिठाई। कभी आपने इसकी सीमा को 22 रुपये कहा, कभी आपने 32 रुपये कहा, कभी आपने एक डॉलर कहा। अगर इन आंकड़ों की विश्वसनीयता बनी होती तो वर्ष 1953-54 के बाद उसे वर्ष 2008 में क्यों संशोधित करना पड़ा? हम वर्ष 2008 के संशोधन के विरोधी नहीं हैं। हम लोगों का भी मानना है कि उस दौर में आपके शासन में लिब्रलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, यह जो वैश्वीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया आपने चलाई थी, उसमें हमारे डाटा कलेक्शन के जो पुराने तरीके थे, वे कमज़ोर पड़ गए थे। हमें अनेक तरह के डाटा की आवश्यकता होती थी। उस दृष्टि से उसकी जरूरत थी। बहुत सारे ऐसे विषय, जो जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ देश में भी हैं, वे पहले डाटा कलेक्शन में नहीं आते थे, खासकर ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में। यदि आज हमें एयरवेज़ डेवलप करना हो, सड़क यातायात बढ़ाना हो, रेलवे का नेटवर्क बढ़ाना हो तो हमें नए-नए डाटा की जरूरत पड़ेगी। खासकर, जम्मू-कश्मीर में इसका विस्तार नहीं हुआ, जबकि ऐसा नहीं है कि जम्मू-कश्मीर में पहले भारत सरकार के द्वारा पास किए गए कानूनों को उन्होंने नहीं माना। खासकर, सेन्सस के मामले में और बर्थ एण्ड डेथ सर्टिफिकेट के मामले में उन्होंने भारत सरकार के ही कानून को एडॉप्ट कर लिया। लेकिन, इसके बाद भी उन्होंने वर्ष 2010 में अलग से जम्मू-कश्मीर के लिए कानून बनाकर एक व्यवस्था खड़ी कर दी।

इस रूप में यह जो वर्तमान विधेयक है, आंकड़ों के संकलन की दृष्टि से, हम कह सकते हैं कि जम्मू-कश्मीर में जो विधायी शून्यता उत्पन्न हो गयी थी, खासकर, समवर्ती सूची और संघ सूची के बीच, जो एक-दूसरे के अधिकारों के क्षेत्र में घुसने का प्रयास था और जिसके चलते दोनों सरकारें काम नहीं कर पाती थीं, इस संशोधन के माध्यम से एक विधायी शून्यता, जिस पर हमारे पूर्ववर्ती लोगों ने विचार नहीं

किया, वह सचमुच उत्पन्न हुई और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। इसलिए इस दृष्टि से, इस संशोधन के बाद जम्मू-कश्मीर में भी आंकड़ा संग्रहण का तंत्र मज़बूत होगा और आंकड़ों में एकरूपता के साथ-साथ विश्वसनीयता भी आएगी। यह विधेयक पूरे जम्मू-कश्मीर में लागू होगा और संविधान आदेश, 1954 के अनुरूप वहां जो भी गैर आरक्षित क्षेत्र हैं, उन सब पर यह लागू होगा। इसलिए हम लोग यह कह सकते हैं कि यह जो संशोधन आया है, डाटा कलेक्शन के माध्यम से हम आर्थिक, डेमोग्राफिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, इन्वायरनमेंट एस्पेक्ट के संबंध में आंकड़ों का जो संकलन करते हैं, उसको व्यवस्थित बनाने का यह एक सुन्दर प्रयास है। साथ ही साथ, जो नए भारत की कल्पना माननीय प्रधान मंत्री जी ने की है, उस नए भारत के निर्माण में आंकड़ों की विश्वसनीयता और सच्चाई आवश्यक है, क्योंकि पीछे की सरकारों ने तो करीब 70 सालों में सिर्फ आंकड़ों के माध्यम से बाज़ीगरी की है। आंकड़ों को आधार बनाकर, चाहे वह नॉर्थ-ईस्ट हो या जम्मू-कश्मीर का क्षेत्र हो, आंकड़ों के माध्यम से देश के विकास के लिए जो धनराशि दी जाती रही है, उसमें बन्दरबांट और खेल होता रहा है।

इस दृष्टि से, हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान संशोधन निश्चित रूप से इस शून्यता को समाप्त करने की दिशा में जहां एक सार्थक कदम है, वहीं इस संशोधन के माध्यम से आंकड़े संबंधी कार्यों में स्पष्टता होगी और सुशासन का मार्ग प्रशस्त होगा। जितने हमारे आंकड़े स्पष्ट और विश्वसनीय होंगे, उतना ही हमारी व्यवस्था और फाइनेंसियल मैनेजमेंट भी ट्रांसपैरेंट होगा, इसमें किसी हेर-फेर की गुंजाइश नहीं होगी। अतः इस संशोधन विधेयक के माध्यम से हम नागरिकता के साथ-साथ शिक्षा, बैंकिंग सेवा, श्रम तथा वन इत्यादि सभी के आंकड़े अपने पास उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे और सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाने की दृष्टि से इन आंकड़ों का उपयोग कर पाएगी।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस डाटा कलेक्शन के संशोधन अधिनियम में नोडल अधिकारियों की जो नियुक्ति की बात कही गई है, इसके माध्यम से अभी तक डाटा कलेक्शन में डुप्लीकेशन होता था, दोहराव होता था। जब यह रैसपोसेबिलिटी फिक्स हो जाएगी और उत्तरदायित्व तय हो जाएगा, तो फिर वह नोडल अधिकारी अपने डाटा के कलेक्शन की दृष्टि से सभी विभागों में कॉर्डिनेशन बनाने का काम करेगा। हम यह कह सकते हैं कि नोडल अधिकारियों के माध्यम से डाटा कलेक्शन का समन्वय और सुपरविजन दोनों का स्तर अच्छा होगा। अभी एन.एस.एस.ओ. का बार-बार उदाहरण दिया जा रहा था। यह किसने कहा कि वह सिर्फ पाँच साल पर ही डाटा कलेक्शन करें, आपने ऐसा तंत्र क्यों नहीं बनाया?

हम अमेरिका का उदाहरण देते हैं, हम यू.एस.ए. का उदाहरण देते हैं, हम कनाडा का उदाहरण देते हैं, लेकिन हम उस रूप में कानून फ्रेम नहीं करते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि

कनाडा में अलग-अलग क्षेत्र के लिए अलग-अलग कानून होगा और कानून व्यक्ति के अनुरूप होगा। सचमुच, इस संशोधन में एक डाटा कलेक्शन के माध्यम से एकरूपता लाने की बात है। इस विधेयक की सूचना के बारे में यह बार-बार कहा जा रहा था कि इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। सच्चाई यह है कि अगर आपने उद्देश्य एवं ऑब्जेक्टिव के अलावा प्रायोजित विधान के बारे में ज्ञापन को पढ़ा होता तो यह जरूर नजर आ जाता, या आप बताना नहीं चाह रहे हैं। स्पष्ट रूप से प्रायोजित विधान में दूसरे प्वाइंट पर यह लिखा है कि विधेयक का खंड 5 और खंड 6 केंद्रीय सरकार को सांख्यिकी प्रयोजनों के लिए अधिनियम की धारा 6 के अधीन सांख्यिकी अधिकारी या किसी व्यक्ति या अभिकरण द्वारा किसी सूचना का उपयोग करने की रीति से संबंधित नियम बनाने को सशक्त करता है। आप जिस मैनर की बात कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सांख्यिकी प्रयोजनों के लिए, यानि आंकड़ों के उपयोग की दृष्टि से यह पहले भी था, आज जिस प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, अगर इन डाटा को कलेक्ट करके हम लोक कल्याण की योजनाओं में इनका उपयोग नहीं करें, तो फिर इतने बड़ी एक्सरसाइज करने का उपयोग क्या होगा, इतने बड़े तंत्र को खड़ा करने की क्या आवश्यकता है। यह स्पष्ट रूप से लिखा है और साथ-ही-साथ प्रायोजित विधान के ज्ञापन के तीसरा प्वाइंट आगे भी कहता है कि विधेयक का खंड छह केंद्रीय सरकार को उक्त नियमों के पूर्व प्रकाशन की शर्त के साथ नियम बनाने को सशक्त करता है, यानी नियम बनाने के पहले उसको पब्लिश करना है और फिर उस पर स्वाभाविक रूप से राय की प्रक्रिया आएगी, इसलिए यह कहना और उसको आधार में ले जाना, बाकी अन्य चीजों में ले जाना उचित नहीं है, आधार भी आप ही ने शुरू किया था। हम लोगों ने सिर्फ इतना ही किया कि उसमें जो बुराई थी, उसको दूर करके और लोक कल्याण की दृष्टि से देश की महिलाओं तक आधार के माध्यम से ऊर्जा पहुंचाने का और पेट्रोलियम पदार्थ पहुंचाने का काम किया है।

देश में अनेक लोगों ने उन आंकड़ों के माध्यम से अपनी सब्सिडी छोड़ी है। यह चश्मे और नजरिए का अंतर है। नजरिया बदलेगा, तो नजर का दायरा भी बदलता है। इन आंकड़ों की बात जो वह कह रहे हैं, सच्चाई तो यह है कि इस रूप में काम करने पर आंकड़ों में दोहराव नहीं होगा। इसके पूर्व सच्चाई यही रही है कि देश के अंदर आंकड़ों को कभी भी एक वैधानिक प्रक्रिया के तहत महत्व नहीं दिया गया। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे का जो आर्गनाइजेशन है, वह कब आता है और कब जाता है और उसकी स्थिति आपने क्या कर दी है? यह तो अच्छा है कि कांग्रेस के मित्र ने नेशनल सैंपल सर्वे आर्गनाइजेशन की याद दिला दी। मेरे राज्य झारखंड में, गिरिडीह में नेशनल सैंपल सर्वे आर्गनाइजेशन का आज से 10, 15, 20 साल पहले बहुत बड़ा कार्यालय होता था। जब हमारा राज्य बन गया, जब हमारी आवश्यकतायें बढ़ गईं, तो वह धीरे-धीरे सिमटते-सिमटते इतना छोटा हो गया कि वह कार्यालय अब वहां से कोलकाता धीरे-धीरे स्थानांतरित हो

गया। ... (व्यवधान) मैं उस कार्यालय की बात कर रहा हूँ, जो कभी पूरे बिहार के आंकड़ों का कलेक्शन करता था। आंकड़े कलेक्ट करने वाले आर्गनाइजेशन की क्या स्थिति पिछले दस साल की सरकार में हुई है, यह कहने की जरूरत नहीं है।

निःसंदेह यह संशोधन हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाता है। आज तक कभी भी यह प्रयास नहीं किया गया कि जम्मू-कश्मीर को भी देश की मुख्य धारा के माध्यम से जोड़ा जाए। सच्चाई तो यह है कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जम्मू-कश्मीर की समस्याओं को भी अखिल भारतीय स्तर पर निष्पादन करने की दृष्टि से इसका वहां तक विस्तार किया है। देश के बहुत सारे कानून, अधिनियम और धारायें बदलनी चाहिए और वक्त आएगा तो धीरे-धीरे उनको बदलने का काम हम देश के हित में करेंगे। एक ही देश में दो तरह का विधान, दो तरह का निशान, इस तरह की चीजें जब चलें, तो खासकर मैं यहां कोट करना चाहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जी के कमिटमेंट के पीछे जो विचारधारा है, जो ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि इस वर्ष हम लोग दीनदयाल जी का जन्मशताब्दी समारोह मना रहे हैं। मैं भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया और संविधान के माध्यम के बारे में उनको यहां उनकी पुस्तक 'एकात्म मानववाद' से कोट करना चाहूंगा -

‘भारतीय संस्कृति की पहली विशेषता यह है कि यह संपूर्ण जीवन का, संपूर्ण सृष्टि का संकलित विचार करती है। उसका दृष्टिकोण एकात्मवादी अर्थात् इंटीग्रेटेड है। हमारा एक राष्ट्र है, हम एक जन हैं, इसलिए हमने भाषा, प्रांत, जाति, मजहब, आदि के आधार पर मूलभूत अधिकारों में किसी से भी भेदभाव को स्वीकार नहीं किया। हमने एक नागरिकता का सिद्धांत माना है। अलग-अलग प्रांत होने के बावजूद भी अमेरिका की भांति यहां राज्य और संघ अलग-अलग नागरिकता नहीं हैं। हम सब भारत के नागरिक हैं। इसी प्रकार हमने राज्यों को संघ से निकल जाने का भी अधिकार नहीं दिया है। इतना ही नहीं इन राज्यों की सीमायें और नाम क्या हो, यह निर्णय भी संसद ही कर सकती है, राज्यों के विधान मंडल नहीं।’

आज देश की आजादी के 70 साल बाद पूरे देश के लिए आप एक कानून नहीं बना पाए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस जन्मशताब्दी समारोह के माध्यम से उस विचारधारा को, एकात्म मानव दर्शन की विचारधारा को बढ़ाने का काम किया है। इसलिए यह संशोधन देखने में बहुत छोटा लगेगा, लेकिन आंकड़ों के कलेक्शन के माध्यम से एक नए भारत की नींव, एक एकात्म भारत की नींव, एक सशक्त भारत की नींव और दुनिया में भारत का संदेश देने वाले भारत की नींव रखने का काम माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया है। इसलिए इस संशोधन का पुरजोर समर्थन करते हुए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): Thank you, hon. Deputy Speaker, Sir, for allowing me speak on the Collection of Statistics (Amendment) Bill, 2017.

The amendment in the Bill is to strengthen the data collection mechanism in the State of Jammu & Kashmir. The Collection of Statistics Act, 2008 was enacted to facilitate the collection of statistics on economics, social and environmental aspect. The Act extended to the whole of India except Jammu & Kashmir. Similarly, the Jammu & Kashmir State Legislature enacted the Jammu & Kashmir Collection of Statistics Act, 2010. The Collection of Statistics Act, 2008 and Jammu & Kashmir Collection Statistics Act, 2010 following in the Union List have created a legislative vacuum. Moreover, the concurrent jurisdiction to be exercised by the Centre in Jammu & Kashmir has not been provided. The amendment is intended to address the vacuum which will help the social upliftment of the people residing in Jammu & Kashmir. But it should be taken care of that after the implementation of this legislation, there should be no conflict with the setup of Jammu & Kashmir in collection of data and input of statistics.

In this Bill, it has been said that nodal officer is appointed at the Centre and in each State to effectively coordinate and supervise the data collection activities for avoiding unnecessary duplication.

I, on behalf of my Party, welcome the Bill, I suggest to incorporate a provision into the proposed Bill that there should be a timeframe for furnishing data or statistics and it has to be made binding on all because the current status of statistics of some departments with regard to adequacy, timeliness and reliability are far from satisfactory. Sometimes, the advanced estimates are made simply on the basis of the visual estimates. Until the final results are available which is almost is one year after, only rough estimates are supplied which have been the reason of sustainable revision in the estimated one.

Coming from the State of West Bengal, it makes me proud that the Indian Statistical Institute is an academic institute of national importance as recognised

by 1959 Act of Indian Parliament. Prof. Prashant Chandra Mahalanobis, who is the founder ISI, was deeply influenced by the wisdom and guidance of Shri Rabindranath Tagore and Shri Brajendra Nath Seal. Under his leadership, the Institution initiated and promoted the statistics with natural and social science to advance the role of statistics. The Second Five Year Plan of India was the brainchild of Prof. Prashant Chandra.

Timely availability of statistics is the essence of the efficiency of the National Statistical System. Statistics with a long time gap may not be of much use for policy-making. The efforts to improve agricultural, industrial and other statistics at the ground level will have to be quick and only then, the impact of statistical data at the national level would earn desired and proper result which will help to improve the quality of life of the people in the valley for broad-based social transformation in development.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, I start by saying that I have tremendous amount of reservations about this Bill and let me put it as succinctly as I can that I oppose this Bill.

This is a seemingly very innocuous piece of legislation. The Statement of Objects and Reasons is very simple and very easy to understand. What the hon. Minister has said, a man that all of us respect, the way he put it as if it is something to do with Jammu and Kashmir, so it does not really matter.

But I start by quoting something. It is an Approach Paper on Privacy by the Department of Personnel and Training of his Government. This says,

“As more and more agencies of the Government sign on to the Aadhaar Project, the Aadhaar number will become the common thread that links all those databases. There is more and more scope for commercial exploitation of this information without the knowledge, consent of the individual.”

This is the driving aspect that bothers me. In the Bill, the colleague from the Congress spoke earlier. He did not eventually spell out whether he supports or

opposes the Bill. But I said right at the beginning that I oppose it. Clause 5 (i) says,

“The Statistics Officer or any person or agencies authorized under this Act shall, for statistical purposes, use any information furnished under Section 6 in such manner as may be prescribed.”

Who will prescribe it? Who is the authority? How will that data be used?

Sir, we are not understanding how privacy is of utmost importance in a modern world. If we are a party affiliated to the Government, then we all go along with whatever the bosses have said. If we are a party not affiliated to the Government, we are unwilling to study and understand the import, the dangers of such a Bill. Aadhaar, as you know, Sir, I have been consistently saying from the very beginning – not only now, but earlier when the idea was mooted by the UPA, at that time also, I had opposed it -- that even now also I oppose it because Aadhaar is a deadly thing which you are dumping on the unknowing individuals of this country -- the illiterate and the uneducated.

As you know, Sir, due to our social customs, a family without too much of an income, many a time, you will see the father, mother, a married son and his wife, sometimes, a grand child all living in one room. So, the concept of privacy, as we have seen in the western world, really does not exist much in the Indian mind. So, what happens is we all rush to make Aadhaar Cards. I have seen in villages how people rush to make Aadhaar Card because they think that if they make the Aadhaar Card and get that document, then, they get some money from the Government. That is exploiting our poverty and our backwardness.

This reminds me about the saying. It is a very small line which was uttered by one of the most powerful industrialists, businessman of India. Earlier, I had mentioned in this House that I would prefer not to take his name because he is not a Member of this House, and everybody keeps on repeating the name of Shri Mukesh Ambani. He had said: “*Data*, I underline it, is the new oil”. This is a very

important statement: “Data is the new oil”. A man understands how much wealth lies there.

18.00 hours

I am sorry to say, many of us, even in this House are unwilling or incapable of comprehending what kind of data is being collected from all of us under the guise of Aadhar. I have been able to resist it till now. I did not even go when this four day camp was set up in Parliament, which ended on the 24th. How long can I run away from Aadhar? Because when I had to file my income-tax, the income-tax people would not take it without my Aadhar number. My bank is constantly sending me SMSs asking me to provide my Aadhar number or else my account will be put to dormant situation. So, you are forcing the citizens to give all the data, my fingerprint, etc. ... *(Interruptions)*

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, it is 6 0’ clock. Can you continue your speech tomorrow?

SHRI TATHAGATA SATPATHY: No, Sir, I would finish my speech within one or two minutes. ... *(Interruptions)*

HON. DEPUTY-SPEAKER: We would continue till he completes his speech.

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Shri Satpathy is a very dear friend. Let him complete his speech.

SHRI TATHAGATA SATPATHY: Thank you, Sir. I have great respect for the hon. Minister, Shri Ananth Kumar *ji*. He is very nice to me.

Section 9(1), which has earlier been mentioned, states that statistical purpose is the only usage for data. However, this Bill adds another phrase, ‘used in a manner that may be prescribed’. The Government, as you know, is pushing Aadhar in a very arbitrary and illegal manner. Starting from mobile phones, to mid-deal meal scheme, and newspapers, we simply had it. For the driving licence also, you will need Aadhar. ... *(Interruptions)* So, the Collection of Statistics (Amendment) Bill, 2017 is something that deserves extreme opposition from

Members of this House. This takes away the power of legislation from Parliament. This Bill 'hands over' all the data to the bureaucracy, to the *Babus*, and I oppose this.

I hope and pray that good sense will prevail on this Government. They will not be in power, this particular party will not be in power, for ever. So, do not forget that you should not hand over this kind of unilateral and arbitrary powers to the *Babus*, who will mis-utilise it against the citizens of this country.

Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet on Wednesday, the 29th March, 2017 at 11.00 a.m.

18.03 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, March 29, 2017/Chaitra 8, 1939 (Saka).
